2025
International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

IFFDC
Preserving Nature . Nurturing Lives

32वीं
वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2024-2025

श्री दिलीपभाई संघाणी, अध्यक्ष, इफको का बीज प्रसंस्करण संयंत्र, मैगलगंज (उत्तर प्रदेश) में प्रथम आगमन पर अभिनंदन

डा. यू.एस. अवस्थी, प्रबंध निदेशक, इफको द्वारा बीज प्रसंस्करण संयंत्र, मैगलगंज (उत्तर प्रदेश) का अवलोकन

विषय सूची
Contents

2 | आई.एफ.एफ.डी.सी एक दृष्टि में
IFFDC at a Glanc

4 | विजन, मिशन एवं उद्देश्य
Vision, Mission and Objectives

6 | निदेशक मण्डल
Board of Directors

7 | पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मुख्य कार्यकारी/प्रबंध निदेशक
Ex-Chairman, Ex-Chief Executives/Managing Directors

6 | निदेशक मंडल
Board of Directors

8 | आई.एफ.एफ.डी.सी. लिमिटेड
IFFDC Limited

12 | हमारा दृष्टिकोण
Our Approach

14 | परियोजनाओं का विवरण
Details of Projects

16 | निदेशकों की रिपोर्ट
Directors' Report

20 | क्लाईमेट एक्शन
Climate Action

20 | सामाजिक वानिकी विकास
Social Forestry Development

32 | जलग्रहण प्रबंधन (पारिस्थितिकीय प्रतिस्कंदन)
Watershed Management (Ecological Resilience)

36 | कृषक उत्पादक संगठन संवर्द्धन परियोजना
Promotion of Farmer Producers Organisation (FPO) Project

40 | समन्वित ग्रामीण आजीविका विकास
Integrated Rural Livelihood Development

46 | सार्वभौमिक अवधान
Cross Cutting Interventions

46 | सामुदायिक संस्थायें
Community Institutions

48 | जेंडर को मुख्य धारा से जोड़ना एवं महिला सशक्तिकरण
Gender Mainstreaming and Women Empowerment

52 | क्षमता निर्माण
Capacity Building

54 | सी.एस.आर. पहल
C.S.R. Initiative

60 | बीज एवं अन्य कृषि आदान
Seed and Other Agri-Inputs

60 | बीज
Seed

68 | उर्वरक एवं कृषि रसायन
Fertilisers & Agro-Chemicals

72 | मानव संसाधन विकास
Human Resource Development

74 | प्रचार–प्रसार गतिविधियाँ
Publicity Activities

74 | पुरस्कार तथा सम्मान
Awards and Recognitions

76 | आभार
Acknowledgements

78 | सहयोगी संस्थाएं
Associate Organisations

78 | लेखा परीक्षक एवं बैंकर
Auditors & Bankers

80 | वित्त एवं लेखा – वित्तीय स्नैपशॉट
Finance & Accounts - Financial Snapshot

81 | स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
Independent Auditors' Report

84 | तुलन पत्र
Balance Sheet

85 | लाभ हानि लेखा
Profit & Loss Account

86 | वित्तीय कथनों पर टिप्पणियाँ
Notes on Financial Statements

102 | नकदी प्रवाह का विवरण
Cash Flow Statement

आई.एफ.एफ.डी.सी. एक दृष्टि में

पंजीयन
अक्टूबर 22, 1993 को बहुराज्यीय सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1984 (तत्पश्चात् एम.एस.सी.एस. (संशोधन) अधिनियम 2023) के अंतर्गत

कार्यक्षेत्र
संपूर्ण भारतवर्ष

सदस्य समितियाँ
172
प्राथमिक वानिकी समितियाँ - 151
सदस्य - 16,538 (34% महिला सदस्य)

पोर्टफोलियो

परियोजनाएं

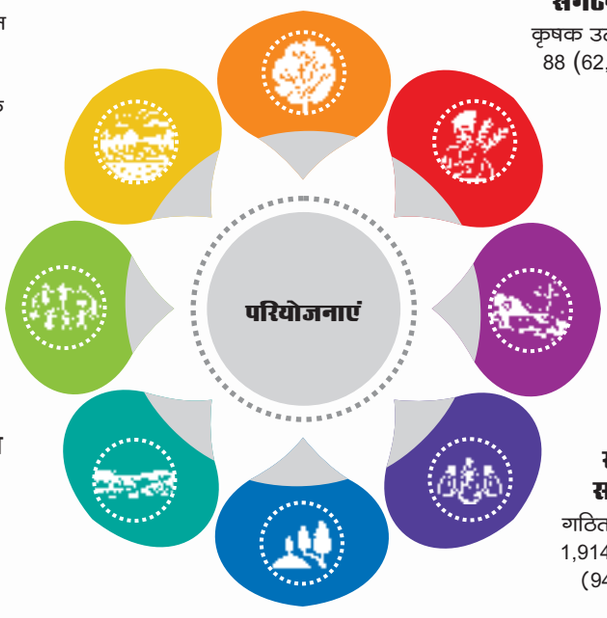

सामाजिक वानिकी, जलवायु परिवर्तन एवं कार्बन ट्रेडिंग
बंजर भूमि पर वृक्षारोपण (संचयी क्षेत्र)
29,421 हैक्टेयर
कुल विद्यमान वृक्ष
109 लाख

आजीविका विकास
आजीविका उत्थान सुनिश्चितीकरण
5.7 लाख
परिवार से अधिक

कृषक उत्पादक संगठन संवर्द्धन
कृषक उत्पादक संगठन
88 (62,436 सदस्य)

कुल संवर्द्धित सामुदायिक संस्थाऐं
2875
(1,14,721 सदस्य)

जल संसाधन विकास
275 चैक डैम
1207 तालाब
1,328 कुँए
326 एल.डी.पी.ई. टैंक

जलग्रहण प्रबंधन
उपचारित क्षेत्र
19,219 हैक्टेयर

स्वयं सहायता समूहों का गठन
गठित स्वयं सहायता समूह
1,914 (सदस्यता 19,574)
(94% महिला सदस्य)

वाड़ी विकास
8515
आदिवासी परिवार
विकसित फलोद्यान
3,406 हैक्टेयर

प्रमाणित बीज उत्पादन एवं विपणन

खाद्यान्न, संकर बीज, सब्जी बीज, नकदी फसलें, चारा फसलें, तिलहन, दलहन, पोषक धान्य

प्रमाणित बीज उत्पादन
3.40
लाख क्विंटल

प्रमाणित बीज विपणन
3.56
लाख क्विंटल

इफको उर्वरक एवं कृषि आदान विपणन

जल विलेय एवं स्पेसिएलिटी उर्वरक — 0.34 लाख मैट्रिक टन

इफको नैनो यूरिया प्लस/ नैनो डीएपी (तरल) — इफको नैनो यूरिया प्लस/ डी.ए.पी. बोतल 53.55 लाख (संख्या)

फास्फेट एवं पोटाश युक्त उर्वरक — 7.97 लाख मैट्रिक टन

नाइट्रोजन युक्त उर्वरक — 8.89 लाख मैट्रिक टन

सागरिका दानेदार एवं तरल — सागरिका दानेदार 0.16 लाख मैट्रिक टन, सागरिका तरल 3.39 लाख लीटर

जैव उर्वरक — 1.19 लाख लीटर

IFFDC *at a glance*

Registration
On 22nd October, 1993 under Multi-State Cooperative Societies Act, 1984 (subsequently under MSCS (Amendment) Act, 2023)

Area of Operation
The Whole Indian Union

Member Cooperatives
172
Primary Forestry Cooperatives - 151
Members-16,538 (34% Women Members)

PORTFOLIO

Social Forestry, Climate Change & Carbon Trading
Wasteland Afforested (Cum. Area)
29,421 ha
Total Existing Trees
109 Lakh

Livelihood Development
Ensuring Livelihood Improvement
More than
5.7 lakh families

Promotion of Farmer Producers Organisation
Farmers Producer Organisation (FPO)
88 (62,436 members)

Total Community Institutions Developed
2875
(1,14,721 members)

Projects

Water Resource Development
275 Checkdams,
1,207 Ponds
1,328 Wells,
326 LDPE Tanks

Watershed Management
Area treated
19,219 ha

Formation of SHGs
Self Help Groups Formed
1,914 (Membership 19,574)
(94% women members)

Wadi Development
Tribal Families
8,515
Fruit Orchard Developed
3,406 ha

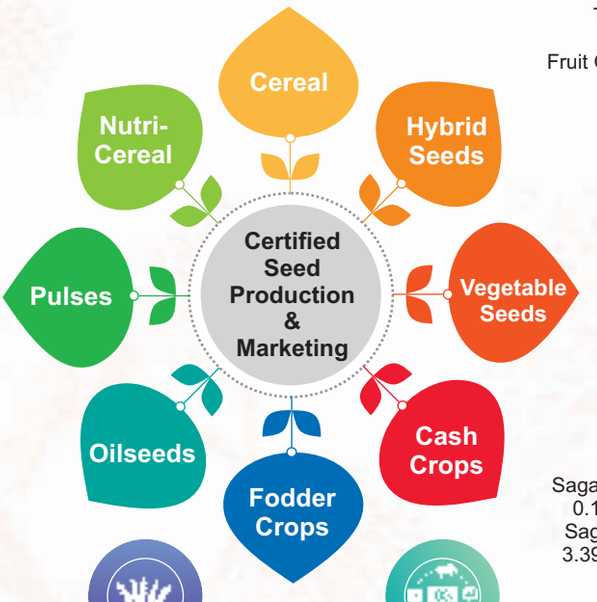

Certified Seed Production
3.40
Lakh qtl.

Certified Seed Marketing
3.56
Lakh qtl.

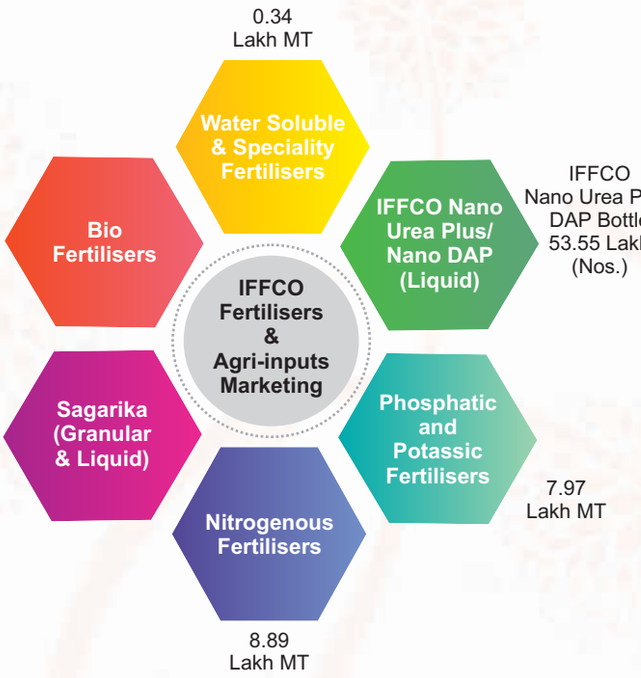

विज़न

चिरन्तर सामुदायिक संस्थाओं के माध्यम से गरीबों की क्षमताओं में वृद्धि करके उनकी आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सहायता करना एवं उन्हें एक ऐसा वातावरण प्रदान करना जिससे उन्हें नए अवसरों की प्राप्ति हो ताकि वे अपने मूलाधार संसाधनों की वृद्धि एवं विकास कर, एक सम्मानित जीवन व्यतीत कर सकें।

मिशन

क्लाईमेट एक्शन (जलवायु परिवर्तन में कमी, अनुकूलन व सहनशीलता विकसित करना) हेतु संगठित प्रयासों से प्राकृतिक संसाधनों के चिरन्तर प्रबन्धन द्वारा लोगों के सामाजिक – आर्थिक स्तर का उत्थान।

उद्देश्य

एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और कृषि पद्धतियों के माध्यम से क्लाईमेट एक्शन एवं कार्बन क्रेडिट सृजन।

पारिस्थितिकीय संतुलन एवं चिरंतर ग्रामीण आजीविका संसाधनों के लिए बंजर भूमि का विकास।

सी.एस.आर. के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, कृषि उत्पादन, पशुधन विकास, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, कौशल विकास व रोजगार सृजन, खेलकूद, संस्थागत विकास एवं पर्यावरण सुधार की गतिविधियों का क्रियान्वयन

स्वयं व सदस्य समितियों, दोंनों की ओर से आवश्यकता अनुसार बीज, कृषि आदानों, कृषि औजारों/मशीनों व अन्य सहायक वस्तुओं का उत्पादन, प्रसंस्करण, वितरण व विपणन संबधी कार्य करना।

सदस्यों/सामुदायिक संस्थानों को वित्तीय, तकनीकी, विस्तार एवं विपणन सेवायें प्रदान करना।

Vision

To assist the poor in enhancing capabilities for attaining their aspirations; to create through sustainable participatory community institutions, an enabling environment for the poor to access new opportunities and develop & enhance a resource base essential for leading a dignified life.

Mission

To enhance the socio-economic status of peoples by enabling collective action for Sustainable Natural Resources Management for Climate Action (mitigation, adaptation and resilience development).

Objectives

Climate Action & Carbon Credits Generation through Integrated Natural Resources Management and Farming Systems Approach.

Wasteland Development for ecological balance and engendering sustainable rural livelihood resources.

Undertaking CSR initiatives for Community Health and Sanitation, Safe Drinking Water, Agriculture Production, Livestock Development, Women Empowerment, Education, Skill Development & Employment Generation, Sports, Institutional Development and Environment Up-gradation.

Undertaking the production, processing, distribution and marketing of seed and other need based Agricultural Inputs, Agricultural Implements / Machinery and other allied articles both on its own and/or on behalf of its members.

Providing Financial, Technical, Extension and Marketing services to members / community institutions.

निदेशक मंडल
Board of Directors

अध्यक्ष / Chairman
गुरु प्रसाद त्रिपाठी
G.P. Tripathi

निदेशक / Director
प्रहलाद सिंह
Prahlad Singh

निदेशक / Director
डा. योगेंद्र कुमार
Dr. Yogendra Kumar

निदेशक / Director
ए.के. गुप्ता
A.K. Gupta

निदेशक / Director
रोहित गुप्ता
Rohit Gupta

निदेशक / Director
डाडम चंद जाट
Dadam Chand Jat

निदेशक / Director
राजपती सिंह
Rajpati Singh

निदेशक / Director
अंकित परिहार
Ankit Parihar

निदेशक / Director
गटू बाई अहीर
Gatu Bai Aheer

निदेशक / Director
नाना लाल जाट
Nana Lal Jat

निदेशक / Director
राजकुमार अठिया
Rajkumar Athiya

निदेशक / Director
इंद्रपाल सिंह
Indrapal Singh

निदेशक / Director
अविनाश चंद्र अवस्थी
Avinash Chandra Awasthi

निदेशक / Director
मनीष दिलीपभाई संघाणी
Manish Dileepbhai Sanghani

प्रबंध निदेशक / Managing Director
माधवी एम. विप्रदास
Madhavi M. Vipradas

पूर्व अध्यक्ष
Ex-Chairman

डा. वी. कुमार
Dr. V. Kumar
(अक्टूबर 22, 1993–फरवरी 11, 2003)
(October 22, 1993-February 11, 2003)

दयाकृष्ण भट्ट
D.K. Bhatt
(फरवरी 12, 2003–जून 25, 2009)
(February 12, 2003-June 25, 2009)

गुरु प्रसाद त्रिपाठी
Guru Prasad Tripathi
(जून 26, 2009–जून 21, 2019)
(June 26, 2009-June 21, 2019)

उमेश त्रिपाठी
Umesh Tripathi
(जून 22, 2019–मार्च 25, 2022)
(June 22, 2019-March 25, 2022)

प्रहलाद सिंह
Prahlad Singh
(मार्च 25, 2022–जून 20, 2024)
(March 25, 2022-June 20, 2024)

पूर्व मुख्य कार्यकारी/प्रबंध निदेशक
Ex-Chief Executives/Managing Director

स्व. डा. ओ.पी. गौड़
Late Dr. O.P. Gaur
(अक्टूबर 22, 1993–अगस्त 31, 2000)
(October 22, 1993-August 31, 2000)

स्व. अशोक आलम्बेन
Late Ashok Alambain
(सितम्बर 01, 2000–सितम्बर 02, 2002)
(September 01, 2000-September 02, 2002)

स्व. डा. पी.एस. मरवाहा
Late Dr. P.S. Marwaha
(सितम्बर 03, 2002–सितम्बर 02, 2008)
(September 03, 2002-September 02, 2008)

प्रवीण अग्रवाल
Praveen Agarwal
(सितम्बर 03, 2008–अक्टूबर 13, 2008)
(September 03, 2008-October 13, 2008)

डा. के.जी. वानखेड़े
Dr. K.G. Wankhede
(अक्टूबर 14, 2008–अगस्त 31, 2015)
(October 14, 2008-August 31, 2015)

एस.पी. सिंह
S.P. Singh
(सितंबर 1, 2015–जनवरी 31, 2025)
(September 1, 2015-January 31, 2025)

आई.एफ.एफ.डी.सी. लिमिटेड

हमारे बारे में

इंडियन फार्म फारेस्ट्री डवलपमेंट कोआपरेटिव लिमिटेड (आई.एफ.एफ.डी.सी.) वर्ष 1993 में अस्तित्व में आई, जबकि इसका कार्य वर्ष 1986–87 में बहुत पहले ही प्रारम्भ हो चुका था। इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको), जिसने आई. एफ.एफ.डी.सी. को संवर्द्धित किया, ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान राज्यों में प्रक्षेत्र वानिकी के द्वारा पर्यावरण संतुलन एवं बंजर भूमि विकास का कार्य प्रारम्भ किया था, जिसे देश भर में, जहाँ संभव हो वहाँ ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के साथ समन्वित कर आगे बढ़ाने हेतु आई.एफ.एफ.डी.सी. को हस्तांतरित कर दिया गया था।

सामुदायिक आवश्यकताओं के आधार पर, आई.एफ.एफ.डी.सी. ने प्रक्षेत्र वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन के साथ–साथ समन्वित जलग्रहण प्रबंधन, जलवायु अवरोधन, पोषण एवं आर्थिक सुरक्षा, आजीविका उत्थान, सी.एस.आर. पहल, महिला सशक्तिकरण, कृषक उत्पादक संघ सहित सामुदायिक संस्था निर्माण, कौशल विकास तथा आय अर्जन, बीज उत्पादन एवं कृषि आदान आपूर्ति आदि के द्वारा अपने पोर्टफोलियो के विविधीकरण तथा विस्तारीकरण पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। जिसमें, समुदाय की उभरती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहभागी पद्धतियों को अपनाया गया।

पिछले एक दशक से अधिक समय से, संस्था ने अपने कार्यक्षेत्र में विस्तार कर उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखण्ड, बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में भी निरन्तर रूप से कार्य प्रारम्भ कर दिया है। संस्था, वर्तमान में, सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों के अन्तर्गत 21 राज्यों में कार्यरत है तथा इसने अब तक 506 करोड़ रुपये (संचयी) से भी अधिक की विभिन्न ग्रामीण विकास की परियोजनाओं का संचालन किया है। साथ ही, फसल उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य के साथ, किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज की आपूर्ति करने के लिए बीज उत्पादन एवं विपणन कार्यक्रम का संचालन कर रही है और किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि–आदानों की आपूर्ति भी की जा रही है।

डा. योगेन्द्र कुमार, विपणन निदेशक, इफको द्वारा आई.एफ.एफ.डी.सी. की 31वीं वार्षिक आम सभा के प्रतिनिधिगणों को ऑनलाईन संबोधन

IFFDC Ltd.

About Us

Indian Farm Forestry Development Cooperative Limited (IFFDC) came into existence formally in 1993, although its work had begun much earlier in 1986-87. Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO), which has promoted IFFDC, had launched programmes of eco-restoration and wasteland development through farm forestry in the states of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan and these programmes were subsequently handed over to the IFFDC for being scaled up and where possible for being integrated with rural livelihood development and poverty alleviation programmes in the country.

Based on the needs of the communities that it works with, IFFDC has over time diversified its portfolio broadening its focus to also include in addition to Farm Forestry and Climate Change, activities such as Integrated Watershed Management, Climate Proofing, Nutritional and Economic Security, Livelihoods, CSR initiative, Women Empowerment, Community Institution Building including Farmer Producer Organisations, Skill Development & Income Generation, Seed Production and Agri-Input Supply etc. This has been done by adopting approaches that are participatory in nature and designed to cater to the emerging and evolving needs of the community.

Over the past decade and more, IFFDC has also expanded its territorial scope of action and started sustained operations in the States of Uttarakhand, Himachal Pradesh, Haryana, Delhi, Punjab, Gujarat, Chhattisgarh, Maharashtra, Odisha, Jharkhand, Bihar, West Bengal, Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala and Jammu & Kashmir. With its presence in 21 States covering all the agro-climatic zones, it has so far implemented various rural development projects worth cumulatively more than Rs. 506 crores. It is simultaneously, also undertaking a Seed Production and Marketing Programme to provide quality seed to farmers in addition to supplying them with quality agri-inputs for increasing their crop production & productivity.

Board of Directors alongwith delegates present during 31st Annual General Meeting of IFFDC

वैधानिक स्थिति

संस्था का पंजीयन बहुराज्यीय सहकारी समितियाँ अधिनियम (एम.एस.सी.एस.), 1984 (तत्पश्चात् एम.एस.सी.एस. (संशोधन) अधिनियम, 2023) के अंतर्गत सहकारिता एवं कृषि विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 22, 1993 को किया गया। इसकी पंजीयन सं. MSCS/CR/37/93 है।

सदस्यता

इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.), राज्य सहकारी संघ, प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियाँ (पी.एफ.एफ.सी.एस.), प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी समितियाँ (पी.एल.डी.सी.एस.), इसकी सदस्य हैं। 31 मार्च, 2025 को 172 सहकारी समितियाँ, आई.एफ.एफ.डी.सी. की सदस्य हैं।

शेयर पूँजी

100 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूँजी के सापेक्ष 31.03.2025 तक इसकी अभिदत्त व प्रदत्त पूँजी 13.37 करोड़ रुपये है, जो निम्नानुसार है:–

प्रत्येक शेयर का मूल्य (₹)	शेयर धारक	शेयरों की संख्या
50,000	इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड	2,507
	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	8
10,000	उ.प्र. सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड	1
	म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड	1
1,000	प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियाँ लिमिटेड एवं प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी समितियाँ लि.	7,930

गवर्नेंस

ग्रामीण समुदाय के समन्वित विकास के लिए प्रतिबद्ध, आई.एफ.एफ.डी.सी. की गवर्नेंस संरचना सहकारिता के मूल्यों एवं सिद्धांतों के उच्चस्तरीय मानकों को ध्यान में रखते हुए बहुराज्यीय सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम/नियमावली 2023 के प्रावधानों के अनुरूप गठित की गयी। इसके आन्तरिक प्रबन्धन एवं कार्य, इसके उपनियमों के अनुसार ही संचालित किये जाते हैं।

संस्था के ढाँचे में व्यवसाय पारदर्शिता, नियमित अनुश्रवण, आंतरिक भौतिक अंकेक्षण, समवर्ती अंकेक्षण तथा सांविधिक अंकेक्षण के माध्यम से आन्तरिक नियंत्रण एवं समीक्षा प्रक्रियाएं समाहित हैं। समिति की नीतियाँ एवं कार्य पद्धतियाँ न केवल सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा करती हैं बल्कि, इसके भागीदारों के सर्वोच्च हितों को सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती हैं।

निदेशक मण्डल

आई.एफ.एफ.डी.सी. के निदेशक मण्डल में विविधि पृष्ठभूमि वाले, प्राथमिक स्तर के निर्वाचित सहकारगणों के साथ–साथ संस्थाओं के प्रतिनिधित्व हेतु नामित व सहयोजित 15 सदस्य हैं। जिनसे, अंशधारक सदस्यों की आवश्यकता एवं हितों की पूर्ति सुनिश्चित होती है। महिलाओं के प्रतिनिधित्व के क्रम में निदेशक मण्डल में दो स्थान महिला निदेशकों के लिए तथा वंचित समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए एक स्थान आरक्षित किया गया है।

क्रियान्वयन स्तर पर आई.एफ.एफ.डी.सी., सामाजिक एवं ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विविध क्षेत्रों जैसे कृषि, इंजीनियरिंग, सामाजिक, सहकारिता, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, विपणन एवं सामान्य प्रबंधन में दक्ष तथा उच्च अनुभव रखने वाले प्रबंधकों के माध्यम से कार्य करती है।

Legal Status

IFFDC was registered on 22nd October, 1993 by the Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture, Government of India as a Multi-State Cooperative Society under the Multi-State Cooperative Societies (MSCS) Act, 1984 (subsequently under the MSCS (Amendment) Act 2023) with Registration No. "MSCS/CR/37/93".

Membership

Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd. (IFFCO), National Co-operative Development Corporation (NCDC), State Cooperative Federations, Primary Farm Forestry Co-operative Societies (PFFCS) and Primary Livelihood Development Cooperative Societies (PLDCS) are members of the IFFDC. As on March 31, 2025, IFFDC has 172 Cooperative Societies as its members.

Share Capital

Against an authorized share capital of Rs. 100 crore, the IFFDC's subscribed and paid-up capital as on 31.03.2025 is Rs. 13.37 crore illustrated as under:

Value of Each Share (₹)	Shareholders	No. of Shares
50,000	Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited	2,507
	National Cooperative Development Corporation	8
10,000	Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd.	1
	Madhya Pradesh State Cooperative Marketing Federation Ltd.	1
1,000	Primary Farm Forestry Cooperative Societies Ltd. and Primary Livelihood Development Cooperative Societies Ltd.	7,930

Governance

Committed to the integrated development of India's rural community, the IFFDC governance structure is designed adhering to the highest standards of Cooperative Values and Principles and is in conformity with the provisions of the Multi State Cooperative Societies (Amendment) Acts & Rules, 2023. Its internal management and functions are guided by its Bye-laws.

With business systems and processes in place that are designed for transparency, internal control through regular monitoring, internal physical audit, concurrent audit and statutory audit that enables adequate review. IFFDC's policies and practices are not only consistent with current statutory requirements, but also reflect its commitment to ensure the best interests of its members/stakeholders.

Board of Directors

IFFDC has 15 members from diverse backgrounds on its Board of Directors. These comprise grassroots based elected co-operators as well as nominated and co-opted members, who represent institutions that cater to the need and interests of its shareholders. Two seats on the Board for elected women Directors to represent the women and one seat for Schedule Caste/Tribes Director to represent the disadvantaged community are reserved.

On its operational front, IFFDC functions through skilled managers, who have wide experience & expertise in diverse fields related to social and rural development, agriculture, engineering, social, cooperation, finance, information technology, marketing and general management.

हमारा दृष्टिकोंण

आई.एफ.एफ.डी.सी. का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन विकसित करने और लैंगिक रूप से संवेदनशील ग्रामीण समुदायों के लिए स्थायी आजीविका विकल्पों को बढ़ाने के लिए जलवायु कार्यवाही और विकास को गति प्रदान करना है। संस्था का मानना है कि, संबंधित समुदायों की सक्रिय भागीदारी से ही सकारात्मक व वास्तविक परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं। अतः संस्था ने समुदाय के समग्र भागीदारी के साथ–साथ क्षमता निर्माण पर बल दिया है जो इसके विविध पोर्टफोलियो में अंतर्निहित है। समुदायों को परस्पर सहबद्ध रखने और मुख्य रूप से इसके अवधानों को दीर्घावधि तक चिरन्तर बनाये रखने के लिए सहकारिता के मार्ग पर आधारित संस्थागत निर्माण करना ही इसके कार्यक्रमों का प्रमुख आधार रहा है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने विकास एवं सम्बन्धित धारणाओं की उभरती आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप प्रादुर्भावित विशिष्ट मुद्दों पर कार्य करने के लिए तदानुसार अपनी रणनीतियाँ बनाईं। संस्था के पिछले दो दशकों के अर्जित अनुभवों ने इसके नये क्रियाकलापों को निश्चित किया, जिससे जलवायु क्रियाशीलता एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में संस्था को अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने में मदद मिली।

प्रारंभिक तौर पर प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियों ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को सम्बोधित कर वर्तमान समय में, वैश्विक समुदाय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। आई.एफ.एफ.डी.सी. ने समयानुसार विभिन्न पोर्टफोलियों को अपनी कार्यप्रणाली में सम्मिलित करते हुए अपने ग्रामीण विकास के मुद्दों का विस्तारीकरण किया जिनमें अधिकांशतया जलवायु परिवर्तन की कार्यसूची में से उभर कर आये हैं जो निम्नानुसार हैः

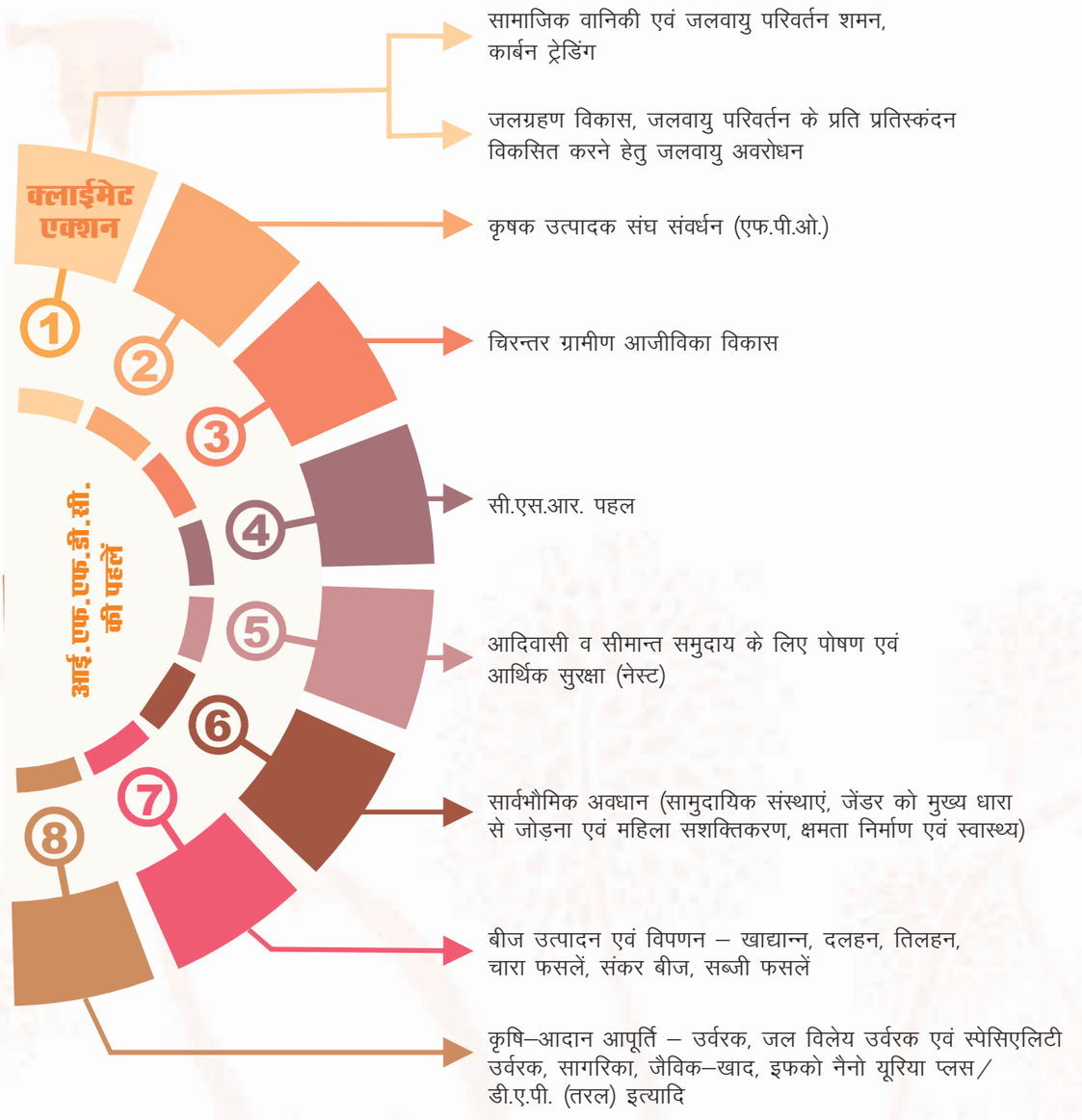

Our Approach

IFFDC's aim is to trigger climate action and development in rural areas and communities, enabling them on one hand to develop resilience to changing climates and on the other to enhance sustainable livelihood options for gender sensitive rural communities. Its conviction that this can be best achieved only with the active involvement of the communities that it works amongst, has engendered its overall participatory approach along with emphasis on capacity building that is in-built in its numerous portfolios. For holding communities together, and importantly, to ensure among other things, long term sustainability of its interventions, Institution Building, following the cooperative route, has been a major and an integral plank of its programmes.

IFFDC has accordingly framed its strategies to deal with specific issues arising as a corollary to the fast-growing development needs and their aligned imperatives. Its wealth of accumulated experience of the past two decades has in turn helped to create for it a distinct niche in the climate action and rural development arena.

Starting out primarily as a Farm Forestry Cooperative that would address the issue of Climate Change, which had at the time of its genesis caught the attention of the global community, IFFDC has over time expanded its areas of concern to include several portfolios, most of these emerging out of its primary agenda of rural development and all of it having direct or indirect bearing on its also primary agenda of addressal of Climate Change. These are described below :

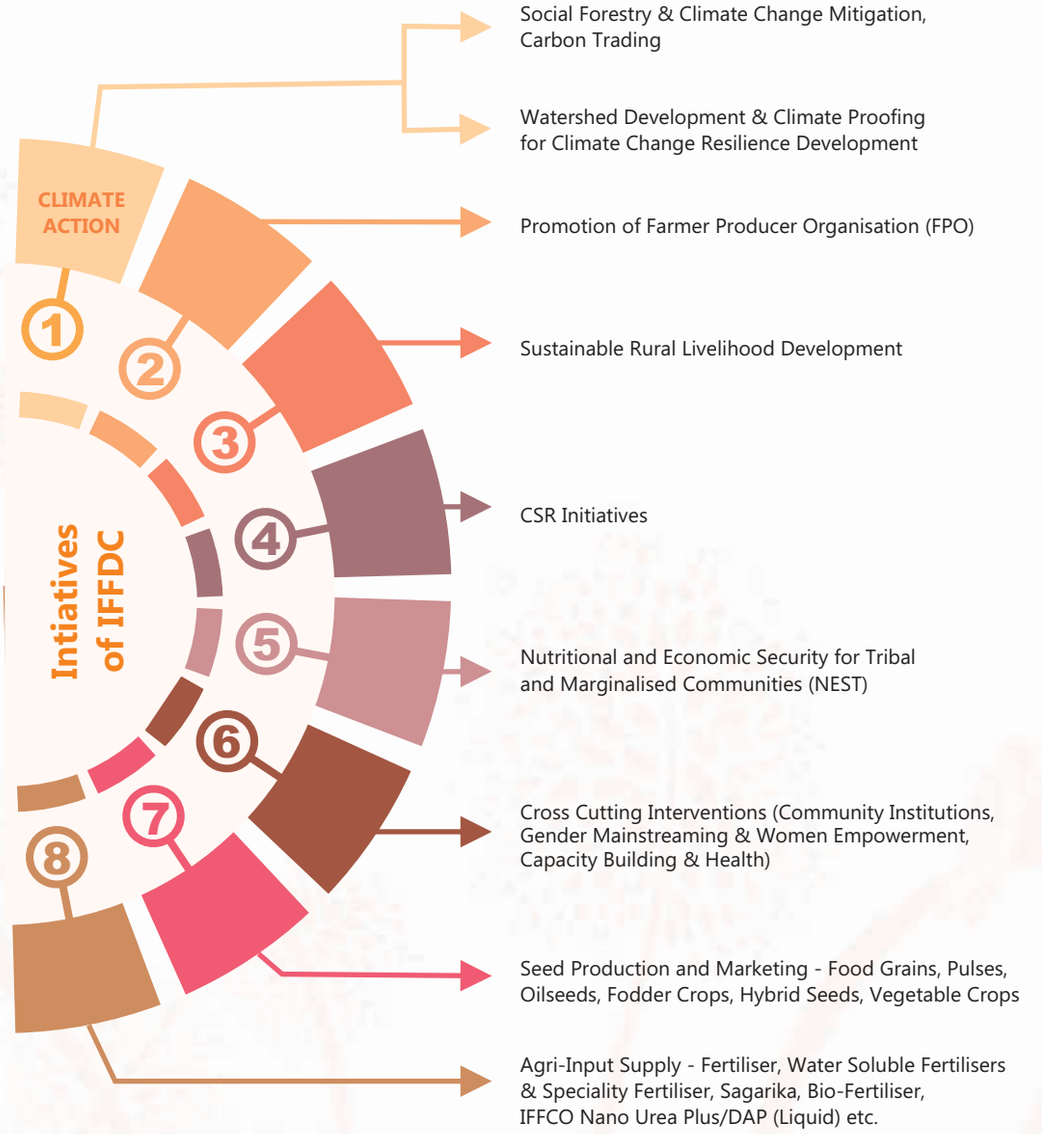

परियोजनाओं का विवरण

(अ) इफको द्वारा सहायतित परियोजनाएं

1. सामाजिक वानिकी परियोजनाएं (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तराखण्ड)
2. ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना (आर.एल.डी.पी.)
   (अ) ओडिशा
   (ब) पश्चिम बंगाल
3. हरित पट्टी विकास परियोजना – इफको पारादीप इकाई, ओडिशा

(ब) नाबार्ड द्वारा सहायतित परियोजनाएं

1. जल ग्रहण विकास परियोजनायें
   (अ) अमरीती, ब्लॉक मझगवाँ, जिला सतना (मध्य प्रदेश)
   (ब) सुरखी–घाना, ब्लॉक सुरखी, जिला सागर (मध्य प्रदेश)
   (स) कमलाडीह, नरसिंगपुर ब्लॉक, जिला कटक (ओडिशा)

(स) केन्द्र सरकार द्वारा सहायतित परियोजनाएं

1. **क्रियान्वयन एजेंसी–एन.सी.डी.सी.:** भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम–10,000 कृषक उत्पादक संगठनों का संवर्द्धन परियोजना के अंतर्गत चार राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखण्ड एवं गुजरात राज्यों में 25 कृषक उत्पादक संगठनों का संवर्द्धन
2. **क्रियान्वयन एजेंसी–नाबार्ड:** भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम – 10,000 कृषक उत्पादक संगठन संवर्द्धन परियोजना के अंतर्गत छः राज्यों अर्थात् हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों में 25 कृषक उत्पादक संगठनों का संवर्द्धन
3. **परियोजना मॉनीटरिंग इकाई (पी.एम.यू.):** सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यों को सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन तक विस्तारित करना

(द) सी.एस.आर. परियोजना

1. **ग्रीन बेल्ट विकास :** मित्सुई एंड कं. लि. के सी.एस.आर. अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बागवानी विभाग के विभिन्न पार्कों में हरीतिमा विकास

Details of Project

(A) IFFCO Supported Projects

1. Social Forestry Projects (Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttarakhand)
2. Rural Livelihood Development Projects (RLDP)
   (a) Odisha
   (b) West Bengal
3. Green Belt Development Project – IFFCO Paradeep Unit, Odisha

(B) NABARD Supported Projects

1. Watershed Development Projects
   (a) Amriti, Block Majhgawan, Distt. Satna (Madhya Pradesh)
   (b) Surkhi-Ghana, Block Surkhi, Distt. Sagar (Madhya Pradesh)
   (c) Kamladiha, Block Narsinghpur, District Cuttack (Odisha)

(C) Projects Supported by Central Government

1. **Implementing Agency - NCDC :** Promotion of 25 FPOs in four States i.e. Uttar Pradesh, Bihar, Uttarakhand and Gujarat under Central Sector Scheme of Government of India for Promotion of 10,000 Farmers Producer Organisation.
2. **Implementing Agency - NABARD :** Promotion of 25 FPOs in six States i.e. Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Uttarakhand, Madhya Pradesh and Maharashtra under Central Sector Scheme of the Government of India for Promotion of 10,000 Farmers Producer Organisations.
3. **Project Monitoring Unit (PMU)** for enhancing the Social Media reach of Initiatives of the Ministry of Cooperation, Government of India.

(D) CSR Project

1. **Green Belt Development :** Development of Greenery in Delhi NCT in Different Parks of the State Horticulture Department funded by Mitsui & Co. Ltd. CSR Initiative.

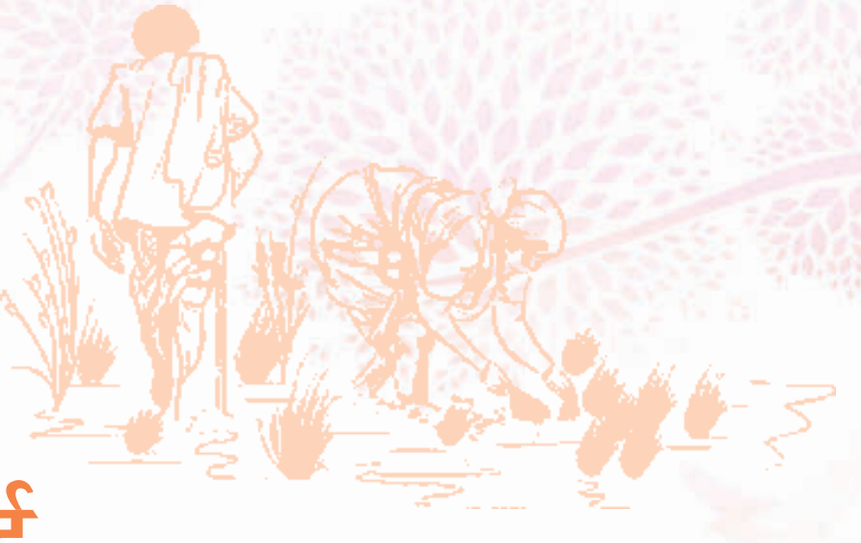

निदेशकों की रिपोर्ट

माननीय सहकार बन्धुओं,

अध्यक्ष एवं निदेशक मण्डल को, इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डवलपमेंट को–आपरेटिव लिमिटेड (आई.एफ.एफ.डी.सी.) के वर्ष 2024–25 के दौरान हमारी समिति द्वारा की गई उत्कृष्ट उपलब्धियों पर आधारित 32वीं वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष रखते हुए अत्यंत प्रसन्नता एवं संतोष की अनुभूति हो रही है। एक बार फिर समिति के लिए यह शानदार उपलब्धियों वाला वर्ष रहा है। सबसे पहले इन पर संक्षेप में चर्चा करना उचित होगा।

समिति ने इस वर्ष, 17.54 करोड़ रुपये का कर–पूर्व लाभ अर्जित किया है, जो अब तक का सर्वाधिक है और 2975 करोड़ रुपये का कारोबार किया है जो लगातार तीसरे वर्ष में भी एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। आईएफएफडीसी ने किसानों के लिए 3.40 लाख क्विंटल गुणवत्तापूर्ण बीज का उत्पादन भी किया और संकर एवं सब्जी बीजों के विपणन में कदम रखा। वर्ष के दौरान, लगभग 3.56 लाख क्विंटल बीजों का विपणन किया तथा 17.22 लाख मीट्रिक टन इफको उर्वरकों की बिक्री की। ये सभी ऐतिहासिक उपलब्धियाँ, कृषि वानिकी, जलवायु परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण और अन्य पहलों के अपने मुख्य उद्देश्यों पर पूर्णतया ध्यान केंद्रित करते हुए प्राप्त की हैं।

हमें आपको यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि, हमारी समिति, हमारे द्वारा पहले के वर्षों में किए गए वृक्षारोपण से उत्पन्न कार्बन क्रेडिट को प्राप्त करने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने वाली सहकारिता के क्षेत्र की पहली संस्था बन गई है। समिति ने न केवल इन कार्बन क्रेडिट को बेचा बल्कि, इससे हुयी आय को 11 सदस्य सहकारी समितियों और 120 उन किसानों के साथ साझा भी किया, जिनकी भूमि पर यह वृक्षारोपण किया गया था। हम इस अनुकरणीय उपलब्धि के लिए, सभी सदस्य समितियों, किसानों और पूरी आई.एफ.एफ.डी.सी. टीम को बधाई और धन्यवाद देते हैं! यह पहल निश्चित रूप से और अधिक किसानों, सहकारी समितियों और आई.एफ.एफ.डी.सी. के कर्मचारियों को हमारे विद्यमान और भविष्य के वृक्षारोपण अच्छा बनाने और उसे संजोकर रखने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

आज की दुनिया में जिस प्रकार के कार्यों को करने की नितांत आवश्यकता है उसी के अनुरूप कठिन क्षेत्र में हमारे द्वारा किये कार्यों के परिणामस्वरूप ही ये उपलब्धियाँ प्राप्त हुईं हुई हैं। जैसा कि आपको विदित है कि, हमारी समिति आई.एफ.एफ.डी.सी. ने क्लाईमेट एक्शन एवं ग्रामीण समुदाय को गरीबी से बाहर निकालकर, आत्मसम्मान व सशक्तिकरण की ओर ले जाने के लिए कार्य किये हैं।

हम इन समुदायों को तकनीकी, कौशल एवं उनकी क्षमताओं में वृद्धि करके उनके चारों ओर छाये अंधकार से बाहर निकालकर, एक उज्जवल भविष्य की रोशनी में लाने का प्रयास करते हैं।

आई.एफ.एफ.डी.सी. की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने और इसकी गतिविधियों के बारे में राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर जागरूकता पैदा करने के लिए, हमने इस वर्ष के दौरान, "अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आई.सी.ए.)" और "वन अनुसंधान संस्थान" जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों के साथ–साथ अन्य सहकारी मंचों पर भी सक्रिय रूप से भाग लिया है। इन प्रयासों ने हमारी उपलब्धियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

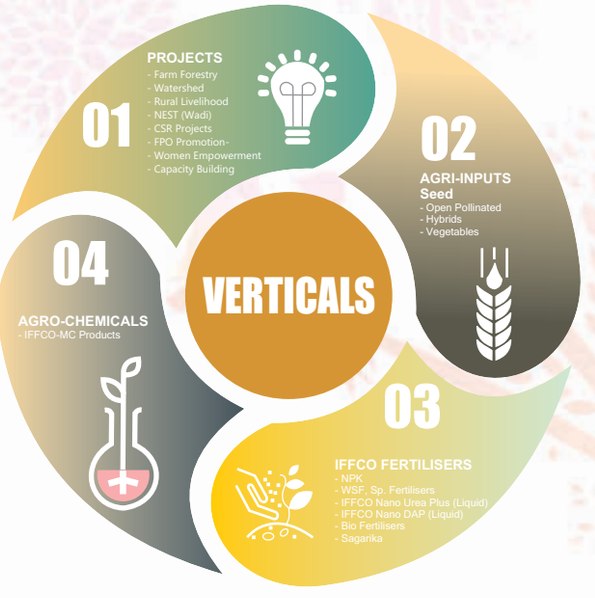

Director's Report

Honourable Co-operators,

The Chairman and the Board of Directors of Indian Farm Forestry Development Cooperative Ltd. (IFFDC) has immense pleasure and satisfaction in placing before you the 32nd Annual Report with excellent achievements by our Society during the year 2024-25. It has been yet again a year of splendid achievements for the Society and it would be appropriate to dwell on these briefly at the outset.

The Society has this year achieved its ever-highest Profit before Tax of Rs. 17.54 crores concomitant with its ever-highest turnover of Rs. 2975 crores, this is a record achievement for the third consecutive year. IFFDC also achieved a quality seed production of 3.40 lakh quintals for farmers and forayed into marketing of hybrid and vegetable seeds, marketing about 3.56 lakh quintals of seeds and selling 17.22 Lakh MT of IFFCO fertiliser. All these landmark achievements are without losing sight of its primary focus on its main objectives of Farm Forestry, Climate Change, Women Empowerment and other people centric initiatives.

We take pride in informing you that our Society has become the first organisation in the cooperative sector to obtain and sell in the international market, carbon credits generated by plantations done in the past. The Society not only sold these carbon credits but also creditably shared the earnings with 11 member cooperatives and with 120 farmers whose lands were used for plantation. We congratulate and thank all the member societies, farmers and the entire IFFDC team for this exemplary achievement! This initiative will certainly encourage more farmers, cooperatives and employees of IFFDC to undertake, maintain and cherish existing and future plantations with elevated conviction.

These achievements are the result of our actions in a much needed and difficult sphere of action in today's world. As you all are aware, our Society, IFFDC, remains devoted to climate action and uplifting rural communities from poverty to self-respect and empowerment. By imparting technology, skills and enhancing their capabilities, we strive to guide these communities out of the darkness they are surrounded by, into the light of a brighter future.

To project IFFDC's achievements and generate national and global awareness about its activities, we have during this year, actively participated in various esteemed national and international forums such as the "International Cooperative Alliance (ICA)" and the "Forest Research Institute" along with other cooperative platforms. These efforts have significantly contributed to our achievements.

आप निस्संदेह गर्व के साथ स्वीकार करेंगे कि, आपकी समिति ने देश भर में विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित की हैं। मैं पिछले वर्ष की कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियों पर प्रकाश डालने की अनुमति की अपेक्षा करता हूँ। हमारे बीज उत्पादन कार्यक्रम का विस्तार एक प्रमुख मील का पत्थर साबित हुआ, जिससे किसानों को संकर और सब्जी के बीजों सहित उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की एक विविध श्रृंखला उपलब्ध कराई गई। इस विस्तार से निस्संदेह उत्पादकता को बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने स्वदेशी तकनीक से निर्मित दुनिया के पहले नवाचार नैनो उर्वरकों में "इफको नैनो यूरिया प्लस (तरल) और इफको नैनो डीएपी (तरल)" का हमारे देश के किसानों के बीच प्रचार और वितरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमने इफको नैनो यूरिया प्लस (तरल) और इफको नैनो डीएपी (तरल) की 53.55 लाख बोतलों का सफलतापूर्वक विपणन किया, जिससे 2.46 लाख मीट्रिक टन पारंपरिक उर्वरकों का प्रभावी रूप से प्रतिस्थापन किया गया। यह निस्संदेह आई.एफ.एफ.डी.सी. की एक उत्कृष्ट उपलब्धि है, जिसको उर्वरक उपयोग की दक्षता के संदर्भ में दूरगामी परिणाम प्राप्त होंगे और यह एक ऐसी उपलब्धि है जिसकी सराहना की जानी चाहिए और इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

इसके अलावा, मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा शुरू की गई नई और चल रही परियोजनाओं के अलावा, हमारी समिति को नैनीताल (उत्तराखंड) और उमरिया (मध्य प्रदेश) जिलों में नई एकीकृत जलग्रहण विकास परियोजनाओं के क्षमता निर्माण चरण (सी.बी.पी.) को निष्पादित करने के लिए नाबार्ड द्वारा आमंत्रित किया गया है। हमें दी गई यह जिम्मेदारी, सतत् विकास के लिए हमारी क्षमता और प्रतिबद्धता में हम पर रखे गए विश्वास का प्रमाण है।

एक बार फिर, मैं सभी हितधारकों को जो हमारी समिति की प्रगति और उपलब्धियों को आगे बढ़ाने में सहायक रहे हैं, उन सभी के अटूट समर्थन और योगदान के लिए अपनी ईमानदारी से सराहना व्यक्त करता हूं। मैं अपने कर्तव्य में विफल हो जाऊंगा यदि मैं यह स्वीकार नहीं करता और हम सभी की ओर से, आपके समिति के समर्पित कर्मचारियों के प्रति हमारी कृतज्ञता को रिकॉर्ड पर नहीं लाता, जिनकी अटूट प्रतिबद्धता और दृढ़ता ने हमें सभी तरह से सफलता दिलाई है। यह उनके निरंतर प्रयासों का परिणाम है कि, हम विभिन्न फंडिंग एजेंसियों और सरकार से परियोजनाएं हासिल करने और उन्हें सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने में सक्षम हुए हैं, और सहभागिता से सतत् विकास के साथ–साथ ग्रामीण समृद्धि का लक्ष्य भी हासिल हुआ है। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं।

मैं विशेष रूप से आई.एफ.एफ.डी.सी. के पूर्व प्रबंध निदेशक श्री एस.पी. सिंह द्वारा प्रदान की गई उनकी अमूल्य सेवाओं का उल्लेख करना चाहूंगा, जो 31 जनवरी, 2025 को सेवानिवृत्त हुये थे। हम सब आई,एफ.एफ.डी.सी. टीम के प्रदत्त उनके नेतृत्व और इन शानदार उपलब्धियों की प्राप्ति में योगदान के लिए उनके आभारी हैं।

मुझे विश्वास है कि आप सभी मिलकर और हमेशा मिलने वाले आपके समर्थन से हम ग्रामीण समुदायों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालना जारी रखेंगे और सभी के लिए उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे।

रामपुराफुल, बठिंडा (पंजाब) में आई.एफ.एफ.डी.सी. की बीज प्रसंस्करण इकाई

You would undoubtedly acknowledge with pride, the outstanding work carried out by your Society across the country, encompassing a wide array of activities. Allow me to highlight some noteworthy accomplishments from the past year. A major milestone was the expansion of our Seed Production Programme, providing farmers with a diverse range of high-quality seeds, including hybrid and vegetable seeds. This expansion will undoubtedly enhance productivity and positively impact food security.

IFFDC has also played a pivotal role in the promotion and distribution amongst farmers in our nation, of the world's first innovation in nano fertilizers manufactured with indigenous technology, "IFFCO Nano Urea Plus (Liquid) and IFFCO Nano DAP (Liquid),". We successfully marketed 53.55 lakh bottles of IFFCO Nano Urea Plus (Liquid) and IFFCO Nano DAP (Liquid), effectively replacing 2.46 lakh metric tonnes of conventional urea. This is without doubt an outstanding achievement of IFFDC with far reaching implications in terms of fertiliser use efficiency and and an achievement to be applauded and accelerated.

Furthermore, I am delighted to inform you that in addition to the new and ongoing projects initiated by IFFDC, our Society has been invited by NABARD to execute the capacity building phase (CBP) of the new Integrated Watershed Development Projects in Districts Nainital (Uttarakhand) and Umariya (Madhya Pradesh). This responsibility given to us evidences the trust placed in our capability and commitment to sustainable development.

Once again, I extend my sincere appreciation to all stakeholders for their unwavering support and contributions, all of which have been instrumental in driving our Society's progress and achievements.

I would be failing in my duty if I did not acknowledge and place here on record, on behalf of us All, our gratitude to the dedicated staff of your Society, whose unwavering commitment and perseverance has enabled our success in all ways. It is as a result of their unceasing efforts that we have been able to secure projects from various funding agencies and the government and implement them successfully, engendering the rural prosperity that is intended along with sustainable development in participatory mode. I thank them heartily.

I would specially like to make mention of the invaluable services rendered by Shri S.P. Singh, Former Managing Director, IFFDC, who superannuated on 31st January, 2025. We are grateful to him for his leadership of the IFFDC Team and contribution to these splendid achievements.

Together, with all of you and your remarkable support at all times, I am confident that we shall continue to create a positive impact on the lives of rural communities and build a brighter future for all.

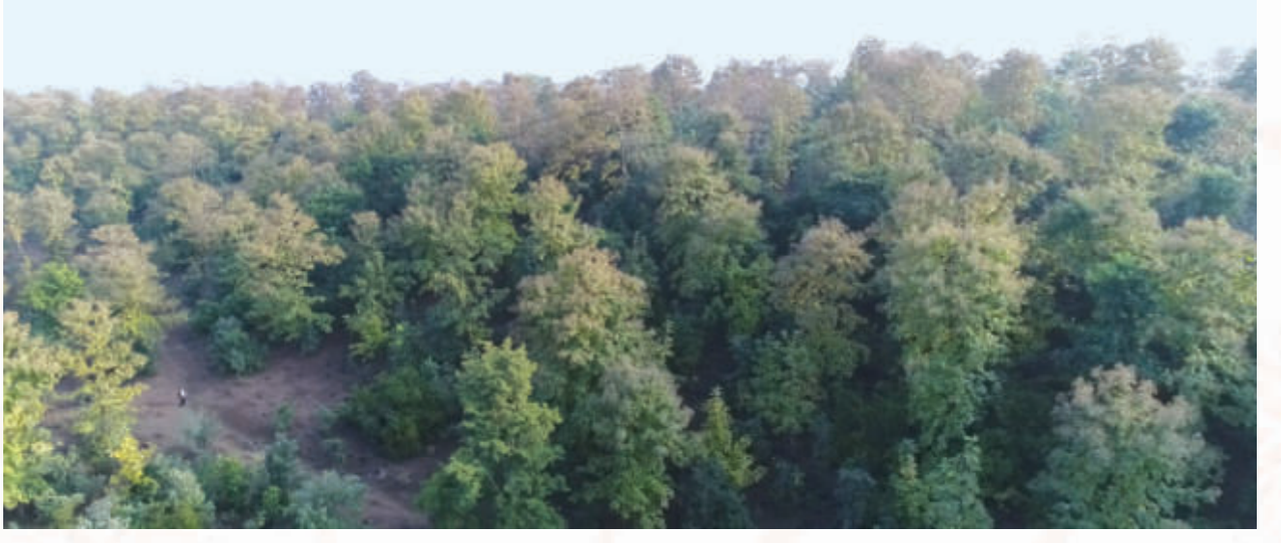

Dense forest developed on wasteland at Jaitpur Kachhya PFFCS (Madhya Pradesh)

क्लाईमेट एक्शन (सतत् विकास लक्ष्य–13, 15, 1, 2 & 3)

विश्व के सभी देशों द्वारा विकास की दिशा में कार्य करने हेतु संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 17 सत्त विकास के लक्ष्य निर्धारित किये गये। यह सचमुच बहुत संतोष की बात है कि, आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा अपने सामाजिक वानिकी विकास कार्यक्रम, समन्वित जलग्रहण प्रबंधन व जलवायु परिवर्तन शमन की गतिविधियों के माध्यम से सत्त विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.)– 13 "क्लाईमेट एक्शन", एस.डी.जी.–15 "भूमि पर जीवन", एस.डी.जी.–1 "गरीबी नहीं", एस.डी.जी.–2 "शून्य भुखमरी" एवं एस.डी.जी.–3 "अच्छा स्वास्थ्य कल्याण" की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान किया गया है।

1. सामाजिक वानिकी विकास

आई.एफ.एफ.डी.सी. का मुख्य कार्यक्रम प्रक्षेत्र वानिकी विकास है जिसमें, किसानों की व्यक्तिगत, ग्राम पंचायत तथा राजकीय राजस्व बंजर व सीमांत भूमियों पर सहभागी वानिकी विकास के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। संबंधित ग्रामीण समुदायों को प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियों (पी.एफ.एफ.सी.एस.) के माध्यम से संगठित किया गया है। ये समितियां, सहभागी वनों का चिरंतर आधार पर प्रबन्धन करने में मुख्य सामुदायिक संस्था के रूप में सहायक सिद्ध हो रही हैं।

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा इन पी.एफ.एफ.सी.एस. को आवश्यक तकनीकी, वित्तीय, क्षमता निर्माण, संबंध विकसित करने, विपणन एवं स्त्रोत जुटाने से संबंधित आदानों के लिए सहायता की जा रही है। इसके अवधानों के फलस्वरूप, 500 से अधिक गांवों में न सिर्फ हरीतिमा विकसित हुई है बल्कि, बंजर भूमि भी पुनःरक्षित हुई है। वर्तमान में, विद्यमान वनों से आर्थिक लाभ केवल चयनित छटाई, घास एवं लघु वनोपज आदि तक सीमित है, इसे समुदाय के लाभ हेतु कार्बन क्रेडिट सृजन, अन्य पर्यावरणीय सेवाओं के माध्यम से और अधिक बढ़ाया जा रहा है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. के समग्र दृष्टिकोण का ध्यान, अन्य संबंधित गतिविधियों जैसे अवैध कटाई व अतिक्रमण एवं आग से बचाव, हितधारकों के आर्थिक लाभ के लिए बेहतर वनोपज प्रदान करने, इन वनों के माध्यम से उत्पन्न कार्बन क्रेडिट के व्यवसाय जैसे अन्य वैकल्पिक अवसरों तथा इस भूमि के उपयोग अधिकारों को पुनः परिभाषित करने आदि पर भी केन्द्रित है। वानिकी समितियों को चिरन्तरता हेतु आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के क्रम में शीघ्र बढ़वार वाली व्यावसायिक उन्नत एवं दीर्घावधि वाली स्वदेशी पौध प्रजातियों के रोपण व कृषि आदानों के व्यवसाय करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी समिति मलिकमऊ में बंजर भूमि पर विकसित सघन वन

Climate Action (Sustainable Development Goal - 13, 15, 1, 2 & 3)

The United Nations General Assembly has defined 17 Sustainable Development Goals (SDG) to be acted upon by the nations of the World. It is indeed a matter of great satisfaction that IFFDC has made a significant contribution towards Sustainable Development Goal (SDG-13) "Climate Action", SDG-15 "Life on Land", SDG-1 "No Poverty", SDG-2 "Zero Hunger" and SDG-3 "Good Health & Well Being" through its multiple Social Forestry Development Programmes, Integrated Watershed Management, Climate Proofing activities etc.

1. Social Forestry Development

IFFDC's flagship programme of Farm Forestry focuses on mitigating climate change effects through developing participatory forestry on waste and marginalised lands belonging to individual farmers, village Panchayats and Government. The concerned communities are organised by IFFDC initial actions into Primary Farm Forestry Cooperative Societies (PFFCS), designed as the key community institutions to manage and maintain the developed participatory forests, on a sustainable basis.

IFFDC supports the PFFCS with the necessary technical and financial inputs, as well as capacity building, networking, marketing and resource mobilisation inputs. As a result of its intervention, the green cover has not only been improved in more than 500 villages, but degraded lands therein have also been restored. Economic returns from existing forests are presently restricted to selective pruning, Grasses and Minor Forest Produce (MFP) etc. This has been further accelerated so as to harvest other environmental services/benefits to the community through carbon credits generation.

The integrated approach followed by IFFDC has also led to attention being given to related activities such as control of illegal felling, prevention of encroachment and fire, better forest yield for improving economic returns to the stakeholders, commercial options such as trading of carbon credits generated through these forests and defining the usufruct rights of these lands, etc. The PFFCS are being encouraged to undertake plantation of improved fast growing as well as indigenous long gestation plant species and business of Agri-inputs for economic self-sufficiency and sustainability.

Melia Composita plantation under Agro-forestry in PFFCS Haliyapur, Distt. Sultanpur (Uttar Pradesh)

शुरुआत में आई.एफ.एफ.डी.सी. ने वृक्षारोपण हेतु उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तराखण्ड राज्यों में कई दशकों से वृहद् स्तर पर खाली पड़ी हुई बंजर भूमि की पहचान की। यह बंजर भूमि, राजस्थान में ग्राम पंचायत, उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड में निजी कृषकों तथा मध्य प्रदेश में राजस्व के स्वामित्व वाली है। विकसित 29,421 हैक्टेयर सामुदायिक वानिकी के प्रबंधन हेतु 151 प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियाँ (पी.एफ.एफ.सी.एस.) विकसित की गयी हैं। इन वानिकी सहकारी समितियों के अंतर्गत वानिकी उन्नयन पर "अनुसंधान व विकास" का कार्य भी किया जा रहा है।

इफको की सहायता और वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून के तकनीकी मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की समितियों में नीम (अजाडीरेक्टा इंडिका) के 153 जीनोटाइप्स के चार शोध परीक्षण किए गए हैं। स्वदेशी प्रजातियों का सघन व अल्पावधि में वन विकसित करने हेतु उत्तर प्रदेश की कनकसिंहपुर वानिकी समिति में 'मियावाकी पद्धति' (एक जापानी तकनीकी) अपनायी गयी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ड्रैगन फ्रूट, सेब (हरमन–99) और समिति क्षेत्र में सीताफल (बालानगर) का रोपण परीक्षण के आधार पर शुरू किया गया।

संयुक्त राष्ट्र के कुल 17 सतत् विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) में से, यह परियोजना, 5 एस.डी.जी. प्राप्ति में सहयोग कर रही है। विकसित हो रहे वन, वायुमंडलीय कार्बन को अवशोषित कर रहे हैं जिससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में सहायता मिल रही है जिससे एस.डी.जी.–13 "क्लाईमेट एक्शन" को संबोधित किया जा रहा है। जल भराव वाले क्षेत्र में विकसित जंगल क्षेत्र अब पक्षियों के अभ्यारण्य के रूप में विकसित हो गया है। विकसित वनों में वन्य जीवन और कई नई पौधों की प्रजातियाँ और घासें उभर रही हैं जिससे एस.डी.जी.–15 "भूमि पर जीवन" को संबोधित करने में योगदान मिल रहा है। इससे एस.डी.जी.–1 "कोई गरीबी नहीं" में भी योगदान मिल रहा है क्योंकि, वृक्षारोपण गतिविधियाँ ग्रामीण समुदाय के लिए रोजगार सृजित करती हैं जो उनके परिवारों के लिए आय का साधन बना है। आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा कृषि उद्यानिकी प्रणाली के तहत् फल वृक्षों का भी रोपण किया जा रहा है, जिससे परियोजना क्षेत्र में पोषक भोजन की उपलब्धता में वृद्धि हुई है, जिससे एस.डी.जी. नंबर – 2 "शून्य भूख" और एस.डी.जी. नंबर –3 "अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण" को संबोधित किया जा रहा है।

आई.सी.ए. ग्लोबल कॉन्फ्रेंस 2024 को कार्बन न्यूट्रल बनाने हेतु आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा इफको पारादीप ओडिशा में फाईकस रिलिजिओसा (पीपल) के पौधों का रोपण

At the outset, IFFDC identified for afforestation large tracts of wasteland, which had been lying almost barren for decades in the states of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttarakhand. These acquired wastelands are Panchayat lands in Rajasthan, individual lands in Uttar Pradesh & Uttarakhand and Revenue land in Madhya Pradesh. 151 Primary Farm Forestry Cooperative Societies (PFFCS) have been developed for management of the community forests developed on 29,421 Hectares.

Research and development work on Forestry improvement, an important input for continued qualitative and quantitative enhancement of ongoing efforts, is also being undertaken by these PFFCS. Four research trials of 153 Genotypes of Neem (Azadirachta indica) have been undertaken in the PFFCS of Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh with the help of IFFCO and under the technical guidance of Forest Research Institute, Dehradun. The 'Miyawaki' method (a Japanese Technique) for developing fast and dense forests of indigenous species has also been adopted in Kanaksinghpur PFFCS of Uttar Pradesh. Plantation of Dragon Fruits, Apple (Harman-99) in the tropical region and Custard apple (Balanagar) has been introduced in PFFCS areas on trial basis.

Out of the total 17 Sustainable Development Goals (SDG) of the United Nation's, this project addresses 5 SDGs. The developed forests are sequestrating atmospheric carbon which helps in mitigating climate change, addressing SDG– 13 "Climate Action". The forest-developed in waterlogged areas has now been developed into a bird sanctuary. Wild life and many new plant species and grasses have emerged in these forests, which are contributing to SDG – 15 "Life on Land". These developments also contributes to the SDG – 1 "No Poverty" as the plantation activities generate employment for the rural community, which in turn generates income for their families. IFFDC is also undertaking fruit plantation under Agro-horti system, which noticeably increases nutritive food availability in the project area addressing thereby the SDG - 2 "Zero Hunger" and SDG -3 "Good Health & Well Being".

Dense forest developed on Wasteland at Malikmau PFFCS, Distt. Raebareli (Uttar Pradesh)

परियोजना विवरण

राज्य	जिला	कुल क्षेत्र (हेक्ट.)	कुल विद्यमान वृक्ष (लाख)
उत्तर प्रदेश	सुलतानपुर, रायबरेली, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, लखनऊ, अमेठी, उन्नाव	12,951	51.39
उत्तराखण्ड	नैनीताल, चम्पावत	207	0.87
राजस्थान	उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद	9,713	20.85
मध्य प्रदेश	सागर, छतरपुर, टीकमगढ़	6,550	35.44
	योग	**29,421**	**108.55**

सामाजिक वानिकी में नये अवधान

(अ) कृषि वानिकी प्रणाली विकास

भारतीय वनों से लगभग 3000 लाख लोगों को अपनी आजीविका चलाने में मदद मिलती है तथा ये जलवायु परिवर्तन शमन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हैं। भारत सरकार ने यू.एन.एफ.सी.सी.सी. को वर्ष 2030 तक वानिकी क्षेत्र से 250–300 करोड़ टन कार्बन का स्वैच्छिक रूप से अतिरिक्त अवशोषण करने के निश्चय का वादा किया। यदि भारत के सभी खुले वनों को संरक्षित कर लिया जाये तो भी मात्र 9 लाख टन अतिरिक्त कार्बन का अवशोषण किया जा सकता है, शेष कार्बन की मात्रा को वन क्षेत्रों से बाहर वृक्ष उगाकर ही अवशोषित किया जा सकता है। वन क्षेत्र के बाहर वृक्ष उगाने के लिए कृषि वानिकी भी एक अच्छा विकल्प है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि, कृषि वानिकी विकास को बढ़ावा दिया जाये। इसलिए भारत सरकार की एन.डी.सी. प्रतिबद्धता के संदर्भ में, आई.एफ.एफ.डी.सी. ने किसानों के खेतों पर कृषि वानिकी विकसित करने के लिए एक नई पहल की है। यह न केवल जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करता है बल्कि, किसानों को अतिरिक्त आय उत्पन्न करने में भी मदद करता है। इस प्रकार, एन.डी.सी. प्रतिबद्धता में योगदान करने के साथ–साथ कृषि वानिकी, भारत सरकार के मिशन "किसानों की आय को दुगुनी करना" में भी मदद करता है।

वानिकी समिति हलियापुर, जिला सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश) अंतर्गत मिलिया कम्पोजिटा वृक्षारोपण

PROJECT DETAILS

State	District	Total Covered Area (ha)	Total Existing Trees (Lakh)
Uttar Pradesh	Sultanpur, Raebareli, Prayagraj, Kaushambi Pratapgarh, Lucknow, Amethi, Unnao	12,951	51.39
Uttarakhand	Nainital, Champawat	207	0.87
Rajasthan	Udaipur, Chittorgarh, Rajsamand	9,713	20.85
Madhya Pradesh	Sagar, Chhatarpur, Tikamgarh	6,550	35.44
	Total	**29,421**	**108.55**

New Initiatives in Social Forestry

(a) Agro-forestry System Development:

Indian Forests are helping in improving the livelihoods of about 3000 lakh people and are important for mitigating Climate Change. The Government of India has committed to UNFCCC an additional voluntary reduction of 2.5-3 billion tonnes of CO_2 e by 2030 from its forestry sector. If all of India's open forests are taken up for restoration, only about 0.9 million tonnes of CO_2e worth additional carbon sink can be created. The balance will need to be from Trees outside Forests (ToF). Agro-forestry is one of the best options for developing ToF. Therefore, it becomes imperative to focus on the potential of ToF. It is in this context of India's NDC commitment, IFFDC has undertaken the new initiative of developing agro-forestry on farmer fields. This not only helps in mitigating Climate Change but also helps in additional income generation to farmers. Besides contributing to NDC commitment, development of Agro-forestry also contributes toward the mission "Doubling Farmer's Income" of the Government of India.

Guava L-49 plantation in Gadoli PFFCS, Distt. Udaipur (Rajasthan)

कृषि वानिकी के अंतर्गत रोपित की जाने वाली प्रजातियाँ व्यावसायिक उपयोग, शीघ्र बढ़ने वाली तथा जल्दी परिपक्व होने वाली हैं। कृषि वानिकी के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु चयनित पौध प्रजातियाँ मिलिया कम्पोजिटा (बर्मा नीम), ऐलैंथस एक्सेल्सा (महारुख) तथा सहजन आदि हैं। वर्ष के दौरान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्यों में 114 किसानों के खेतों पर कुल 0.88 लाख पौधे लगाये गये।

(ब) कृषि उद्यानिकी प्रणाली विकास

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 से पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से "राष्ट्रीय बागवानी मिशन" (एन.एच.एम.) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा भारत सरकार के एन.एच.एम. एवं "सतत् विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) नं. 1" "गरीबी नहीं" व (एस.डी.जी) नं. 2 "शून्य भुखमरी" में सहयोग करने के लिए अपने विद्यमान घटक सामाजिक वानिकी व जलवायु परिवर्तन में कृषि–उद्यानिकी को सहयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को अतिरिक्त आय सृजन कराना है और उनके परिवारों के लिए पोषण का स्त्रोत उपलब्ध कराना है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा किसानों की कृषि योग्य भूमि पर परंपरागत फसलों के साथ तात्कालिक लाभ देने वाली फलदार पौध प्रजातियाँ जैसे केला, अमरूद एवं अन्य फलदार प्रजातियों के रोपण के लिए वित्तीय व तकनीकी सहायता प्रदान करना प्रारंभ किया गया। वर्ष के दौरान, आम, सेब (हरमन), ड्रेगन फ्रूट व अमरूद आदि के लगभग 1,275 पौधे लगाए गए। कृषि–उद्यानिकी कार्यक्रम को अपनाने से प्राप्त परिणामों ने अधिक किसानों को इस प्रणाली की ओर आकर्षित किया है।

(स) कार्बन क्रेडिट के लिए कदम

वनीकरण और पुनःवनीकरण कार्बन डाइ–ऑक्साइड (CO_2) को अवशोषित करता है जिससे वायुमण्डल में CO_2 की सांद्रता कम होती है। CO_2 की इस सांद्रता में कमी का उपयोग मुख्य रूप से विकसित देशों में उद्योगों द्वारा CO_2 के उत्सर्जन को ऑफसेट करने के लिए किया जा सकता है। वातावरण से CO_2 में इस तरह की कमी को स्वैच्छिक उत्सर्जन में कमी (VER) के रूप में माना जाता है और विकसित देशों में विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में इसकी काफी मांग है।

वानिकी समिति को कार्बन क्रेडिट परियोजना से प्राप्त राजस्व के लाभ का वितरण

The species planted under agro-forestry are of commercial use, fast growing and early maturing varieties. Such plant species selected for agro-forestry plantations are Melia composita (Burma Neem), Ailanthus excelsa (Maharukh) and Eucalyptus Clone etc. During the year, 0.88 lakh saplings have been planted on the fields of 114 farmers in Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh.

(b) Agri-Horti System Development

The Government of India is implementing the "National Horticulture Mission" (NHM) since 2004 aimed at ensuring nutritional security and income generation for farmers. To contribute to the objectives of the NHM and the Sustainable Development Goal (SDG) No. 1 "No Poverty" and (SDG) No. 2 "Zero Hunger", IFFDC has grafted the component of Agri-Horti system development to its existing Social Forestry and Climate Change portfolio.

IFFDC also has been generously providing financial and technical support to farmers to undertake plantation of fruit species on their arable land along with traditionally grown crops. The fruit species, such as Banana, Guava and others gives immediate returns to the farmers. During the year, about 1,275 saplings of Mango, Apple (Harman), Dragon fruit and Guava were planted. The encouraging results evidenced by adoption of Agri-Horti programmes has attracted more farmers to this system.

(c) Steps for Carbon Credits

Afforestation & Reforestation absorbs Carbon Di-oxide (CO_2) and thus reduces the CO_2 in the atmosphere. This reduction of CO_2 can be used for off-setting the emission of CO_2 mainly by industries in developed countries. Such reduction of CO_2 from the atmosphere can be traded as Voluntary Emission Reduction (VER) and is in demand in developed countries particularly in the United States of America and Europe.

Carbon Credit Project's verification audit by accredited auditors

ग्रामीण समुदायों के लिए अपने आउटपुट का मुद्रीकरण करने और आय बढ़ाने के साथ–साथ वानिकी में निरंतर और त्वरित कार्यवाही को प्रोत्साहित करने के लिए नए आयाम सृजित करने हेतु "कार्बन फाइनेंस" के क्रम में आईएफएफडीसी ने उत्तर प्रदेश की 11 समितियों में वर्ष 2008 से 2013 के दौरान विकसित 189 हैक्टेयर वृक्षारोपण क्षेत्र के लिए एक कार्बन क्रेडिट परियोजना वेरा रजिस्ट्री, वाशिंगटन डीसी के साथ पंजीकृत की। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के लिए परियोजना प्रस्ताव तैयार करने, परियोजना का प्रमाणीकरण और सत्यापन अंकेक्षण कराने तथा कार्बन क्रेडिट की बिक्री में सहयोग करने के लिए आई.एफ.एफ.डी.सी. ने मैसर्स इमरजेंट वेंचर इंडिया प्रा. लि. (EVI) को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। मैसर्स साइंस, देहरादून द्वारा वानिकी स्थलों की जीपीएस मैपिंग और मैसर्स रेनफॉरेस्ट एलायंस, इंडोनेशिया द्वारा वीसीएस प्रमाणीकरण ऑडिट कार्य पूरा किया गया। इसके अलावा, मैसर्स कार्बन चेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा परियोजना का सत्यापन ऑडिट का कार्य पूर्ण किया गया है।

कार्बन क्रेडिट परियोजना को अप्रैल 2023 में वैरा के साथ पंजीकृत किया गया था और 2008 से 2022 (पहली तिमाही) की अवधि के लिए मई, 2023 के महीने में सत्यापित कार्बन मानक (वी.सी.एस.) मे तहत् 78000 कार्बन क्रेडिट जारी किए गए थे। जिसमें से 48,998 कार्बन क्रेडिट की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री की गयी, जिससे 7.68 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। जिसमें से 1.50 करोड़ रुपये संबंधित 11 वानिकी सहकारी समितियों को और 3 करोड़ रुपये 120 किसानों को जिनकी भूमि पर यह अधिकृत वृक्षारोपण किया गया था उनको दिए गए।

कार्बन क्रेडिट के राजस्व को साझा करने के लिए आई.एफ.एफ.डी.सी., वानिकी समितियाँ और भू–स्वामी सदस्य किसानों के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया। समझौते के तहत्, सत्यापन और सत्यापन ऑडिट शुल्क, जी.पी.एस. मैपिंग, वेरा शुल्क आदि सहित कार्बन क्रेडिट परियोजना के विकास पर होने वाले खर्चों में कटौती के बाद, क्रेडिट की बिक्री से उत्पन्न शुद्ध राजस्व में से 25 प्रतिशत वानिकी समितियों, जहाँ वृक्षारोपण किया गया, 50 प्रतिशत संबंधित भू–स्वामी सदस्य किसानों तथा 25 प्रतिशत आई. एफ.एफ.डी.सी. को साझा किया। इस परियोजना से तीनों हितधारकों के लिए वर्ष 2008 से 2038 तक 30 वर्षों के लिए कार्बन क्रेडिट का राजस्व प्राप्त होगा।

आईएफएफडीसी की उक्त कार्बन क्रेडिट की पायलट परियोजना की सफलता संस्था के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई है, जिससे संस्था के प्रयासों को और बल मिला है। आईएफएफडीसी ने एक दूसरी परियोजना तैयार कर वेरा रजिस्ट्री, वाशिंगटन डीसी के साथ आधिकारिक रूप से सूचीबद्ध कर दी है। इस दूसरी कार्बन क्रेडिट परियोजना का सत्यापन ऑडिट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

डभियार वानिकी समिति उत्तर प्रदेश में कार्बन क्रेडिट परियोजना के अंतर्गत वृक्षों की वृद्धि एवं विकास का मापन

Recognizing the transformative potential of "Carbon Finance" to unlock new avenues for forest-dwelling and rural communities to monetise their outputs and enhance incomes as also incentivise continuous and accelerated action in forestry, IFFDC got registered a carbon credit project with VERRA Registry, Washington DC covering 189 ha plantation area developed during 2008 to 2013 in 11 PFFCS of Uttar Pradesh. To facilitate the carbon credit trading mechanism, M/s Emergent Venture India Pvt. Ltd. (EVI) were appointed as consultants for the preparation of the project proposal, development and facilitation of validation, verification of Afforestation/Reforestation Project and sale of carbon credits. The GPS Mapping of the forestry sites by M/S Science, Dehradun and VCS validation audit work by M/s Rainforest Alliance, Indonesia have been completed. Further, the verification audit of project has been duly completed by M/s Carbon Check (India) Pvt Ltd.

The carbon credit project was registered in April 2023 with VERRA resulting in 78000 carbon credits under Verified Carbon Standard (VCS) being issued in the month of May, 2023 for the period from 2008 to first quarter of 2022. Of these, 48,998 carbon credits have so far been sold on the international market, resulting in a revenue of Rs 7.68 crore. Of the total revenue so far generated, Rs 1.50 crore has ben shared among 11 forestry cooperatives and Rs 3 crore shared among 120 farmers on whose fields the accredited plantation was done.

Tri-party agreements on sharing the revenue from carbon credits, after deduction of the expenses on development of the carbon credit project including validation & verification audit fee, GPS Mapping. VERRA Fee etc. were signed between IFFDC, Forestry Cooperative and land owner member farmers. Out of the net revenue so generated, the Agreement specifies that 25% be shared with the concerned Forestry Cooperative Societies, 50% with the Land owner member farmers and 25% would be the share of IFFDC. This project will generate carbon credit revenue for all the three stakeholders for 30 years from 2008 to 2038.

This achievement of IFFDC's Carbon Credit pilot project have established an inspiring milestone, further bolstering its endeavours. IFFDC has since diligently devised and officially enlisted a second project with the VERRA Registry in Washington DC. The validation of the second project has been completed.

Measuring of sample plot at Kumharawan PFFCS under Carbon Credit Project, Uttar Pradesh

प्रगति

- 239 हैक्टेयर (उत्तर प्रदेश मे 130 हैक्टेयर, उत्तराखण्ड मे 27 हैक्टेयर, मध्य प्रदेश मे 35 हैक्टेयर और राजस्थान मे 47 हैक्टेयर) में वृक्षारोपण किया गया है। विभिन्न समितियों द्वारा 2.53 लाख पौधे (उत्तर प्रदेश में 1.41 लाख, उत्तराखण्ड में 0.26 लाख, मध्य प्रदेश में 0.35 लाख और राजस्थान में 0.51 लाख) लगाए गए हैं। प्रमुख प्रजातियाँ मिलिया (बर्मा नीम), महारुख, क्लोन यूकेलिप्टस, सागौन व तेजपत्ता आदि है। देश में विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु इफको को नीम के 6.34 लाख पौधों की आपूर्ति की गई।
- विभिन्न समितियों की 98 वार्षिक आम सभायें व 732 कार्यकारिणी कमेटी की बैठकें आयोजित की गयीं। स्वयं सहायता समूहों की 3,220 बैठकें और सचिवों की 44 बैठकें आयोजित की गयीं। 111 वानिकी समितियों ने ऑडिट पूर्ण किया।
- 06 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया जिसमें 320 रोगियों की जाँच की गयी व 05 पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जिसमे 550 पशुओं की जाँच व उपचार किया गया। 11 महत्वपूर्ण दिवस जैसे पर्यावरण दिवस, महिला दिवस, किसान दिवस आदि मनाये गये।
- नव गठित स्वयं सहायता समूह के लिए, ''उचित संचालन व प्रबंधन'' पर 07 प्रशिक्षण आयोजित किये गये। स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों ने महसूस किया कि इस प्रशिक्षण से उन्हे अपनी भूमिकाओं व जिम्मेदारियों को एक कुशल तरीके से निभाने में मदद मिली है।
- वानिकी समिति इंटाली (उदयपुर) में कौशल विकास हेतु, कपड़ों पर परम्परागत डिजाइन की ''ब्लॉक प्रिन्ट'' कार्य पर एक 20 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 10 महिलाओं ने ब्लॉक प्रिंन्टिग का कार्य सीखा।
- सचिवों के लिए ''रिकार्ड रखरखाव एवं लेखा'' पर 01 प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। सचिवों को विभिन्न रिकॉर्ड/रजिस्टर और बुक रखरखाव पर जानकारी दी गयी।
- नंदमहर, समिति (उ.प्र.) में कौशल विकास हेतु, 3 माह की अवधि के 01 सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं, जिसमें 30 महिलायें सिलाई के कार्य मे प्रशिक्षित हुईं।

परिणाम

- प्राथमिक वानिकी समितियाँ पर्यावरण संरक्षण और जलाऊ लकड़ी, चारा एवं अन्य सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक प्रमुख संस्था के रूप में विकसित हो रही हैं।
- समस्याग्रस्त भूमियां (क्षारीय, लवणीय, बीहड़ और जल भराव भूमि) अब कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित होने से ये एक उत्पादक सम्पत्ति के रूप में सिद्ध हो रही हैं।
- वानिकी गतिविधियों द्वारा पारिस्थतिकीय संतुलन एवं जैव विविधतता संरक्षण में मदद हो रही है। कार्बन क्रेडिट परियोजना से कृषकों के लिए अतिरिक्त आमदनी का एक स्त्रोत विकसित हुआ।
- प्रक्षेत्र वानिकी कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप विभिन्न प्रक्षेत्र वानिकी गतिविधियों के द्वारा स्थानीय समुदाय विशेषकर महिलाओं को अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्रदान किये गये।
- पी.एफ.एफ.सी.एस. व स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए लघु उद्योगों की स्थापना एवं आजीविका के साधनों में वृद्धि हेतु चक्रीय कोष मददगार सिद्ध हुआ है। संचालित लघु उद्योग जैसे मधुमक्खी पालन से कृषकों की आय को दुगुनी करने के ध्येय को मदद मिल रही है।

(द) ग्रीन बेल्ट विकास

इफको द्वारा अपनी पारादीप इकाई में जलवायु परिवर्तन शमन में योगदान के क्रम में वृक्ष आच्छादन विकास हेतु ग्रीन बेल्ट विकास का कार्य आई.एफ.एफ.डी.सी. को सौंपा गया।

पारादीप संयंत्र में इस कार्य हेतु प्रदत्त क्षेत्र जलमग्न है अतः मिट्टी के टीले बनाकर मैंग्रोव व अन्य उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाये गये। नीम, करंज, कैसुरीना, मैंग्रोव और अकेसिया के कुल 22,534 पौधे लगाये गए और रखरखाव की गतिविधियाँ जैसे स्टेकिंग, निराई और सिंचाई आदि भी की गई। जलभराव वाले 21 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण की वृद्धि संतोषजनक है।

Progress

- 239 ha area (130 ha in Uttar Pradesh, 27 ha in Uttarakhand, 35 ha in Madhya Pradesh and 47 ha in Rajasthan) has been covered under plantation. 2.53 lakh plants (1.41 lakh in Uttar Pradesh, 0.26 lakh in Uttarakhand, 0.35 lakh in Madhya Pradesh, 0.51 lakh in Rajasthan) have been planted by different PFFCS. Major species include Melia (Burma Neem), Maharukh, Clonal Eucalyptus, Teak and Tejpatta etc. 6.34 lakh saplings of Neem have been supplied for plantation in different places of the country.
- 98 Annual General Body Meetings, 732 Executive Committee Meetings of different PFFCS have been organized. 3,220 meetings of SHG and 44 Meetings of PFFCS Secretaries were organized. Audit work of 111 PFFCS has been completed.
- 06 Health camps were organized, in which 320 patients were examined and free medicines were provided. 05 Veterinary camps were organized, in which 550 Cattle were examined and treated. 11 different important days i.e. Environment Day, Women Day, Farmers Day etc were celebrated.
- For newly formed SHGs, 07 trainings on proper functioning & management for SHGs took places. Self Help Groups Members felt that the training has helped them in undertaking their roles and responsibilities in an efficient manner.
- For Skill Development, one trainings of 20 days on "Block Printing" of Traditional designs on cloths has been completed in Intali PFFCS (Udaipur), with 10 women are being imparted the Block Printing training.
- One training on "Record keeping & Accounting" for Secretaries was organised. The participants were imparted inputs on maintenance of various records/registers and book keeping etc.
- For Skill Development, 01 training of 3 months on tailoring has been imparted to SHGs members in Nandmahar, PFFCS (U.P.) in which, 30 women participated.

Outcome

- PFFCS are serving as nodal agencies for environment up-gradation and catering to the fuel wood, fodder and other needs of the community such as the supply of Agri-inputs.
- Problematic lands (Sodic, Saline, Ravines and Water logged, etc) are now converted into cultivable lands and have proved to be productive assets.
- Farm forestry activities have helped to bring ecological balance and bio-diversity conservation. The Carbon Credit Project is generating income for the farmers.
- Farm Forestry Programme has resulted in additional employment opportunities being created through various farm forestry activities for local communities and has especially benefited the women of these communities.
- Revolving Fund is helping to PFFCS as well as SHG members to establish micro-enterprises thereby generating livelihood options. The operationalised micro-enterprises are helping achieve the aim of doubling Farmer's incomes.

(d) Green Belt Development

IFFCO has awarded a Green Belt Development Project to IFFDC for increasing tree cover in the IFFCO Paradeep Plant area aimed at contributing towards combating climate change.

The project area in the Paradeep plant is waterlogged, therefore, the plantation of Mangrove and other suitable species was taken up on heaps. Total 22,534 saplings of Neem, Karanj, Casurina, Mangrove and Acacia have been planted and maintenance activities i.e. Staking, Hoeing, Weeding and Irrigation etc. have also been undertaken. The growth of plantation in the 21- hectare waterlogged area is satisfactory.

2. जलग्रहण प्रबंधन (पारिस्थितिकीय प्रतिस्कंदन)

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने काफी समय पूर्व ही अपने जलवायु परिवर्तन शमन व क्लाईमेट एक्शन कार्यक्रम में अन्य विषयक अवधानों जैसे जल संसाधन विकास, मृदा–जल संरक्षण, क्लाईमेट प्रूफिंग आदि को समाहित करने के महत्व को अपना लिया था। आई.एफ.एफ.डी.सी. को विशेषतः प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण समुदायों की जेंडर केंद्रित आजीविका उत्थान के लिए जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का बहुत अनुभव है, इससे सतत् विकास लक्ष्य सं. 13 "क्लाईमेट एक्शन" तथा सतत् विकास लक्ष्य सं. 15 "जमीन पर जीवन" में योगदान है।

सहभागिता के प्रति अभिरुचि के चलते, सहभागी तरीके से इसके क्रियान्वयन हेतु ग्राम जलग्रहण कमेटी तथा जल उपयोग कमेटियां जैसी सामुदायिक संस्थायें विकसित की गयीं। जल एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के क्रम में समुदाय के लिए पारिस्थितिकीय प्रतिस्कंदन निर्माण हेतु इस गतिविधि में भू–उपयोग योजना एवं विकास तथा अन्य आजीविका अर्जन से संबंधित गतिविधियों के एक व्यापक समूह को क्रमबद्ध तरीके से समाहित किया गया है।

जलग्रहण विकास का मुख्य उद्देश्य, भूमि व जल संसाधनों को संरक्षित व पुनर्स्थापित करना जिससे, जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिस्कंदन विकसित हो तथा इन क्षेत्रों में खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस हेतु, आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा जल संसाधनों के क्षरण को पुनर्स्थापित करने के लिए अन्य संस्थाओं तथा प्रत्यक्ष तौर पर नाबार्ड से एवं विभिन्न सरकारी संस्थाओं से अभिमुखीकरण कर संसाधन जुटाए जा रहे हैं।

"रिज से वैली तक" उपचार की अवधारणा के साथ भूमि उपचार, जलवायु शमन, आजीविका सृजन तथा ग्रामीण समुदाय का क्षमता विकास करते हुए सतत् सामुदायिक संस्थाओं जैसे ग्राम जलग्रहण विकास समितियों (वी.डब्ल्यू.डी.सी.) का विकास एवं परियोजना चक्र के सभी स्तरों में जेन्डर समानता को सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। विभिन्न मृदा एवं जल संरक्षण गतिविधियों के माध्यम से कुल 19,219 हैक्टेयर क्षेत्र को उपचारित किया गया है।

वर्षा जल संचयन हेतु सुरखी, जिला सागर (म.प्र.) में नाबार्ड–जलग्रहण विकास परियोजनांतर्गत निर्मित चैकडेम

2. Watershed Management (Ecological Resilience)

Early on in its Climate Change Mitigation and Climate Action, IFFDC recognised the importance of integrating other thematic interventions like Water Resource Development, Soil Water Conservation, Climate Proofing etc. into this programme. In particular, the IFFDC's experience of its watershed management programme for improving gender focused rural livelihoods of communities through natural resource management is noteworthy. It contributes to the Sustainable Development Goal No. 13 "Climate Action" and SDG 15 "Life on Land".

In line with its participatory predilection, Village Watershed Committees (VWC) and Water Users Committees (WUC) are developed for implementing this programme using a participatory approach. Focusing on providing Water and Food Security, a comprehensive set of activities related to land use planning and development and other livelihood generation activities has been systematically integrated for building up the 'Ecosystem Resilience' of the community.

The purpose of watershed development is to rehabilitate and conserve land and water resources in order to develop resilience towards climate change to ensure food and livelihood security. For this, the IFFDC has joined hands with other agencies and is mobilising resources directly from NABARD and through convergence with various Government agencies for the restoration of depleting water resources.

The focus is on land treatment with "Ridge to Valley" treatment concept, climate proofing, livelihood generation and building capacities of the rural community by developing sustainable community institutions like Village Watershed Development Committees (VWDC) and ensuring gender equity at all stages of the project cycle. A total area of 19,219 ha area has been treated by various soil & water conservation measures.

Farm pond constructed under Nabard Watershed Project Kamladiha, Distt. Cuttack (Odisha)

परियोजना विवरण

सहायक संस्था	राज्य	जिला	उपचारित क्षेत्र (हेक्ट.)
नाबार्ड	छत्तीसगढ़	कवर्धा, बिलासपुर	2,609
	मध्य प्रदेश	सागर, छिंदवाड़ा, सतना	4,459
	राजस्थान	प्रतापगढ़, उदयपुर	1,652
	तेलंगाना	निजामाबाद	1,837
राज्य सरकारें	ओडिशा	कटक	131
	म.प्र. (मनरेगा)	भोपाल, श्योपुर, छतरपुर	3,417
	म.प्र. (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	छतरपुर, रीवा	5,114
		कुल	**19,219**

प्रगति

- 566 हैक्ट. क्षेत्र को प्रभावी मृदा–जल संरक्षण हेतु 8,421 घन मी फार्म बंड, 1,343 घन मी फार्म बंड की मरम्मत (एस.एफ.बी.), 275 घन मी स्टोन आउटलेट (एस.ओ.), 916 घन मी जल अवशोशण ट्रैंच (डब्ल्यू.ए.टी.), 758 घन मी कन्टीनुआस कन्टूर ट्रैंच (सी.सी.टी.), 805 घन मी स्टेगर्ड कन्टूर ट्रैंच (एस.सी.टी.), 35 लूज बोल्डर संरचना (एल.बी.एस.) व 2 संयोजित गेबियन संरचना का निर्माण किया गया।
- मृदा–जल संरक्षण उपायों के तहत, किसानों के खेत में बारिश के पानी को एकत्रित करके फसलों को सिंचित करने के लिए 24 फार्म पौंडों का निर्माण किया गया व जल संरक्षण के लिए 05 रिचार्ज पिट की स्थापित किए गए।
- जल संसाधन विकास हेतु, 02 चेक डेम व 01 संकन पौंड का निर्माण किया गया।
- ग्राम जलग्रहण विकास समिति के सदस्यों के लिए वित्तीय साक्षरता, सामाजिक मुद्दों और फसल बीमा, जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन, सहनशीलता विकास और जलवायु स्मार्ट फसल उत्पादन व जल बजट पर 07 प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया, जिसमें 245 किसानों ने भाग लिया।
- जैविक खेती पर 5 प्रशिक्षण आयोजित किए गए, जिनमें 175 किसानों ने भाग लिया। उन्हें जैविक खेती से अच्छी आय प्राप्त करने की तकनीक सिखाई गई।
- परियोजना क्षेत्र में पशु के लिए प्रोटीन युक्त चारे की उपलब्धता बढ़ाने के लिए अजोला की खेती की 22 ईकाइयां स्थापित की गई हैं। इससे पशुओं के दूध की गुणवत्ता और उत्पादन में सुधार करने में मदद होगी। चारे की खेती हेतु, 20 किसानों को बरसीम का बीज प्रदान किया गया। इससे परियोजना क्षेत्र में दूध उत्पादन बढाने और दूध देने वाले मवेशियों को स्वस्थ रखने में मदद मिलेगी। उपज बढ़ाने के लिए परियोजना क्षेत्र के 08 किसानों को आलू (पहाड़ी), प्याज (महालक्ष्मी व सोना) और लहसुन (गोरंग) के बीज प्रदान करके नई फसल किस्मों की शुरुआत की।
- 63 किसानों को बायो डिकम्पोजर प्रदान किया गया जिससे खेतों मे पराली को सड़ाकर खाद मे परिवर्तित किया गया व लक्ष्यानुसार, 20 गोबर खाद के गड्ढों का निर्माण किया गया।
- आय अर्जन हेतु, 20 स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को 80 बकरियाँ (प्रति इकाई 4 बकरी) प्रदान की गयी। गरीब परिवारों की आय एवं आजीविका अर्जन हेतु एक वैकल्पिक स्रोत विकसित किया गया है।
- फसलों में कीट नियंत्रण हेतु, किसानों के खेतों में 38 कीट ट्रेप सोलर लाईट लगाये गये।

परिणाम

- कुओं में पानी के स्तर में वृद्धि हुई तथा किसान अपनी दूसरी फसल लेने में सफल हुए, जिससे अधिक आमदनी हुई।
- मृदा संरक्षण की विभिन्न गतिविधियों के करने से कृषि योग्य भूमि में अतिरिक्त क्षेत्र की बढ़ोत्तरी हुई।
- विभिन्न कौशल विकास एवं मृदा संरक्षण गतिविधियों के माध्यम से क्षेत्र के भूमिहीन कृषक एवं महिलाओं को रोजगार के अवसर मिले।
- सिंचित क्षेत्र से पशुओं के लिए उन्नत गुणवत्ता का चारा उपलब्ध हुआ जिससे पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ।
- परियोजना क्षेत्र में कृषकों में "जलवायु स्मार्ट खेती" करने के ज्ञान में वृद्धि हुई।
- भारत सरकार के उद्देश्यों "प्रत्येक बूँद से अधिक फसल" तथा कृषकों की आय को दोगुना करना" में योगदान प्रदान करने में सहायता मिली।

PROJECT DETAILS

Supporting Agency	State	District	Treated Area (ha)
NABARD	Chhattisgarh	Kawardha, Bilaspur	2,609
	Madhya Pradesh	Sagar, Chhindwara, Satna	4,459
	Rajasthan	Pratapgarh, Udaipur	1,652
	Telangana	Nizamabad	1,837
State Govt.	Odisha	Cuttack	131
	MP (MGNREGA)	Bhopal, Sheopur, Chhatarpur	3,417
	MP (IWMP)	Chhatarpur, Rewa	5,114
		Total	**19,219**

Progress

- 566 ha area has been treated with 8,421 m^3. Farm Bund (FB), 1,343 m^3 Strengthening of Field Bund (SFB), 275 m^3. Stone Outlet (SO), 916 m^3 Water Absorption Trench (WAT), 758 m^3 Continous Contour Trench (CCT), 805 m^3 Staggered Contour Trench (SCT), 35 Loose Boulder Structure (LBS). 2 Composite Gabion have been constructed for Soil Water Conservation purpose.
- Under soil-water conservation measures, 24 Farm Ponds were constructed in farmer fields to harvest rain water and utilize it for irrigating crops and 05 Recharge Pits to conserve water have been established.
- For Water Resource Development 02 Check Dams and one Sunken Pond were constructed.
- 7 training programmes on Financial Literacy, Social issues, Crop Insurance, Climate Change Mitigation, Adaptation, Resilience Development and Climate Smart Cropping System and Water budgeting were organised for Village Watershed Community members in which 245 farmers participated.
- 5 trainings on "Organic Farming' have been organised in which, 175 farmers participated. They have been initiated into the techniques of achieving good incomes from Organic Farming.
- 22 Units of Azola Cultivation have been set up for increasing availability of protein rich fodder for cattle in the area. This will help in improving the milk production and quality of the cattle. Improved Barseem Seed has been provided to 20 farmers for fodder cultivation. It helped in increasing milk production and maintaining milching cattle health in the project area. New crop varieties were introduced by providing high yielding variety seeds of Potato (Pahari), Onion (Mahalaxmi and Sona) and Garlic (Gorang) to 8 farmers in the project area for increasing yields.
- Bio-decomposers were provided to 63 farmers to decompose the crop residues into manure and 20 Farm Yard Manure (FYM) Pits have been constructed.
- As an alternate source for generating income and livelihood for SHG members, 80 Goats (4 Goat unit) were provided to 20 SHG members.
- 38 Insect Trap Solar Lights have been installed on farmers' fields for Pest Control of crops.

Outcome

- Increase of water tables of wells in the covered areas has been observed and farmers are able to harvest their second crop successfully leading to more returns.
- Additional area has been brought under cultivation by adopting various soil conservation measures.
- Landless farmers and women have been provided employment opportunities in the area through skill development and various soil-moisture conservation activities.
- Treated areas have produced good quality fodder for cattle by which the health of cattle has improved.
- Knowledge of "Climate Smart Agriculture" of the farmers of the project area has increased.
- It has helped in contributing to the objectives of the Govt. of India i.e. "More Crop from Each Drop" and "Doubling Farmers Income".

किसान उत्पादक संगठन संवर्धन परियोजना

(सतत् विकास लक्ष्य सं. 1 "निर्धनता नहीं" तथा लक्ष्य सं. 8 "प्रतिष्ठित कार्य एवं आर्थिक उन्नति")

किसान उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.) प्राथमिक उत्पादकों, जैसे किसान, दूध उत्पादक, मछुआरे, बुनकर, ग्रामीण कारीगर, शिल्पकार द्वारा गठित एक कानूनी इकाई है। एफपीओ एक उत्पादक कंपनी, एक सहकारी समिति या कोई अन्य कानूनी इकाई हो सकती है जो कृषकों को सामूहिक रूप में कार्य करके प्राप्त लाभ को सदस्यों में परस्पर साझा करने का अवसर प्रदान करती है।

एफपीओ का मुख्य उद्देश्य सदस्य उत्पादकों के लिए अपने स्वयं की व्यवसायिक संस्था के माध्यम से बेहतर आय अर्जन सुनिश्चित करना है। छोटे उत्पादकों के पास व्यक्तिगत रूप से इतनी मात्रा में आदान और उत्पादन दोनों नहीं होते हैं कि, जिससे उनको आर्थिक लाभ हो सके। इसके अलावा, कृषि विपणन में, बिचौलियों की एक लंबी श्रृंखला है जो अक्सर अपारदर्शी तरीके से काम करते हैं जिससे ऐसी स्थिति पैदा होती है कि, जहाँ उत्पादक को अंतिम उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए मूल्य का केवल एक छोटा हिस्सा ही प्राप्त होता है। सामूहिक रूप से कार्य करके, प्राथमिक उत्पादक अधिक आर्थिक लाभ उठा सकते हैं। ये थोक क्रेताओं और आदानों के थोक आपूर्तिकर्ताओं के मुकाबले बेहतर सौदेबाजी करने के लिए सक्षम होते हैं।

एफपीओ संवर्द्धन से सतत् विकास लक्ष्य संख्या 1 "निर्धनता नहीं" तथा लक्ष्य संख्या 8 "प्रतिष्ठित कार्य एवं आर्थिक उन्नति" में योगदान होता है क्योंकि, इससे एफपीओ के सदस्यों को अपना स्वयं का उद्यम स्थापित करके अपनी आय को बढ़ाने में मदद मिलती है।

आईएफएफडीसी द्वारा नाबार्ड एवं एन.सी.डी.सी. द्वारा वित्तपोषित भारत सरकार की सेंट्रल स्कीम–10,000 कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) संवर्धन परियोजना के तहत् 10 परियोजनायें सात राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में संचालित की जा रही है। परियोजना की अवधि अप्रैल 2021 से मार्च 2026 तक पांच वर्ष की है।

श्रीमती निवेदिता तिवारी सीजीएम नाबार्ड, चंडीगढ़ एवं श्रीमती माधवी एम. विप्रदास, प्रबंध निदेशक आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा जिला सिरसा (हरियाणा) के एफ.पी.ओ. को द्वितीय इक्विटी अनुदान का चेक सौंपा गया

Promotion of Farmers Producer Organisation (FPO) Project

(Sustainable Development Goal No. 1 “No Poverty” and Goal No. 8 "Decent Work and Economic Growth")

A Farmer Producer Organisation (FPO) is a legal entity formed by primary producers, viz. farmers, milk producers, fishermen, weavers, rural artisans, craftsmen. It can be a producer company, a cooperative society or any other legal entity, which provides a mechanism for collective action and for sharing profits/benefits arising therefrom among the members.

The main aim of a FPO is to ensure better incomes to its producer members from a business organisation that they own. Small producers universally lack the individual volumes both in terms of inputs needed by them and their marketable produce that would allow them to access the benefit of economies of scale. Besides, the long chain of intermediaries they encounter in their marketing, who most often work with non-transparency, leads to a scenario where the producer receives only a small part of the value that the ultimate consumer pays. Through aggregation made possible by setting up their own organisation, the primary producers can avail the economies of scale. In unison they will also command better bargaining power vis-à-vis the bulk buyers of produce and bulk suppliers of inputs.

The promotion of FPO contributes to the Sustainable Development Goal No. 1 “No Poverty” and Goal No. 8 "Decent Work and Economic Growth" as it helps in creating farmer owned enterprises and increasing incomes of the FPO members.

IFFDC is implementing 10 projects on Promotion of FPO in seven States i.e. Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bihar, Haryana, Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra with financial support from NABARD and NCDC under the Central Sector Scheme of the Govt. of India for Promotion of 10,000 Farmer Producer Organisations (FPO). The project duration is of five years from April 2021 to March 2026.

Banana procurement by Nevada FPO, Kaushambi (Uttar Pradesh) promoted by IFFDC with help of NCDC

- आंवटित सभी 50 कृषक उत्पादक संगठनों का गठन कर पंजीकरण करा दिया गया जिसमें से 27 सहकारिता अधिनियम व 23 कम्पनी अधिनियम के तहत् पंजीकृत कर दिए गये हैं। इन कृषक उत्पादक संगठनों में कुल सदस्यता 27,039 है।
- कृषक उत्पादक संगठन जागरूकता पर 1,712 बैठकें और कृषक उत्पादक संगठन के निदेशक मंडल की 1,500 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें 58,200 किसानों ने भाग लिया।
- 45 कृषक उत्पादक संगठनों को 239.61 लाख रुपये का इक्विटी अनुदान प्राप्त किया तथा 48 कृषक उत्पादक संगठनों ने प्रबंधन लागत के लिए पहली से बारहवीं किस्त के रूप में 498.17 लाख रुपये प्राप्त किये।
- 50 कृषक उत्पादक संगठनों ने पैन नंबर प्राप्त किया है, 49 कृषक उत्पादक संगठनों ने जीएसटी नंबर प्राप्त किया है, 47 कृषक उत्पादक संगठनों ने राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) पोर्टल पर पंजीकृत किया है, 30 कृषक उत्पादक संगठनों ने मंडी लाइसेंस प्राप्त किया है और 40 कृषक उत्पादक संगठनों ने उर्वरक, बीज और कीटनाशक लाइसेंस प्राप्त किए हैं।
- 43 कृषक उत्पादक संगठनों का ओ.एन.डी.सी. पोर्टल में पंजीकरण करा दिया गया है एवं 44 कृषक उत्पादक संगठनों ने एफ. एस.एस.ए.आई. लाइसेंस प्राप्त कर लिये हैं।
- कृषक उत्पादक संगठनों के निदेशक मंडलों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के 123 प्रशिक्षण कार्यक्रम और 113 एक्सपोजर भ्रमण आयोजित किए गए।
- अब तक, आई.एफ.एफ.डी.सी. ने सी.बी.बी.ओ. प्रबंधन लागत के रुप में 524.60 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त किया।
- वर्ष के दौरान, 41 एफपीओ ने कृषि–आदानों जैसे उर्वरक, बीज, कीटनाशक एवं जैव उर्वरकों की बिक्री से कुल 11.21 करोड़ रुपये का व्यवसाय किया। 39 एफपीओ ने कमोडिटी ट्रेडिंग के माध्यम से 253.76 करोड़ रुपये के व्यवसाय किया।

श्री मनीष दिलीपभाई संघाणी, निदेशक आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा आई.एफ.एफ.डी.सी. संवर्द्धित अमरेली एफ.पी.ओ. में मूँगफली खरीद व्यवसाय का शुभारंभ

- All 50 FPO allotted to IFFDC have now been formed of which 27 FPO are registered under Cooperative Acts and 23 FPO under the Companies Act. Their total membership is 27,039 Farmers.
- 1,712 meetings on FPO awareness and 1,500 meetings of the Boards of Directors of FPO have been organised, in which 58,200 farmers participated.
- 45 FPO have received Equity Grants of Rs. 239.61 Lakh and 48 FPOs received Rs. 498.17 Lakh as 1st to 12th installment towards Management Cost.
- All 50 FPO have obtained PAN numbers, with 49 of them having obtained GST numbers, 47 FPO registering on the National Agriculture Market (e-NAM) portal, 30 FPO obtaining Mandi Licenses and 40 FPO obtaining Fertiliser, Seed and Pesticide Licenses.
- 43 Farmer Producer Organisations have been registered on ONDC portal and 44 FPO have obtained FSSAI Licenses.
- 123 Training programmes of the Boards of Directors & Chief Executive Officers of these FPO and 113 Exposure Visits have taken place.
- So far, IFFDC has received grant of Rs. 524.60 Lakh towards CBBO Management Cost.
- During the Year, 41 Farmer Producer Organisations have undertaken the business of Agri-inputs i.e. Fertilisers, Seeds, Pesticides, Bio fertilisers and have achieved a total turnover of Rs. 11.21 Crore. Besides this, 39 FPO have undertaken Commodity Trading with a total turnover of Rs. 253.76 Crore.

IFFDC promoted Basukinag FPO installed its product's sale counter in Kisan Mela at GB Pant Agriculture and Technical University, Udhamsingh Nagar (Uttarakhand)

समन्वित ग्रामीण आजीविका विकास

देश में समावेशी विकास को मुख्य ध्येय रखकर की गयी पहलों के उपरान्त भी भूमि, जल, उन्नत आदानों, तकनीकियों एवं सूक्ष्मवित्त जैसे उत्पादक आदानों तक समुदाय की सीमित पहुँच एवं इसके साथ–साथ जलवायु परिवर्तन के प्रति अति संवेदनशीलता एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण से गरीबी है।

यह दोहराने योग्य है कि, आई.एफ.एफ.डी.सी. के ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण में, लोगों को केन्द्र बिन्दु में रखा जाता है तथा उनके लिए सम्पत्तियाँ, दक्षता, सहायक नीतियाँ, सशक्त संस्थाओं एवं विनियामक संरचनाओं के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। जिससे, विकास को बढ़ावा मिलता है तथा अतिसंवेदनशील समुदाय को सुरक्षा प्राप्त होती है। ताकि, पुरुष एवं महिलाऐं साथ–साथ अपनी चिरन्तर आजीविका के लिए रोजगार एवं आय अर्जन के नये अवसरों तक अपनी पहुँच बना सकें।

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा, इफको एवं अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर, गरीब व सीमांत समुदाय की आजीविका विकास के लिए उत्पादन वृद्धि, लागत में कमी, मूल्य वृद्धि, गैर कृषि आधारित आय सृजन, विपणन सहायता आदि जैसे विभिन्न उपाय किये गये।

परियोजना विवरण

परियोजना	राज्य	जिला
ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना	ओडिशा	गंजाम
ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना	पश्चिम बंगाल	झारग्राम एवं अलीपुरद्वार

इसमें, कृषि विकास पद्धति, जल संसाधन विकास, महिला सशक्तिकरण, क्षमता निर्माण, कौशल विकास आदि की उपलब्ध उपयुक्त तकनीकियाँ, जो कि, अभी तक किसानों के खेत तक नहीं पहुँची, के संवर्द्धन पर ध्यान दिया जा रहा है। इस संदर्भ में, आई.एफ.एफ.डी.सी. ने आर्थिक स्तर को प्राप्त करने एवं प्रदर्शन प्रभावों के लिए 'किसानों को केन्द्रित' रखते हुए प्रशिक्षण, प्रसार, एक्सपोजर भ्रमण एवं क्लस्टर दृष्टिकोण को अपनाया है। ग्रामीण आजीविका विकास पर आधारित विभिन्न आयाम निम्न हैं:–

इफको ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना, गंजाम (ओडिशा) अंतर्गत सब्जी की फसल में नैनो डीएपी (तरल) के प्रयोग से गुणवत्तापूर्ण उत्पादन में वृद्धि

Integrated Rural Livelihood Development

Despite initiatives aimed at inclusive growth in the country, poverty persists because of limited access to productive resources, such as land, water, improved inputs, technology and micro-finance, as well as vulnerability to climate change and natural calamities.

It bears repeating that IFFDC's rural livelihoods approach places people at the centre of development and focuses on building assets and skills, supportive policies, robust institutions and regulatory structures that both encourage growth and protect the most vulnerable, so that, women and men together can access new opportunities for income generation and employment for their sustainable livelihoods.

IFFDC is undertaking several measures in collaboration with IFFCO for increasing productivity, reducing input costs, value addition, non-farm income generation, providing marketing support etc. for enhancing the livelihoods of the poor and marginalised communities.

PROJECT DESCRIPTION

Project	State	District
Rural Livelihood Development Project	Odisha	Ganjam
Rural Livelihood Development Project	West Bengal	Jhargram and Alipurdwar

The focus is on promotion of available appropriate technologies for farming system development, water resource development, women empowerment, capacity building, skill development etc. that have not yet percolated to the farmers' fields. In this regard, the IFFDC is adopting 'Farmer-Centric' processes through training, extension, exposure visits and cluster approach to achieve economies of scale and for having a demonstrative effect. The components on which the interventions for developing rural livelihood depends are depicted as follows:

Components of Rural Livelihood Development Interventions

प्रगति

- पर्यावरण विकास के तहत, किसानों के खेतों में 3,700 सुपारी, पीपल एवं नारियल के पौधे लगाए गए। 650 परिवारों को 1300 एल.ई.डी. बल्ब प्रदान किये गये। इससे बिजली के खर्चे एवं ऊर्जा की भी बचत हो रही है।
- कौशल विकास हेतु, समूहों के उचित संचालन एवं प्रबंधन, रिकार्ड के रखरखाव आदि पर आठ प्रशिक्षणों आयोजन किया गया।
- स्वयं सहायता समूहों की 225 महिला सदस्यों को मसाला प्रसंस्करण, बड़ी निर्माण, कैटरिग व्यवसाय, राईस शेलिंग, पापड़ व एवं पेपर प्लेट बनाने आदि जैसी आय अर्जन की गतिविधियाँ आयोजित करने हेतु सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा 448 गरीब परिवारों उत्तम नस्ल प्रदान कर मछली पालन, सुअर व मुर्गी पालन जैसे व्यवसाय से जोड़ा गया। इससे गरीब परिवारों के लिए आय एवं आजीविका के स्रोत विकसित किये गये।
- फसल उन्नयन एवं उत्पादकता में वृद्धि के क्रम में 600 किसानों को सब्जियों, दलहन एवं तिलहन फसलों के उच्च उत्पादक प्रजातियों के बीज प्रदान कर सहायता की गई। 1674 किसानों ने नवोन्मेषी फसल पोषक तत्वों वाले उत्पाद जैसे इफको जल विलेय उर्वरक एवं जैव उर्वरकों के उपयोग को अपनाया। 1354 किसानों को "विश्व का पहला आविष्कार" इफको नैनो यूरिया प्लस एवं इफको नैनो डी.ए.पी. (तरल) प्रदान कर नैनो उर्वरकों का संवर्द्धन किया गया। इससे फसल उपज में वृद्धि हुई, उत्पादन लागत घटी, मृदा स्वास्थ्य में सुधार हुआ तथा पर्यावरण संरक्षण में मदद मिली।
- जल संसाधन विकास के तहत, 7 उथले ट्यूबवैल, 04 तालाबों, 06 फार्म पौंड (हापा), सोलर सिस्टम सहित 02 बोरवेल के साथ वाटर फिल्टर इकाई एवं 4 हैण्ड पंप लगाए गए जिसके परिणामस्वरूप 45 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र सिंचित होने लगा तथा 125 ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल मिलने लगा। जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने हेतु 6 एकड़ क्षेत्र में स्प्रिंकलर सेट लगाये गये।
- यांत्रिक कृषि को अपनाने के क्रम में समूहों के सदस्यों को पेट्रोल चलित वाटर पंपसेट, स्प्रे मशीन तथा हैंड/पावर बीडर प्रदान किए गए जिससे उनके श्रम में कमी आयी।

इफको ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना–गंजाम (ओडिशा) अंतर्गत स्वच्छ पेयजल हेतु स्थापित सौर ऊर्जा आधारित जल शोधन इकाई

Progress

- Under Environment Conservation, 3,700 Arecanut, Peepal and Coconut, saplings have been planted on farmers fields. 650 families were provided with 1,300 LED Bulbs, which are helping to save electricity cost and energy.
- 8 Training programmes for skill development on Proper Functioning & Management of Groups, Record Keeping etc. for SHGs have been organised.
- 225 women members of SHGs were supported for undertaking income generation activities i.e. Spice Processing, Badi Making, Catering Business, Rice Shelling, Papad Making and Paper Plate Making etc. Moreover, help was extended to 448 poor families for fish farming, pig and poultry rearing by providing improved breeds and generate an alternate source of income and livelihood for them.
- For crop improvement and productivity enhancement, 600 farmers have been supported with High Yielding Variety (HYV) Seeds of Vegetable, Pulses and Oil Seed Crops. 1674 farmers have adopted the use of innovative crop nutritious products i.e. IFFCO Water Soluble fertilizers and Bio-fertilisers. Further, the promotion of the world's first Invention viz IFFCO Nano Urea Plus and IFFCO Nano DAP (Liquid) has been done by providing the Nano Fertilizers bottles to 1,354 farmers. This has helped in increasing crop yields, reducing production costs, improvement of soil health and environment conservation.
- Water Resource Development has been carried out and 7 Shallow tube wells, 04 Ponds, 06 Farm Ponds (Hapa), 2 Bore-Wells with solar based Water Filter Units and 4 Hand pumps have been installed. This has resulted in an increased 45 hectare additional area under irrigation and provided 125 rural families with safe drinking water. For water use efficiency, Sprinkler sets were set up in 6 acres of land.
- The adoption of mechanised farming by providing farmers with Petrol Operated Water Pump Sets, Spray Machines and SHG members with Hand Power Weeders has helped reduced drudgery.

Introduced Dragon Fruit farming in IFFCO Rural Livelihood Development Project-West Bengal

परिणाम

- कुँओं और ट्यूब वैल के जल स्तर में वृद्धि होने के कारण अब किसान 2 से 4 बार अपनी फसलों को अतिरिक्त सिंचित करने लगे हैं। जलापूर्ति सुधार से परियोजना क्षेत्र में बंदगोभी, टमाटर, मटर, आलू, मिर्च, बैंगन आदि नयी फसलों की शुरुआत हुई।
- किसानों को विकसित जल संसाधन सुनिश्चित हुये जिसमें अतिरिक्त सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई। अतिरिक्त जल संसाधनों की उपलब्धता से एक और फसल की खेती में भी मदद हुई है जिसके परिणामस्वरूप फसल क्षेत्र और फसल गहनता में भी वृद्धि हुई है।
- सभी परियोजना गांवों में संस्थागत रूप देने के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उनकी तत्काल जरूरतों को पूर्ण करने और लघु उद्यमों की स्थापना के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
- विभिन्न आय जनित गतिविधियों और लघु–उद्यमों के माध्यम से आय में वृद्धि हुई है जिससे, सदस्यों की आत्मनिर्भरता में बढ़ोत्तरी हो रही है।
- जागरूकता कार्यक्रमों के कारण, सामाजिक बुराइयों को कम करने और आजीविका में सुधार करने में समुदाय को मदद हो रही है।
- किसान उच्च पैदावार देने वाली किस्मों और नकदी फसलों की खेती करने लगे हैं जिससे, किसानों को अधिक उत्पादन और आय के कारण उनकी आजीविका बेहतर हो रही है।।

इफको ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना–झारग्राम (पश्चिम बंगाल) अंतर्गत जल संचयन हेतु निर्मित फार्म पौंड

Outcome

- Due to increase in water availability in the nearby wells and tube wells, farmers are now able to provide 2-4 times more irrigation to their crops. New crops i.e. Cabbage, Tomato, Peas, Potato, Chilly, Brinjal etc have been introduced in the project area as a result of improved water supply.
- Farmers have assured developed water resources, which helps in increasing additional area under irrigation. These additional resource availabilities have also helped allowed cultivation of a second crop and the cropped area and cropping intensity has a result also increased.
- All the project villages are institutionalised through Self Help Groups (SHG) providing financial support for addressing immediate needs and setting up of Micro-enterprises.
- Enhanced income of members through various Income Generation activities and Micro-enterprises is leading towards their self-reliance.
- Awareness generation has helped in minimising social evils and improving livelihoods of the community.
- Farmers have started cultivating High Yield Varieties (HYV) and cash crops for more production and income leading to better livelihoods.

Application of Nano Fertilisers through Drone Spray in IFFCO Rural Livelihood Development Project-West Bengal

सार्वभौमिक अवधान

ऐसे अवधान एवं गतिविधियाँ जो आई.एफ.एफ.डी.सी. की अधिकांश परियोजनाओं के अन्तर्गत संचालित की जा रही हैं उन्हें ''सार्वभौमिक अवधानों'' के तहत् रखा गया है, जो निम्नानुसार हैं:–

अ. सामुदायिक संस्थाएं

सार्वजनिक संम्पत्ति संसाधनों (सी.पी.आर.) के सफलतापूर्वक प्रबन्धन एवं परियोजना आधारित अवधानों की समाप्ति के उपरान्त भी, विकास की प्रक्रिया को जारी रखने हेतु, स्थायी तन्त्र विकसित करने के क्रम में सामूहिक कार्यवाही के लिए क्षमता निर्माण करना बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आई.एफ.एफ.डी.सी. ने अपनी विकासात्मक गतिविधियों को संस्थागत रूप देने हेतु सामुदायिक संस्थाओं के संवर्द्धन की नीति को विवेकपूर्ण तरीके से अपनाया है। विकसित किये गये अभिनव समूह, सहकारिता की अवधारणा के आधार पर कार्यरत हैं। परन्तु, इनका नामकरण उनके उद्देश्य, जिसके लिए उन्हें विभिन्न परियोजना के अन्तर्गत गठित किया गया, के अनुसार किया गया है। इस प्रकार की सामुदायिक संस्थाऐं जैसे कि, प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियाँ (पी.एफ.एफ.सी.एस.), प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी समितियाँ (पी.एल.डी.सी.एस.), कृषक उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.), आजीविका समितियाँ (एल.सी.), कृषक क्लब, वाड़ी समूह, स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.), ग्राम जलग्रहण विकास कमेटी (वी.डब्ल्यू.डी.सी.) आदि हैं।

प्रगति

आई.एफ.एफ.डी.सी. स्वयं एक सहकारी संस्था होने के नाते सहकारिता की ताकत से भलीभाँति परिचित है जो, स्थानीय स्तर की संस्थाओं को बनाये रखने, उनका विकास करने में तथा परियोजना आधारित अवधानों की समाप्ति के पश्चात् भी विकास की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है। सामुदायिक संस्थाएं, समुदाय की उनके वातावरण में आजीविका को सुनिश्चित करने एवं संसाधनों के सामूहिक प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्र एवं अवसर प्रदान करती हैं।

विभिन्न परियोजनाओं के तहत विकसित एवं पोषित सामुदायिक संस्थायें:

क्र.सं.	सामुदायिक संस्थायें	कुल संख्या	कुल सदस्य
1.	पी.एफ.एफ.सी.एस.	151	16,538
2.	पी.एल.डी.सी.एस.	14	1,752
3.	स्वयं सहायता समूह	1914	19,574
4.	किसान क्लब	258	2,599
5.	वाड़ी समूह / टुकड़ी	180	2,475
6.	जल उपभोक्ता समिति	190	2,518
7.	ग्राम जलग्रहण समिति	69	785
8.	कृषक उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.)	88	62,436
9.	आजीविका स्वायत्त सहकारी समिति (एल.सी.)	11	6,044
	कुल योग	**2,875**	**1,14,721**

- वर्ष के दौरान 65 सदस्यों को जोड़कर 7 नये स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) का गठन किया गया।

CROSS CUTTING INTERVENTIONS

Interventions and activities, which are common to most of the IFFDC projects have been placed under the thematic area "Cross Cutting Interventions" which are as under: -

A. Community Institutions

Building capacity for collective action is crucial for the successful management of Common Property Resources (CPR) and to provide suitable mechanisms for continuing a sustained development process after the withdrawal of project-based interventions. IFFDC has consciously adopted the policy of promoting Community Institutions for institutionalising its development interventions. The promoted groups are so designed and work mainly based on cooperative principles but are named differently under its different projects, appropriate to the purpose for which formed, viz: Primary Farm Forestry Cooperatives Societies (PFFCS), Primary Livelihood Development Cooperative Societies (PLDCS), Farmer Producers Organisations (FPO), Livelihood Collectives (LC), Farmer Clubs, Wadi Groups, Self Help Groups (SHG), Village Watershed Development Committees (VWDC) and so on.

PROGRESS

Being a Cooperative itself, IFFDC believes strongly in the strength of 'cooperative action' to uphold institutions at the local level and to provide support to the development process , helping them sustain after withdrawal of the project. Community Institutions provide institutional mechanisms and opportunities for collective management of resources.

Community Institutions Developed and Nurtured under different Projects :

S.No.	Community Institutions	Total No.	Total Members
1.	PFFCS	151	16,538
2.	PLDCS	14	1,752
3.	SHG	1,914	19,574
4.	Farmer Clubs	258	2,599
5.	Wadi Groups/Tukdi	180	2,475
6.	Water User Committee	190	2,518
7.	Village Watershed Committee	69	785
8.	Farmers Producers Organisation (FPO)	88	62,436
9.	Self Reliant Livelihood Coop. Society (LC)	11	6,044
	Total	**2,875**	**1,14,721**

- During the year, 07 new Self Help Groups (SHGs) formed consisting of 65 members.

ब. जेंडर को मुख्य धारा से जोड़ना एवं महिला सशक्तिकरण

सभी परियोजनाओं के अन्तर्गत जेंडर को मुख्य धारा से जोडना एवं महिला सशक्तिकरण के लिए आई.एफ.एफ.डी.सी. का दृष्टिकोण विद्यमान गतिविधियों में केवल 'महिला घटक' को जोड़ना या 'जेंडर समानता घटक' ही नहीं है अपितु, महिला भागीदारी को बढ़ाने, उनमें अनुभव, ज्ञान व विकास के मुद्दों पर महिला एवं पुरुषों में रुचि पैदा करने से कहीं अधिक है। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से असमान सामाजिक एवं संस्थागत संरचनाओं को समान एवं महिलाओं तथा पुरुषों दोनों के लिए, उनकी अपनी संरचनाओं के रूप में परिवर्तित करने की दिशा में किए गये प्रयासों को सभी परियोजनाओं में सार्वभौमिक रूप से 'जेंडर को मुख्य धारा से जोड़ना एवं महिला सशक्तिकरण' के अन्तर्गत रखा गया है।

प्रगति

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत 1,914 स्वयं सहायता समूहों का पोषण किया जा रहा है। जिनकी कुल सदस्यता 19,574 है, जिनमें 94 प्रतिशत महिला सदस्यों की भागीदारी है। इन समूहों ने अभी तक कुल 591.58 लाख की बचत करके सदस्यों ने आपस में 551.08 लाख का ऋण वितरित किया। स्थानीय बैंक भी इन समूहों को लघु उद्यमों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिनसे सदस्यों की चिरन्तर आजीविका सुनिश्चित हो रही है। इन समूहों को नियमित बैठक, कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से पोषित किया जा रहा है। इसके अलावा, 340.78 लाख रुपये की राशि से ग्रामीण क्षेत्रों में 'सूक्ष्म–वित्त–प्रक्रिया' सहयोग हेतु चक्रीय कोष संचालित किया जा रहा है।

परियोजना क्षेत्र में, महिलाओं में कौशल विकास व अतिरिक्त आय अर्जन के लिए और अधिक विकल्प प्रदान करने के लिए ''नेशनल इन्नोवेशन फाउंडेशन – इंडिया'' (निफी), सीबार्ट, ट्राईफेड की उन्नत तकनीकियाँ जैसे हैंडलूम उत्पादों का निर्माण, बुनाई, बाँस के फर्नीचर/उत्पाद निर्माण, सेनेटरी नेपकिन निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, मसाला प्रसंस्करण, दिया–बाती निर्माण, पेपर प्लेट निर्माण, सुपारी के पत्तों से प्लेट निर्माण, ब्यूटीशियन, लाख के सामान बनाना, चाँदुआ निर्माण, कृत्रिम आभूषण निर्माण, मधुबनी पैंटिंग, एल.ई.डी. बल्ब निर्माण, ब्लॉक प्रिंटिंग, आकोला प्रिंट, जूट के उत्पाद, कम्प्यूटर ऑपरेशन आदि अपनाई गईं। इसके अलावा, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन बोर्ड व बी पॉजिटिव कं. के तकनीकी सहयोग से मधुमक्खी पालन इकाइयाँ स्थापित की गईं। मधुमक्खी पालन इकाईयों से महिलाओं के आय–अर्जन में वृद्धि हो रही है।

इफको ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना–झारग्राम (पश्चिम बंगाल) अंतर्गत आय अर्जन हेतु महिला सदस्यों द्वारा संचालित दोना–पत्तल निर्माण लघु उद्यम

B. Gender Mainstreaming & Women Empowerment

IFFDC's approach to mainstreaming gender and women empowerment in all its projects is not about merely adding a gender or even a 'gender equality' component into an existing activity. It goes beyond increasing women's participation to building a sustained process for bringing the experience, knowledge, and interests of women and men on the development agenda. Its efforts for empowering women through transforming unequal social and institutional structures into equal and just structures for both men and women are an essential feature of all IFFDC interventions, and constitute the cross cutting thematic area 'Gender Mainstreaming and Women Empowerment.

PROGRESS

IFFDC is nurturing 1,914 SHG with a total membership of 19,574 of which 94% are women. The cumulative savings of these groups have reached Rs. 591.58 lakh. Loans drawn by members are around Rs. 551.08 lakh. The local banks are also providing financial assistance to them for initiating micro-enterprises for sustainable livelihood development. These SHG are being nurtured through regular Meetings, as well as Skill Development and Capacity Building Programmes. Furthermore, a revolving fund amounting to Rs. 340.78 lakh has been operationalised for facilitating Micro-Credit Mechanism in the rural areas.

To develop skill and open new avenues of income generation for the women members, the innovative technologies of "National Innovation Foundation - India" (NIFI), CIBART, TRIFED etc are being mobilised. Income generating activities such as Handloom items making, Weaving, Bamboo furniture/Products making, Sanitary Napkin manufacturing, Agarbatti making, Spices processing, Wick making, Paper Plates manufacturing, Arecanut leaf plates manufacturing, Beautician, Lac Items making, Applique work, Artificial Ornaments making, Madhubani Painting, LED Bulbs making, Block Printing, Akola Print, Jute Products, Computer Operation etc. have been adopted in the project areas. Moreover, the Bee-keeping units set up with the technical guidance of the National Bee Board and Bee Positive Co. are resulting in additional income generation.

Bringing economic self-sufficiency to SHG Women Members by undertaking Lac bangles making micro enterprises at Moodra PFFCS (Madhya Pradesh)

स्वयं सहायता समूहों के गठन के अलावा, अन्य सामुदायिक संगठनों जैसे–प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियाँ, प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी समितियाँ, ग्राम जलग्रहण विकास कमेटी, आजीविका स्वायत्त सहकारी समितियाँ इत्यादि में भी महिलाओं की सदस्यता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्ष के दौरान महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने हेतु निम्न गतिविधियाँ आयोजित की गयीं।

जेंडर को मुख्य धारा में जोड़ने सम्बन्धी गतिविधियों का विवरणः

क्र.सं.	गतिविधियाँ	उपलब्धि (संख्या)
1.	स्वास्थ्य चिकित्सा व स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम (सं.)	382
2.	पीने का स्वच्छ जल सहयोग (परिवार सं.)	6,141
3.	धूम्ररहित चूल्हा निर्माण (परिवार सं.)	2,788
4.	महिला विकास गतिविधियाँ (सं.)	429
5.	शौचालय/स्नानघर निर्माण (परिवार सं.)	533
6.	महिला श्रम बचत गतिविधियाँ (सदस्य सं.)	2,106
7.	मधुमक्खी पालन इकाईयाँ – 5 बॉक्स प्रति इकाई (सदस्य सं.)	92
8.	आय अर्जन गतिविधियाँ (सदस्य सं.)	1,993

परिणाम

- स्वयं सहायता समूह तत्कालिक आवश्यकताओं को पूरा कर महिलाओं के सामरिक हितों के समाधान से उन्हें मुख्य धारा में लाने में मदद कर रहे हैं। यह समूह स्वास्थ्य, कार्यात्मक साक्षरता, बच्चों की शिक्षा, बाल विवाह, अनियोजित परिवार, कम उम्र में गर्भधारण, सामाजिक शोषण तथा शराब, जुंआ, तम्बाकू आदि की लत जैसी सामाजिक बुराईयों से संबंधित समस्याओं पर विचार–विमर्श करके इन समस्याओं का उपयुक्त समाधान कर रहे हैं।
- सौर ऊर्जा आधारित पेयजल फिल्टर इकाईयाँ, सौर स्ट्रीट लाईट, सौर होम लाईट महिलाओं के कठिन श्रम को कम करके जीवन को आसान बनाया है।
- कौशल विकास से स्वयं सहायता समूहों को आय अर्जित हुई एवं इनमें सम्बद्धता, स्वामित्व और समुदाय के बीच अपनेपन की भावना पैदा हुई है।
- वर्तमान में सभी परियोजना गांवों की स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संस्थागत सहभागी योजना निर्माण और क्रियान्वयन में गरीब सीमान्त समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित हुई।
- महिला श्रम में कमी हेतु आयोजित की गयी गतिविधियों से उनकी मेहनत व समय में बचत हुई। इस बचत के समय को महिलाऐं स्वयं के विकास व आय अर्जन में उपयोग कर रही हैं।
- शौचालय/स्नानघर निर्माण से खुले में शौच व नहाने की प्रवृत्ति में कमी आयी है। लड़कियाँ व महिलाऐं अब स्वयं को सुरक्षित महसूस करती हैं जिससे, उनके आत्मसम्मान में वृद्धि हुई है। निर्मित स्नानघरों को महिलाओं ने "इज्जत घर" का नाम दिया है जिससे इनकी अति आवश्यकता व उपयोगिता प्रदर्शित होती है।
- नयी तकनीकी जैसे बायो–डाईजेस्टर शौचालय के प्रयोग से मानव विष्टा पूर्ण तरह से विघटित हो जाती है, परिणामस्वरूप भू–जल की गुणवत्ता खराब नहीं होती है। अन्ततोगत्वा, इससे भारत सरकार के कार्यक्रम ''स्वच्छ भारत अभियान'' में योगदान करने में सहायता मिलती है।
- आय अर्जन गतिविधियों से ग्रामीण क्षेत्र में चिरन्तर आजीविका सृजन में सहयोग हो रहा है तथा उद्यमी महिला सदस्यों की भूमिका उनके परिवार में और अधिक मजबूत हुई है।

Apart from Self Help Group formation, women membership is also encouraged in Community Based Organisations such as PFFCS, PLDCS, VWDC, LC etc. During the year, the following activities were undertaken for Gender mainstreaming.

Details of Gender mainstreaming related activities:

S. No.	Activities	Achievement (Nos.)
1.	Health Checkup & Sanitation Awareness Programme (No.)	382
2.	Safe Drinking Water (No. of Families)	6,141
3.	Distribution of Smokeless Chulha (No. of Families)	2,788
4.	Women Development Activities (No.)	429
5.	Toilets/Bathrooms Construction (No. of Families)	533
6.	Women Drudgery Reduction Activities (No. of Members)	2,106
7.	Bee-keeping Units - 5 Boxes per unit (No. of Members)	92
8.	Income Generation Activities (No. of Members)	1,993

Outcome

- Self Self Help Groups (SHG) are helping in addressing the fulfillment of immediate needs as well as the strategic interests of women and helping to bring them into the mainstream. SHG are also discussing their member problems related to health, functional literacy, education of children, child marriage, unplanned family, early age pregnancy, social exploitation and social evils like addiction to alcohol, gambling, tobacco consumption etc. and are identifying suitable solutions for their problems.
- Solar based drinking water filter units, Solar Street Lights, Solar Home Lights are making life easy for women by reducing drudgery.
- Skill Development of SHG members has generated incomes and created a sense of cohesiveness, ownership and belonging among them.
- SHG have been institutionalised in all project villages at present, which is ensuring that the women and marginalised communities are actively involved in the participatory planning and implementation exercises.
- The women are utilising the time saved through women drudgery interventions in their own development & income generation.
- Open defecation and bathing has reduced as a result of the construction of toilets/bathrooms. Girls and women are feeling safe, which has helped in improving their self-esteem. The name"Izzatghar" used for the bathrooms by the women of these communities reflect the dignity they are endowed with as a result of these toilets and also their usefulness.
- The use of new technology in the toilet construction i.e. Bio-Digester Toilets have helped in the total decomposition of human waste, as a consequence of which the quality of ground water does not deteriorate, ultimately contributing significantly to the agenda of the Government of India for "Swachh Bharat Abhiyan".
- These Income generating activities have significantly helped introduce sustainable livelihoods in rural areas and the role of entrepreneur women in their families has increased.

स. क्षमता निर्माण

आई.एफ.एफ.डी.सी. में क्षमता निर्माण एक और सार्वभौमिक अवधान के रूप में आवश्यक एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है। जिससे, संस्था के कर्मियों/भागीदारों के प्रायोगिक ज्ञान, दक्षता एवं मनोभावों को विकसित करने पर विशेष जोर दिया जाता है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा अपने प्रशिक्षणों में, निर्देशात्मक प्रणाली डिजाइन अथवा प्रशिक्षण प्रणाली दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है। प्रशिक्षण में धारणा प्रणाली के प्रयोग से अनवरत परिवर्तित हो रहे वातावरण में प्रयोग की जा सकने वाली आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण सामग्रियों का नियमित विकास सुनिश्चित हो जाता है।

प्रगति

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने स्थानीय लोगों को परिवर्तनकारी भूमिकाओं के संवारने पर जोर दिया– वह भूमिकाएँ जिनका उद्देश्य व्यक्तियों एवं समूहों का क्षमता निर्माण है। इन भूमिकाओं में उद्यमिता विकास, वानिकी समितियों, स्वयं सहायता समूहों, कृषक उत्पादक संगठनों, ग्राम जलग्रहण विकास समितियों एवं अन्य समूहों का प्रबंधन तथा ग्राम स्तर पर स्थानीय सेवा प्रदाताओं का प्रशिक्षणों से कौशल विकास शामिल है। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए कौशल विकास पर 20 प्रशिक्षण, 10 एक्सपोजर भ्रमण का आयोजन किया गया।

परिणाम

- क्षमता निर्माण कार्यक्रमों ने जागरूकता सृजन, कौशल और ज्ञान विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो परियोजनाओं के सुचारु क्रियान्वयन, लघु उद्योग स्थापना और समुदाय में स्वामित्व की भावना विकसित करने में मदद करता है जो अवधानों की समग्र स्थिरता में मदद करता है।
- स्थानीय स्तर के 200 से अधिक सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित कर पैरा–प्रोफेशनल जैसे कृषक मित्र, जानकार, स्वयं सेवकों/कम्युनिटी फैसिलिटेटर्स, समूह प्रेरक, इत्यादि का कौशल निर्माण किया।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी से उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है।

अन्य

- आई.सी.ए. ग्लोबल कॉन्फ्रेंस आयोजन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए फाईकस रिलिजिओसा (पीपल) के 10,711 पौधे लगाये गए हैं, जिसमें से 5,500 उत्तर प्रदेश में, 2,700 पश्चिम बंगाल में और 2,511 ओडिशा में लगाए गए हैं।

आदिवासी ग्रामीण समुदाय का फल वृक्षों के रखरखाव व प्रबंधन पर क्षमता निर्माण – जिला बाँकुरा (पश्चिम बंगाल)

C. Capacity Building

Capacity building, essentially an organised process of providing systematic inputs to personnel/ stakeholders that results in acquisition of practical knowledge, skills and attitudes, is another cross cutting component that IFFDC places great emphasis on.

IFFDC's systematic approach to Training ensures that training programmes and the required support materials are developed continuously to include the changing community needs and adapt to the rapidly changing environment.

PROGRESS

IFFDC has laid emphasis on grooming people of the community for performing transformational roles that aim at capacity building of groups and individuals. These roles include entrepreneurship and management skills of PFFCS, SHG, FPO, Village Watershed Development Committees and other groups and village level local service providers. During the year, 20 trainings on Skill Development and 10 Exposure Visits were organised.

Outcome

- Capacity building programmes have played a crucial role of generating awareness, developing skills & knowledge which has helped in smooth implementation of projects, initiating micro-enterprises and inculcating a sense of ownership in the community, which in turn helps in the overall sustainability of interventions.
- A cadre of more than 200 local-level service providers have been trained and groomed as para-professionals, Krishakmitras, Jankars, volunteers / community facilitators group motivators, etc. and are involved in skill up-gradation of the community.
- Involvement of women in the training programmes has helped in instilling a sense of confidence in these women.

Other

- Towards making the ICA Global Conference in New Delhi the Carbon Neutral ICA Global Conference, 10,711 Peepal (Ficus Religiosa) saplings comprising 5,500 in U.P., 2,700 in West Bengal and 2,511 in Odisha saplings were planted.

Capacity Building Training on Leadership Development for Chairmen/Directors of Forestry Cooperatives-Udaipur (Rajasthan)

सी.एस.आर. पहल

''कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व'' (सी.एस.आर.) प्रबंधन की एक अवधारणा है जिसमें, कम्पनियाँ अपने व्यापार के संचालन तथा अपने हितधारकों के साथ बातचीत में सामाजिक एवं पर्यावरण चिन्ताओं को समन्वित करती है। सी.एस.आर. सामान्यतः एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से एक कम्पनी आर्थिक, पर्यावरण तथा सामाजिक अनिवार्यता में एक सन्तुलन प्राप्त करने के साथ–साथ शेयरधारकों की अपेक्षाओं को भी सम्बोधित किया जाता है।

अधिकांश कारपोरेट, सी.एस.आर. नीति की अनुपालना कर रहे हैं तथा उनके केन्द्रित क्षेत्रों में सामाजिक व पर्यावरण विकास के विभिन्न सी.एस.आर. गतिविधियों/परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। सी.एस.आर. आधारित कार्यक्रमों को सूत्रीकरण करने व उनके क्रियान्वयन करने तथा इस प्रकार की पहलों के परिणामोन्मुखी क्रियान्वयन के लिए विशेष मनोवृत्ति, रणनीति, कौशल तथा क्षमताओं की आवश्यकता होती है।

इस प्रकार के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु आई.एफ.एफ.डी.सी. के पास वांछित योग्यता, मनोवृति, कौशल क्षमता तथा अनुभव है, अतः कार्पोरेट्स को परिणामोन्मुखी तरीके से उनके सी.एस.आर. प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान किया जा रहा है। आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा कार्पोरेट्स के सी.एस.आर. पहल में भागीदारी कर अपनी सेवाओं का विस्तार करने के माध्यम से गरीबी उन्मूलन एवं चिरन्तर आजीविका विकास की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं। आई.एफ.एफ.डी.सी. की ग्रामीण आजीविका पहुँच में लोगों के विकास को केन्द्र में रखा जाता है तथा सम्पत्ति व कौशल निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है ताकि, महिलाएँ व पुरुष, रोजगार व आय अर्जन के लिए नये अवसरों तक अपनी पहुँच बना सके।

सी.एस.आर. परियोजनायें

इफको टोकियो–समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना (आई.आई.आर.डी.पी.)

आईएफएफडीसी ने 7 राज्यों यानी राजस्थान, ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार के 32 गांवों में 09 इफको–टोकियो एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजनाएं (आईआईआरडीपी) सफलतापूर्वक पूरी की हैं। इन परियोजनाओं से 5,171 से अधिक परिवार (24,800 से अधिक लोग) सीधे लाभान्वित हुए।

अवधि (2015–2024) के दौरान मुख्य उपलब्धियाँ:

- 645 बेरोजगार युवाओं का कम्प्यूटर संचालन, ब्यूटीशियन, बढ़ईगिरी, इलेक्ट्रिशियन, यांत्रिकी, बाँस के उत्पाद, हैंडलूम, सैनिटरी नैपकिन निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि पर व्यावसायिक कौशल विकास किया गया। प्रशिक्षित युवाओं को विभिन्न लघु उद्योग प्रारंभ करने में सहायता प्रदान की गई जिससे इन युवाओं को सतत् रोजगार एवं आजीविका का सृजन हुआ।
- क्लाईमेट एक्शन के तहत, 68 सौर आधारित पेयजल इकाइयाँ स्थापित की गईं, जिससे 2050 परिवारों के लिए सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित हुआ। इसके अतिरिक्त स्थापित 244 सौर स्ट्रीट लाइट और 3,386 सौर होम लाइट के परिणामस्वरूप परियोजना गाँवों में बिजली की लागत और ऊर्जा की बचत हुई।
- जल संसाधन विकास के तहत, 28 तालाब, 10 चेक डैम और 118 कुएँ/रिंग कुएँ का निर्माण/पुनर्निर्माण किया गया। क्षेत्र के कुओं में जल स्तर 4–5 फीट बढ़ गया है, जिसके कारण 265 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो गई है। साथ ही, आस–पास के गांवों के मवेशियों को इन तालाबों और अन्य जल संरक्षण संरचनाओं से पर्याप्त पीने का पानी मिल रहा है।
- निर्मित 266 शौचालय और 30 स्नानघरों से खुले में शौच को कम करने में मदद मिल रही है। परियोजना गांवों की स्वच्छता और स्वस्थ वातावरण में वृद्धि हुई है। महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं और उनका आत्म–सम्मान बढ़ा है। महिलाओं ने इन सुविधाओं को "इज्जत घर" का नाम दिया है।
- पर्यावरण उन्नयन के तहत, परियोजना गांवों के गरीब परिवारों को 2,567 स्मार्ट धुआं रहित चूल्हे प्रदान किए गए, जिससे ईंधन की लकड़ी की बचत, वनों पर दबाव घटा और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ और उनका श्रम भी कम हुआ क्योंकि महिलाओं को खाना पकाने में लगने वाले समय में प्रतिदिन एक घंटे की बचत हो रही है। यह अनुमान है कि, प्रति परिवार प्रति दिन 4 किलोग्राम ईंधन की लकड़ी की खपत में बचत हो रही है।

CSR INITIATIVES

"Corporate Social Responsibility" (CSR) is a management concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and interactions with their stakeholders. CSR is generally understood as being the way through which a company achieves a balance of economic, environmental and social imperatives simultaneously, addressing the expectations of shareholders and stakeholders.

Most of the corporates are complying with the CSR policy and implementing various CSR activities/projects for social and environment development in their focused area. Formulation and Implementation of CSR based programmes requires special aptitude, strategy, skills and capabilities for outcome-oriented results. IFFDC has the requisite attributes as well as the experience of implementing such programmes and has started facilitating Corporates for result oriented CSR commitments. IFFDC's own rural livelihoods approach places people at the centre of development and focuses on building assets and skills so that women and men can access new opportunities for income generation and employment for sustainable livelihood. Accordingly these efforts in partnership with Corporates under their CSR initiatives are also aligned with IFFDCs own priorities of poverty alleviation and sustainable rural livelihood development .

CSR PROJECTS

IFFCO-TOKIO Integrated Rural Development Project (IIRDP)

IFFDC has completed 09 projects of IFFCO-TOKIO Integrated Rural Development Projects (IIRDP) successfully in 32 villages of 7 States i.e. Rajasthan, Odisha, Assam, West Bengal, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Bihar. Around 5,171 families (More than 24,800 People) were benefitted directly from these projects.

Major achievements during the period (2015-2024):

- The skills of 645 unemployed youth were built in various trades i.e. Computer Operator, Beautician, Carpenter, Electrician, Mechanic, Bamboo craft, Handloom weaving, Sanitary Napkin making, Hair cutting, Food processing etc. The trained youth were supported in undertaking microenterprises, which generated sustainable employment and livelihood.
- Under Climate Action, 68 Solar based drinking water units were installed that are ensuring safe drinking water for 2050 families. Additionally 244 Solar Street Lights and 3,386 Solar Home Lights were installed, that have resulted in saving of electricity cost and energy in the project villages.
- Under Water Resource Development, 28 Ponds, 10 Check Dams and 118 Well/Ring Wells were constructed/renovated. The water table in wells of the area increased by 4-5 feet and 265-hectare additional area was brought under irrigation. Cattle from nearby villages are also as a result getting sufficient drinking water from these ponds & other water harvesting structures.
- The constructed 266 Toilets and 30 Bathrooms are helping in minimizing open defecation. The cleanliness and hygiene in Project villages has increased and self-esteem of women and girls has enhanced. The women have an appropriate nomenclature "Izzat Ghar" for these facilities.
- Under Environment Upgradation, 2,567 Smart Smokeless cooking Stoves (Chulah) were provided to Poor Families of Project villages, which has helped in fuel wood saving, reducing pressure on forests, improving women health and reducing women drudgery as the time of women in cooking is saved by an estimated one hour every day. It is estimated that the consumption of about 4 Kg fuel wood per day/family is being saved.

- सामाजिक विकास के तहत, निर्मित 13 सामुदायिक केंद्र समुदाय के लिए बैठकों, स्वयं सहायता समूहों की बैठकों, प्रशिक्षणों और अन्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन में बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। यह इस बात से साबित हो जाता है कि, ओडिशा राज्य में, चक्रवर्ती तूफान के दौरान, इन सामुदायिक केन्द्रों का उपयोग समुदाय द्वारा आश्रय स्थल के रूप में किया जा रहा है।
- परियोजना गांवों में स्थापित 140 वर्मी–कंपोस्ट इकाइयां और 1157 कंपोस्ट इकाइयां, खेतों के मृदा स्वास्थ्य को सुधारने हेतु पोषक तत्वों से भरपूर खाद प्राप्त करने में मदद कर रही हैं।
- आदिवासी क्षेत्रों में परियोजना क्रियान्वयन से पूर्व उनके केल्लू की छत वाले घरों में दिन में भी अंधेरा रहता था। क्योंकि, इन घरों में वेंटिलेशन या खिड़कियां नहीं हैं, जिससे सूरज की रोशनी घरों में प्रवेश कर सके। इसके अलावा दरवाजे भी बहुत छोटे हैं, जिसके कारण घर तेज धूप में भी बहुत अंधेरे में रहते थे। दिन के समय घरों के अंधेरे को खत्म करने के लिए 1000 गरीब परिवारों के घरों की छतों पर 1,980 पारदर्शी फाइबर शीट लगाई गई। अब, इनमें दिन के समय प्राकृतिक रोशनी हो रही है।
- सुंदरबन क्षेत्र में अम्फान चक्रवात के कारण क्षतिग्रस्त हुए 265 गरीब परिवारों के घरों की मरम्मत की गई जिससे गरीब परिवारों को तुरंत राहत मिली।
- परियोजना गांवों में स्वच्छता की स्थिति में सुधार के क्रम में संबंधित समुदाय को घरों के आस–पास साफ–सफाई रखने के महत्व के बारे में अवगत कराया गया। परियोजना गांवों में 2,240 कूड़ेदान स्थापित भी किये गये। अब समुदाय गांव में साफ–सफाई का प्रबंध करते हैं तथा कचरे को फेंकने के लिए कूड़ेदान का उपयोग कर रहे हैं।
- पशुधन विकास के तहत 475 गरीब परिवारों को मुर्गीपालन लघु उद्योग अपनाने में सहयोग किया गया। गरीब परिवारों के लिए आय और आजीविका उत्पन्न करने का एक वैकल्पिक स्रोत विकसित किया गया है। अंडे और चिकन बेचने से प्रति परिवार को औसतन 1,500–2,000/– रुपये प्रति माह की आय हो रही है।

हरित पट्टी विकास परियोजना

मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड के सी.एस.आर. के तहत् हरित पट्टी विकास की 4 परियोजनायें हरियाणा व दिल्ली एन.सी.टी. में सफलतापूर्वक पूर्ण की गई। इन परियोजनाओं का उद्देश्य पर्यावरण सुधार हेतु वनोच्छादित क्षेत्र को बढ़ाना है जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में योगदान हो सके। 11000 वृक्षों से परिपूर्ण एवं विकसित हरित क्षेत्र से कार्बन अवशोषण एवं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में कमी करने में मदद मिल रही है। इन क्षेत्रों में जैवविविधता में सुधार हुआ है।

सी.एस.आर. परियोजनांतर्गत महिला सदस्यों द्वारा संचालित 'सुपारी के पत्तों से पत्तल निर्माण' लघु उद्यम

- Under Social Development, the constructed 13 Community Centres have proved very useful for the rural community in organising community meetings, SHG meetings, training and other social & cultural activities. Of note is the fact that in Odisha State, these community centres are being used by the community as shelter houses during cyclones.
- The established 140 Vermi-compost units and 1157 compost units in the project villages are helping the farmers in producing nutrition rich manure to improve the soil health of their fields.
- Prior to implementation of the projects in tribal areas, the thatched houses of project villages were in darkness. With little or no ventilation or windows to allow sunlight to enter and very small doors, houses remained in darkness even during the day. To address this severe inadequacy , 1,980 transparent fiber sheets were installed on roofs of 1000 poor family houses. These houses now have natural lighting in the day time, which has made a great qualitative change for these families.
- Repairing of Houses of 265 Poor families, damaged due to Amphan Cyclone in Sundarban Area, has also extended immediate relief to the cyclone affected poor families.
- To improve the hygiene of project villages, the concerned communities were made aware about the importance of keeping and maintaining cleanness in and around houses. Also, 2,240 Waste Disposal Bins were installed in the project villages. The community is now maintaining cleanliness in the villages and using the waste disposal bins for dumping all waste material.
- Under Livestock Development, 475 poor families were supported in undertaking poultry rearing in micro-enterprises, which has created for them an alternate source for generating income and livelihood . The average income per family obtained by selling of eggs & chicken is 1,500-2,000/-per month

Green Belt Development Project

IFFDC has successfully completed 4 CSR projects on Green Belt Development with the support of M/s Mitsui & Co. Ltd. in Haryana and Delhi NCT. The objective of these projects is to increase tree cover for environment improvement thereby contributing toward combating the climate change. The developed green cover with about 11,000 trees is helping in carbon sequestrations and mitigating climate change. Moreover, the biodiversity in these areas has improved.

Equipment support for physically disabled community members for easy and safe mobility under CSR Project

सफलता की कहानी

चूड़ियों की खनखनाहट बनी आत्मनिर्भरता की आहट

मूडरा, मध्य प्रदेश के जिला सागर से 35 से 40 कि.मी. दूर ऊबड़–खाबड़ पथरीली जमीन के बीच से होता हुआ बेवस नदी के पास एक छोटा सा गाँव है। यहाँ आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा 1998–99 में प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समिति का गठन किया गया था। यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के 100–150 परिवार निवास करते थे लेकिन कुछ किसानों की जमीन डूब क्षेत्र में आ जाने से 20–25 परिवार गाँव से पलायन कर गए। गाँव में सभी मध्यम वर्ग के परिवार हैं। उनके पास खेती के लिए नाम मात्र की जमीन है, और वो भी अनुपजाऊ, इसलिए लोग आजीविका की तलाश में सागर या अन्य नजदीकी शहरों में जाकर छोटी–मोटी नौकरी करते हैं।

वर्तमान में बेवस नदी पर राजघाट पुल का निर्माण किया गया, जिससे अधिकतर परिवारों की कृषि भूमि इसमें चली गई, जिससे खेती का कार्य भी कम हो गया। गाँव की महिलायें सुबह और शाम का खाना बनाने के बाद पूरा दिन खाली रहतीं और आपस में बैठकर इधर–उधर की बातों में समय काटती थीं। पूर्व में आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया था, लेकिन वह लगभग बंद हो चुका था। वर्ष 2022–23 में संस्था ने महिलाओं की नये रूप से बैठक कराकर इस समूह को पुनर्जीवित किया। दस महिला सदस्यों ने इस समूह की शुरुआत की। इस समूह की अध्यक्ष श्रीमती रचना देवी ने सभी महिलाओं के साथ बैठकर आत्मनिर्भर बनने हेतु कोई व्यवसाय करने का सुझाव दिया। आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा समूह के सदस्यों के उत्साह को देखकर बायोवेद अनुसंधान संस्थान, प्रयागराज में लाख के उत्पाद जैसे पेपर वेट, पेन स्टैंड बनाने का प्रशिक्षण दिलवाया गया। लेकिन इन उत्पादों की अच्छी बिक्री न होने से समूह के सदस्यों को मायूसी ही हाथ लगी। समूह के सदस्य पूरी तरह से हताश हो चुके थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा व्यवसाय शुरू किया जाये जिससे कुछ आमदनी होने लगे।

तभी समूह की अध्यक्ष श्रीमती रचना देवी ने चूड़ी निर्माण का सुझाव दिया। समूह की सभी महिला सदस्यों की रजामंदी से चूड़ी निर्माण कार्य प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि उनका मानना था कि चूड़ियाँ गाँव, कस्बा एवं शहर सभी जगह महिलाओं द्वारा पहनी जाती हैं, इसलिए इन्हें बेचने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी।

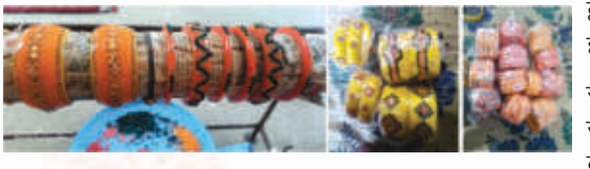

समूह की अध्यक्ष श्रीमती रचना देवी एवं समूह के अन्य सदस्यों का उत्साह देखकर आई.एफ.एफ.डी.सी. संस्था द्वारा वर्ष 2024 में समूह की महिलाओं को चूड़ी बनाने का प्रशिक्षण दिलवाया गया। समूह की सभी महिला सदस्यों ने चूड़ी बनाने का सात दिवसीय प्रशिक्षण लेकर अपना कार्य शुरू किया, जिससे हर महिला सदस्य को सभी खर्च निकाल कर महीने में लगभग 2000/– से 3000/– रुपये की बचत हुई। महिलाओं ने उसी बचत के पैसे से दोबारा कच्ची सामग्री मंगवायी और चूड़ियाँ बनाकर बिक्री की, जिससे उनकी बचत में और अधिक इजाफा हुआ। बिक्री के साथ ही साथ महिलाओं का उत्साह भी बढ़ता गया।

वर्तमान में, सभी महिला सदस्य अपने–अपने घरों का कार्य निपटाने के बाद गांव के पंचायत भवन के कमरे में बैठकर 1–2 घंटे लाख चूड़ियाँ बनाने का कार्य कर रही हैं। इनकी चूड़ियाँ स्थानीय बाजार के साथ ही साथ सागर में लगने वाली प्रदर्शनियों में भी बिक्री की जाती हैं। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन और आकर्शक रंगों से सुसज्जित होने के कारण इनकी काफी मांग बढ़ रही है। होली, शादी–विवाह, नवरात्रि, करवा चौथ, तीज आदि त्योहारों पर इनकी चूड़ियों की माँग बड़ी–बड़ी दुकानों से भी होने लगी है। सभी महिलायें अब हर महीने घर बैठे 4000 से 5000 रुपये की आमदनी कर रही हैं। अब समूह की महिला सदस्य छोटे–छोटे खर्चे के लिए अपने पतियों पर निर्भर नहीं हैं बल्कि बच्चों के छोटे–मोटे खर्च एवं स्कूल फीस वगैरह भरने में वे अपने परिवार का सहयोग भी कर रही हैं। ग्रामीण महिलायें जो घर से बाहर नहीं निकलती थीं वे आज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सागर में विद्यार्थियों के साथ स्वनिर्मित लाख की चूड़ियों की प्रदर्शनी लगा रही हैं।

लाख की चूड़ी बनाने में स्व सहायता समूह की महिलाएं निपुण हो गई हैं जिससे उनकी आमदनी में दिनों दिन बढ़ोत्तरी हो रही है। आज श्रीमती रचना एवं समूह के अन्य सदस्यों के चेहरे पर मुस्कान है और सभी अपने–अपने परिवार में खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। सही कहा गया है – अगर मेहनत आदत बन जाये तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। महिला सदस्यों द्वारा स्वावलंबन का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया गया है।

Success Story

ALONE WE GO FAST, TOGETHER WE GO FAR

(Success can be achieved through collective efforts)

The aggregation of marginal, small and landless farmers into FPO has helped increase market linkages to improve farmer incomes and endow them with economic strength. The FPO provides end-to-end services and support to small farmers such as provision of inputs of various kinds, technical knowhow, processing, marketing, other aspects of cultivation and above all handholding. As rightly said by Henry Ford ,"Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success".

Hence, an effort was made by Indian Farm Forestry Development Cooperative Limited (IFFDC) in Maharashtra under the "Central Sector Scheme for Formation and Promotion of 10,000 Farmer Producer Organisations (FPO)". IFFDC mobilised 926 farmers in Block Warora, District Chandarpur (Maharashtra) and registered "Labhan Sarad Farmer Producer Company Limited" in the month of August, 2021. The members of the Labhan Sarad FPO collected share capital of Rs. 11,84,000/- and received Rs. 11,01,000/- as equity grant from GoI, a total share capital of Rs. 22,85,000/-.

Background: The members of this FPO are largely small and marginal farmers with high vulnerability to credit and market forces. The main crops cultivated are Turmeric and Cotton in the Kharif season and Wheat in Rabi. But the farmers have not been getting reasonable prices for their crop produce due to their lack of access to markets, lack of knowledge of market/mandi prices, low bargaining capacity and low holding capacities.

Initiatives: Against this backdrop, the FPO started an "Agro-input Service Centre" and the farmers were benefited even in the first year of its operation as a result of the supply they received of quality Agri-inputs. Through convergence, the FPO also extended the benefits of the State Agriculture Department Schemes to the member farmers in terms of getting seed treating drums, spiral seed separators, sprayers, Tarpaulin sheets, and other farm machinery. Now, with the Demonstration Effect of the benefits derived by the existing farmer members, non-members are also coming forward to become members of the FPO for availing its benefits and using its service centre. The NABKISAN provided working capital of Rs. 10 lakhs to the FPO, which has helped the FPO expand the Agro-input Service Centre , increasing its turnover to a total Rs. 1.23 crore by September 2024. Through various technical knowledge training programmes, the farmers are able to get higher crop yields. The farmers are now prospecting for favourable markets to sell their crop produce at fair prices.

Step Forward: Looking at the marketing problems of their farmer members, the FPO has developed linkages with Oil manufacturing companies and NAFED and has started trading of Soybean and Gram. Till September, 2024, a total 955 qtls of both commodities was traded. The member farmers were benefited both by way of receiving fair prices for their produce and the savings in transportation as well as packing costs due to their produce being collected at their doorstep.

The FPO now plans on expanding its existing business i.e. its Agro-input Service Centre and its Commodity trading on behalf of member farmers. It has also obtained FSSI Licenses and envisaging the setting up of a "Soybean Oil Extraction Unit" and small "Dal Mill". The value-added products will be marketed with proper branding by developing linkages with the wholesaler as well the retailers.

Lesson Learnt: Initial economic benefits attract farmers to become members of the FPO. Moreover, collective efforts in term of formal organisation enhance the reach of the primary producers directly to the manufacturers, which helps in abolishing the middleman who in the present set up always gets the maximum margin of the Agri-business.

बीज एवं अन्य कृषि आदान

(अ) बीज

बीज कृषि उत्पादन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं क्रांतिक आदान है जिस पर अन्य कृषि आदानों की कार्य क्षमता एवं प्रभाव बहुत हद तक निर्भर करता है। भिन्न–भिन्न फसलों में केवल सही बीज के प्रयोग से ही फसल उत्पादन में 15–20 प्रतिशत की वृद्धि संभव है तथा बीज के साथ अन्य कृषि आदानों के बेहतर प्रबंधन से फसल उत्पादन को 45 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की कृषि–जलवायु परिस्थितियों में अधिक उत्पादन देने वाले बीज की समुचित मात्रा उचित मूल्य पर उपलब्ध होना आवश्यक है। कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में निरन्तर बढ़ोत्तरी के लिए नई व उन्नतशील किस्मों के बीजों का विकास अत्यन्त आवश्यक है जिससे किसानों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

यह साबित हो चुका है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भविष्य में खाद्य सुरक्षा हेतु विभिन्न फसलों के लिए बीज प्रतिस्थापना दर (सीड रिप्लेसमेंट रेट) को बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारे देश में अधिकतर किसानों को आज भी अच्छी गुणवत्ता का उन्नत बीज उपलब्ध नहीं हो पाता है जिससे वे पीढ़ी दर पीढ़ी घर के बीजों को ही प्रयोग में ले रहे हैं। फसल की अधिक उपज हेतु गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता पूर्व अपेक्षित है।

इस समस्या के समाधन हेतु आई.एफ.एफ.डी.सी. ने 'किसान केन्द्रित' बाजारोन्मुखी बीज उत्पादन कार्यक्रम आरम्भ किया है। इस कार्यक्रम के तहत किसानों के खेतों में आई.एफ.एफ.डी.सी. व राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था (एस.एस.सी.ए.) के तकनीकी पर्यवेक्षण में बीज उत्पादन किया जा रहा है। बीज उत्पादन कार्य में रुचि रखने वाले व आई.एफ.एफ.डी.सी. के बीज उत्पादन के मापदण्डों को पूरा करने वाले किसानों को 'बीज उत्पादक समूहों' (एस.जी.जी) के रूप में संगठित कर उनमें उच्च गुणवत्ता के बीज उत्पादन की क्षमता को विकसित किया जा रहा है। इनके द्वारा उत्पादित बीजों को आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा स्वयं के अथवा किराये के प्रसंस्करण संयंत्रों पर अपने पर्यवेक्षण में बीज उत्पादन के तकनीकी पहलुओं के अनुरूप प्रसंस्करण किया जाता है। राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था से प्रमाणित करवाने के पश्चात् सहकारी बिक्री तन्त्र के माध्यम से बीज किसानों को विपणन किया जाता है।

श्री बेनिटो जिमेनेज, अध्यक्ष सी.एन. इफको द्वारा सी.एन. इफको शोध प्रक्षेत्र समराला (पंजाब) में बीज फसल का अवलोकन

SEED & Other Agri-Inputs

(A) SEED

Seed is a critical determinant of agricultural production on which depends the performance and efficacy of other inputs. Seed itself can potentially raise total production by about 15% – 20% depending upon the crop and further up to 45% with the simultaneous efficient management of other inputs. Quality seeds appropriate to different agro-climatic conditions and in sufficient quantity at affordable prices are required to raise productivity. Availability and use of quality seeds is not a onetime affair. Sustained increase in agriculture production and productivity necessarily requires continuous development of new and improved varieties of crops in response to the needs of farmers as well as an efficient system of production and supply of seeds to farmers.

It has become evident that in order to achieve the food security in future for growing population, a major effort will be required to enhance the seed replacement rates of various crops. Most farmers in the country have little or no access to improved seed and continue to use the Farm Saved Seeds (FSS) generation after generation. For a good crop harvest, availability of quality seeds is a prerequisite.

To address this problem, the IFFDC has initiated a 'farmer centric', market driven Seed Production Programme. Seed is being produced on farmer's fields under IFFDCs and the State Seed Certification Agencies (SSCA) technical supervision. Interested farmers fulfilling the criteria of "IFFDC Seed Production Guidelines" are organised into "Seed Grower Groups" (SGG) and their capacities are built for seed quality control along with technical aspects of seed production. The seed is then processed either in IFFDC's own processing plants or hired processing plants under its supervision as per the "Seed Certification Standards". After certification by the SSCA, the seed is being marketed to the farmers through the existing cooperative network.

Certified Seed Production Field of Mustard (RH-1706) at Hisar (Haryana)

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता बढ़ाने व कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में बीज उत्पादन तथा विपणन कार्यक्रम किया जा रहा है। वर्ष 2024–25 के दौरान बीज उत्पादन कार्यक्रम में 6 फसलों की 18 नई किस्मों को जोड़ा गया है। 18 किलोवाट क्षमता की पहली सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई बीज प्रसंस्करण इकाई, दुर्जनपुर, हिसार (हरियाणा) में एवं 15 किलोवाट क्षमता की दूसरी सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई बीज प्रसंस्करण इकाई, रामपुराफुल, भटिंडा, पंजाब में स्थापित की गई, जिससे विद्युत व्यय में काफी बचत हो रही है।

अधिक से अधिक कृषकों को बीज उत्पादन प्रणाली से जोड़ने के लिए, आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा किसानों के साथ प्रभावी संवाद के लिए 'बीज उत्पादक समूह' के गठन पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिससे, उनमें क्षमता विकास हो व गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन को बढावा मिले। इन बीज उत्पादक समूहों को नियमित बैठकों, प्रशिक्षणों व जागरूकता लाने वाली गतिविधियों के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। उच्च गुणवत्ता के बीज उत्पादन के लिये आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा अपनी स्वयं की आन्तरिक गुणवत्ता नियन्त्रण प्रणाली विकसित की गई है जिसके तहत, विभिन्न क्रांतिक अवस्थाओं जैसे बीज स्त्रोंतों का प्रबंधन, बुवाई, खड़ी फसल में की जाने वाली शस्य क्रियायें, कटाई उपरान्त गतिविधियाँ, प्रसंस्करण व प्रमाणीकरण, पैकिंग, भंडारण, परिवहन आदि के समय निरीक्षण एवं नियंत्रण किया जाता है। आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा बीज के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। आई.एफ.एफ.डी.सी. ने किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज की आपूर्ति तथा बीज उत्पादक कृषकों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने के कार्य में योगदान किया।

संपर्क (लिंकेज) विकास

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा जनक एवं आधार बीजों के क्रय के लिए भारतीय राष्ट्रीय बीज संघ, राष्ट्रीय बीज निगम, कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, राज्य बीज निगमों व अन्य सस्थानों के साथ तथा उत्पादित बीज के प्रमाणीकरण के लिए राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थाओं के साथ प्रगाढ़ संबंध स्थापित किये गये हैं। आई.एफ.एफ.डी.सी. को सात केन्द्रीय बीज उत्पादक एजेंसियों में से एक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। केन्द्रीय बीज उत्पादक एजेंसी के रूप में आई.एफ.एफ.डी.सी. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की दलहन, पोषक अनाज एवं तिलहन योजनाओं के अंतर्गत अपनी सेवायें प्रदान कर रही है। यह योजना मुख्य रूप से प्रजनक बीज खरीद, आधार एवं प्रमाणित बीज उत्पादन एवं मिनीकिट वितरण पर केंद्रित है।

कोटा (राजस्थान) में चना की किस्म जी.एन.जी. 2171 का प्रमाणित बीज उत्पादन प्रक्षेत्र

IFFDC has undertaken Seed Production and Marketing in the states of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Haryana, Punjab, Jammu & Kashmir, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Bihar, West Bengal, Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand and Himachal Pradesh to increase availability of quality seed and thus enhance agricultural productivity. 18 new varieties of 6 crops have been added in the Seed Production Programme during the year 2024-25. The first Solar Power Generation Unit of 18 KW capacity has been established at SPU, Durjanpur, Hisar (Haryana) and Second Solar Power Generation Unit of 15 KW capacity has been established at SPU, Rampuraphul, Bhatinda (Punjab), which saved electricity cost.

To bring farmers under the ambit of the Seed Production System, IFFDC is focusing on formation of Seed Growers Groups (SGG) for effective communication with the farmers, providing helps in capacity building and also ensuring quality seed production. These SGGs are being nurtured through regular meetings, training and various awareness creating activities. For ensuring the quality of seeds produced, the IFFDC has an inbuilt Internal Quality Control (IQC) System, which involves inspection and control at various critical stages viz. arranging seed sources, sowing, field/crop level, post-harvest, processing, certification, packaging, storage, transportation etc. Wider publicity of IFFDC seeds is being undertaken through organising various activities. IFFDC has thus also contributed towards the national goal of doubling farmers income by providing quality seeds and also providing incentives to the seed grower farmers.

Linkages Development

IFFDC has developed strong linkages with National Seed Association of India (NSAI), National Seed Corporation (NSC), Agricultural Universities, Research Institutes, State Seed Corporations and other Agencies for procuring Breeder/Foundation Seed. It has also established strong links with the State Seed Certification Agencies for the Certification of the IFFDC produced seeds. IFFDC is now recognised as one of the seven central seed producing agencies and under this banner providing services for the different schemes of National Food Security Mission (NFSM) – Pulses, Nutri-Cereals & Oilseeds, Ministry of Agriculture and Farmer's Welfare, Govt. of India, New Delhi. These schemes are mainly focused on the procurement of Breeder seeds, production of Foundation & Certified Seed and minikit distribution.

Smt. Madhavi M. Vipradas, Managing Director visited the Spinach Seed Production Field of IFFCO CN Experimental Farm Samrala (Punjab)

बीज प्रसंस्करण एवं भंडारण

संस्था की ताखा, इटावा (उत्तर प्रदेश), चपरतला, लखीमपुर–खीरी (उत्तर प्रदेश), रामपुराफूल, भटिंडा (पंजाब), दुर्जनपुर, हिसार (हरियाणा) तथा कोटा (राजस्थान) में पाँच प्रसंस्करण इकाईयाँ कार्यरत हैं जिनमें भण्डारण की समुचित व्यवस्था है।

बीज गुणवत्ता सुनिश्चितीकरण

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने अपने बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए एक सुपरिभाषित गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र स्थापित किया है। इस पहल के पीछे मूल उद्देश्य आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा उत्पादित बीजों की गुणवत्ता में विश्वास को बढ़ाना है, ताकि सुदृढ़ गुणवत्ता परीक्षण तंत्र के माध्यम से उच्चतम मानक सुनिश्चित किए जा सकें। संस्था ने अपनी बीज प्रसंस्करण इकाई (एस.पी.यू.), चपरतला, जिला लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश) में आधुनिक मशीनों और उपकरणों से सुसज्जित एक बीज परीक्षण प्रयोगशाला (एस.टी.एल.) की स्थापना की है। वर्ष के दौरान, विभिन्न फसलों के 4735 बीज नमूनों का परीक्षण किया गया और परिणामों को तदानुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए आई.एफ.एफ.डी.सी. की संबंधित बीज उत्पादन इकाइयों को प्रेषित किया गया। इससे न केवल बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित होती है बल्कि किसानों को उच्च–मानक कृषि बीज प्रदत्त होने से उनका विश्वास भी अर्जित होता है जिससे फसल की उपज में वृद्धि होने में मदद मिलती है।

वर्ष के दौरान प्रगति

(I) उत्पादन

- खरीफ 2024 के दौरान कुल 17,510 क्विंटल प्रमाणित बीज (10,075 क्विंटल मूँगफली, 6,120 क्विंटल धान, 520 क्विंटल मूँग, 400 क्विंटल उड़द एवं 395 क्विंटल ज्वार) का उत्पादन किया गया जो कि खरीफ 2025 में विपणन के लिये उपलब्ध होगा।
- रबी 2024–25 के दौरान लगभग 3.11 लाख क्विंटल उत्पादित प्रमाणित बीज (3.05 लाख क्विंटल गेंहूँ, 4,000 क्विंटल चना, 1,640 क्विंटल जौ, 200 क्विंटल सरसों एवं 100 क्विंटल बरसीम) रबी 2025–26 में विपणन के लिए उपलब्ध होगा।
- इसी प्रकार, लगभग 12,575 क्विंटल आधार बीज (605 क्विंटल धान, 51 क्विंटल मूँग, 11,600 क्विंटल गेहूँ, 290 क्विंटल चना, 27 क्विंटल जौ एवं 2 क्विंटल सरसों) आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा उत्पादित किया गया जो कि अगले वर्ष के बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए प्रयोग में लाया जायेगा।
- सी.एन.–इफको अनुसंधान प्रक्षेत्र, समराला, पंजाब में सब्जियों की फसलों यानी भिंडी, लौकी, तोरई, कद्दू, खीरा, आलू, पालक, गाजर, मूली, शलजम, धनिया, मटर और मेथा का बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया गया। आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा वर्ष 2024–25 के दौरान अनुमानित 50,607 किलोग्राम सब्जी बीज का उत्पादन किया गया।

प्रबंध निदेशक आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा बीज प्रसंस्करण संयंत्र, हिसार (हरियाणा) में रबी 2024–25 में उत्पादित रॉ बीज प्रसंस्करण का शुभारंभ

Seed Processing and Storage

IFFDC has five Seed Processing Units with sufficient storage facility in operation at Takha, Etawah (Uttar Pradesh), Chapartala, Lakhimpur Khiri (Uttar Pradesh), Rampura Phul, Bhatinda (Punjab), Durjanpur, Hisar (Haryana) and Kota (Rajasthan).

Ensuring Quality of Seeds

IFFDC has established a well-defined Quality Control Mechanism for its Seed Production Initiative fundamentally aimed at enhancing the quality assurance of the seeds it produces. For ensuring the highest standards through rigorous Quality Testing Mechanism, it has established a Seed Test Laboratory (STL) equipped with modern machines and tools at its Seed Processing Unit (SPU), Chapartala, Distt. Lakhimpur Khiri (Uttar Pradesh). During the year, 4735 seed samples of various crops have been tested and the results were communicated to the concerned seed production units of IFFDC for appropriate necessary action. This proactive approach not only fosters better seed quality but also supports the farmers by providing them with high-standard agricultural seeds that can contribute to improve crop yield. This initiative highlights the importance of reliable seed testing in promoting agricultural productivity and sustainability.

Progress during the year

(I) Production

- During Kharif 2024, a total of 17,510 quintal Certified Seeds (10,075 quintal Groundnut, 6,120 quintal Paddy, 520 quintal Moong, 400 quintal Urd and 395 quintal Sorghum) have been produced & the same will be available for marketing during Kharif 2025.
- During Rabi 2024-25, approximately 3.11 lakh quintal Certified Seeds (3.05 lakh quintal Wheat, 4,000 quintal Gram, 1,640 quintal Barley, 200 quintal Mustard and 100 quintal Berseem) produced will be available for marketing during Rabi 2025-26.
- Similarly, approximately 12,575 quintal Foundation Seed (605 quintal Paddy, 51 quintal Moong, 11,600 quintal Wheat, 290 quintal Gram, 27 quintal Barley and 2 quintal Mustard) has been produced by IFFDC for further multiplication.
- Seed Production of Vegetable Crops i.e. Okra, Bottle Gourd, Sponge Gourd, Pumpkin, Cucumber, Potato, Spinach, Carrot, Radish,Turnip, Coriander, Pea & Metha has also been taken up at CN-IFFCO Experiment Farm, Samrala, Punjab. Approximately 50,607 Kg vegetable Seed have been produced by IFFDC during 2024-25.

Moong (Virat) Seed Production Programme at Takha, Etawah (Uttar Pradesh)

(ii) विपणन

- खरीफ 2024 के दौरान, कुल 37,548 क्विंटल (18,622 क्विंटल धान, 2,202 क्विंटल संकर धान, 1,955 क्विंटल मूंग, 1,252 क्विंटल सोयाबीन, 500 क्विंटल ज्वार, 1,065 क्विंटल संकर बाजरा, 11,240 क्विंटल मूंगफली, 529 क्विंटल संकर मक्का और 183 क्विंटल उड़द) बीज की बिक्री किसानों को सहकारी नेटवर्क, आई.एफ.एफ.डी.सी. फ्रेंचायजी एवं इफको ई–बाजार लिमिटेड को बिक्री की गई।
- रबी 2024–25 के दौरान कुल 3.19 लाख क्विंटल (3.14 लाख क्विंटल गेहूँ, 3,118 क्विंटल चना, 675 क्विंटल जौ, 193 क्विंटल सरसों, 400 क्विंटल संकर सरसों, 191 क्विंटल धान, 113 क्विंटल बरसीम और 10 क्विंटल तोरिया) बीज को सहकारी नेटवर्क एवं आई.एफ.एफ.डी.सी. फ्रेंचायजी के माध्यम से किसानों को बिक्री की गई।
- वर्ष 2024–25 के दौरान कुल 1,14,549 किग्रा (2,687 किग्रा सब्जी बीज कॉम्बो किट, 87,520 किग्रा आलू, 23,229 किग्रा मटर, 250 किग्रा पालक, 392 किग्रा धनिया, 119 किग्रा बीन्स, 91 किग्रा भिंडी, 87 किग्रा मूली, 57 किग्रा कद्दू, 22 किग्रा बंदगोभी, 21 किग्रा तरबूज, 20 किग्रा करेला, 13 किग्रा तोरई, 11 किग्रा बैंगन, 9 किग्रा खीरा, 6 किग्रा लौकी, 4 किग्रा चुकंदर, 3 किग्रा फूलगोभी, 3 किग्रा टमाटर, 2 किग्रा शलजम, 1 किग्रा मिर्च, 1 किग्रा टिंडा, 0.55 किग्रा घीया तोरई, 0.35 किग्रा चप्पन कद्दू एवं 0.35 किग्रा ककड़ी) सब्जी बीज को आई.एफ.एफ.डी.सी. फ्रेंचाइजियों एवं सहकारी नेटवर्क के माध्यम से किसानों को बिक्री की गई। वर्ष 2024–25 के दौरान विभिन्न सब्जी बीजों के 0.62 लाख पैकेटों की बिक्री की गई।

बीज उत्पादक समूह (एस.जी.जी.) और बीज प्रचार–प्रसार

- वर्ष 2024–25 के दौरान, कुल 275 सदस्यों के साथ 12 बीज उत्पादक समूहों का गठन किया गया है।
- कृषक समूहों के सदस्यों हेतु गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन की नई तकनीकियों की जानकारी हेतु कृषि अनुसंधान संस्थानों में सात और कृषि विश्वविद्यालयों के कृषक मेलों में पाँच भ्रमणों का आयोजन किया गया।

धान (किस्म पी.बी.–1692) बीज उत्पादन प्रक्षेत्र, ताखा, इटावा (उत्तर प्रदेश)

(ii) Marketing

- During Kharif 2024, total 37,548 quintal seeds (18,622 quintal Paddy, 2,202 quintal Hybrid Paddy, 1,955 quintal Moong, 1,252 quintal Soybean, 500 quintal of Sorghum, 1,065 quintal Hybrid Pearl Millet, 11,240 quintal Groundnut, 529 quintal Hybrid Maize, and 183 quintal Urd) has been sold to the farmers through the cooperative network, IFFDC Franchisees and IFFCO e-Bazar Ltd.
- During Rabi 2024-25, total 3.19 lakh quintal (3.14 lakh quintal Wheat, 3,118 quintal Gram, 675 quintal Barley, 193 quintal Mustard, 400 quintal Hybrid Mustard, 191 quintal Paddy, 113 quintal Berseem and 10 quintal Toria) seeds have been sold to the farmers through cooperative network and IFFDC Franchisees.
- During 2024-25, total 1,14,549 kg (2687 kg in Vegetable Seed Combo Kits, 87,520 kg Potato, 23,229 Kg Peas, 250 Kg Palak, 392 Kg Coriander, 119 Kg Beans, 91 Kg Okra, 87 Kg Radish, 57 Kg Pumpkin, 22 Kg Cabbage, 21 Kg Watermelon, 20 Kg Bitter Gourd, 13 Kg Ridge Gourd, 11 Kg Brinjal, 9 Kg Cucumber, 6 Kg Bottle Gourd, 4 Kg Beetroot, 3 Kg Cauliflower, 3 Kg Tomato, 2 Kg Turnip, 1 Kg Chilli, 1 Tinda, 0.55 Kg Sponge Gourd, 0.35 Kg Summer Squash & 0.35 Kg Longmelon) vegetable seeds have been sold to the IFFDC KSKs and through cooperative network etc. Total 0.62 Lakh packets of vegetable seeds were sold during the year 2024-25.

Seed Grower Groups (SGG) and Seed Publicity

- 12 Seed Grower Groups with 275 members have been formed during 2024-25.
- 7 exposure visits to the Agriculture Research Institutes and 5 visits to the Farmer Fairs of Agriculture Universities have also been organised to expose them to new technologies and practices of quality seed production.

Drone Spray of IFFCO Nano Urea Plus and IFFCO Nano DAP on Paddy (Variety NDR-2065)
Seed Production Field at Jabalpur (Madhya Pradesh)

- आई.एफ.एफ.डी.सी. बीज एवं इफको नैनो उर्वरक (तरल) के प्रचार–प्रसार के लिए, 143 नैनो उर्वरक ट्रायल, 28 क्षेत्र दिवस, 6 फसल संगोष्ठी, 42 विशेष बिक्री अभियानों, बिक्री कर्मियों हेतु 74 प्रशिक्षण कार्यक्रम, 19,100 वर्ग फुट वॉल पेंटिंग, 105 ट्रैक्टर–ट्रॉली पैंटिंग, आई.एफ.एफ.डी.सी. ए.एफ.एस.सी. पर 42 किसान सभा, 18 क्षेत्र प्रदर्शन, किसान मेलों में 3 प्रदर्शनी स्टॉल तथा विभिन्न स्थानों पर बोर्ड व बैनर आदि लगाये गये।

(ब) उर्वरक एवं कृषि रसायन

स्थाई रूप से फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए आई.एफ.एफ.डी.सी. अपनी वितरण श्रृंखला (कृषि–वानिकी सेवा केन्द्र, पी.एफ.एफ.सी.एस. नेटवर्क, कृषक सेवा केन्द्र आदि) के माध्यम से दूरदराज के किसानों को भी समय पर गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है।

प्रगति

2023–24 के सापेक्ष 2024–25 के दौरान आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा उर्वरक एवं कृषि रसायनों की बिक्री

क्र.सं.	विवरण	2024-25	2023-24	% वृद्धि / कमी
1.	थोक उर्वरक बिक्री (लाख मैट्रिक टन)	16.86	15.47	8.99
2.	जल विलेय उर्वरक + स्पेशिएलिटी उर्वरक (मैट्रिक टन)	34,152	30,472	12.08
3.	सागरिका लिक्विड (लीटर)	3,39,918	2,38,942	42.26
4.	सागरिका दानेदार (मैट्रिक टन)	16,571	11,467	44.51
5.	जैव उर्वरक (लीटर)	1,19,482	1,08,890	9.73
6.	इफको नैनो यूरिया एवं डी.ए.पी. बोतल (500 मिली) (संख्या)	53,55,013	35,24,514	51.94

कृषकों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के क्रम में आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा स्थापित बीज परीक्षण प्रयोगशाला में बीज गुणवत्ता की जाँच

- Wider publicity of IFFDC Seed & IFFCO Nano Fertilizers (Liquid) has been undertaken through organising 143 Nano Fertilizer Trails, 28 Field-days, 6 Crop Seminars, 42 Special Sales Campaigns, 74 Sale Personnel Trainings, 19,100 Sq. Ft. Wall Paintings, 105 Tractor Trolley Paintings, 42 farmers meeting at IFFDC AFSCs, 18 Field Demonstrations, participating in 3 Exhibition Stalls in Farmer Fairs, displaying boards and banners etc at various places.

(B) FERTILISERS & AGRO-CHEMICALS

To increase production and productivity of crops, timely supply of quality agri-inputs to the farmers even in the remote areas is being ensured by IFFDC through its supply chain (Agro-forestry Service Centres, PFFCS Network, IFFDC Krishak Seva Kendra & Franchisee etc).

PROGRESS

Sales of Fertilisers & Agro-Chemicals through IFFDC during 2024-25 v/s 2023-24

S.No.	Particulars	2024-25	2023-24	% Increase/ Decrease
1.	Bulk Fertiliser Sale (Lakh MT)	16.86	15.47	8.99
2.	WSF+ Speciality Fertiliser (MT)	34,152	30,472	12.08
3.	Sagarika Liquid (Litre)	3,39,918	2,38,942	42.26
4.	Sagarika Granular (MT)	16,571	11,467	44.51
5.	Bio-Fertiliser (Litre)	1,19,482	1,08,890	9.73
6.	IFFCO Nano Urea and DAP Bottle (500 ML) (Nos.)	53,55,013	35,24,514	51.94

Marketing Director, IFFCO Dr. Yogendra Kumar explaining the uses of IFFCO Nano Urea Plus and Nano DAP to the farmers of Rajasthan

कृषि–वानिकी सेवा केन्द्र

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल में 17 कृषि वानिकी सेवा केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। इन केन्द्रों के द्वारा उच्च उत्पादक किस्मों के बीज, इफको उर्वरक, जैव उर्वरक एवं इफको–एम.सी. कृषि–रसायन की आपूर्ति के साथ–साथ कृषकों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। वर्ष के दौरान, 19,410 मैट्रिक टन इफको खाद (12,937 मैट्रिक टन यूरिया, 1,177 मैट्रिक टन एन.पी.के., 5,296 मैट्रिक टन डी.ए.पी.), 348 मैट्रिक टन जल विलेय उर्वरक और स्पेशिएलिटी उर्वरक, 77 मैट्रिक टन सागरिका ग्रेनुलर, 706 लीटर सागरिका तरल, 434 लीटर जैविक खाद, 239.14 लाख रुपये का कृषि–रसायन एवं 9,020 क्विंटल गेहूँ, सरसों, बरसीम, मूँग एवं धान के प्रमाणित बीजों की आपूर्ति किसानों को इन कृषि वानिकी सेवा केन्द्रों द्वारा की गयी।

प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समिति नेटवर्क

उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियों को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए, इफको उर्वरकों का विपणन करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। वर्ष के दौरान, कुल 40 समितियों ने 4,168 मैट्रिक टन इफको उर्वरक (जिसमें 3,456 मैट्रिक टन यूरिया, 156 मैट्रिक टन एन.पी.के., 556 मैट्रिक टन डी.ए.पी.), 22 मैट्रिक टन जल विलेय उर्वरक एवं स्पेशिएलिटी उर्वरक, 14 मैट्रिक टन सागरिका ग्रेनुलर, 114 लीटर सागरिका तरल, 160 लीटर जैव उर्वरक और 3,195 क्विंटल विभिन्न फसलों के गुणवत्तायुक्त बीजों की भी आपूर्ति की गयी।

कृषक सेवा केन्द्र (के.एस.के.)

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र राज्यों के विशेषकर उन क्षेत्रों/जिलों में जहाँ सहकारी समितियां कमजोर हैं, वहाँ गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराने हेतु आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा कृषक सेवा केन्द्र खोलकर एक वितरण श्रृंखला प्रणाली विकसित की गई। देश भर में संचालित इस प्रकार के 11,305 केन्द्रों द्वारा इस वर्ष 16,62,889 मैट्रिक टन इफको उर्वरक (जिसमें 8,73,045 मैट्रिक टन यूरिया, 4,19,219 मैट्रिक टन डी.ए.पी. और 3,70,625 मैट्रिक टन एन.पी.के.) 33,782 मैट्रिक टन जल विलेय उर्वरक एवं स्पेशिएलिटी उर्वरक, 16,480 मैट्रिक टन सागरिका ग्रेनुलर, 3,39,098 लीटर सागरिका (तरल), 1,18,888 लीटर जैविक खाद तथा 1,22,454 क्विंटल धान, मूँग, संकर धान, संकर बाजरा, संकर मक्का, ज्वार, गेहूँ, सरसों, जौ, संकर सरसों, मूँगफली और चना के गुणवत्तापूर्ण बीजों की आपूर्ति की गई।

इफको सीएन शोध प्रक्षेत्र समराला में श्री राकेश कपूर, संयुक्त प्रबंध निदेशक, इफको की उपस्थिति में गेहूँ फसल कटाई का शुभारंभ

Agro-Forestry Service Centers

The IFFDC is operating 17 Agro-Forestry Service Centres (AFSC) in Uttar Pradesh, Haryana, Bihar and West Bengal. These AFSC are providing inputs like, HYV seed, IFFCO fertilisers, bio-fertilisers and IFFCO-MC Agro-Chemicals along with technical guidance to farmers. During the year, 19,410 MT IFFCO fertilisers (12937 MT Urea, 1177 MT NPK, & 5296 MT DAP) 348 MT WSF & specialty fertliser, 77 MT Sagarika Granular, 706 litre Sagarika Liquid, 434 litre Bio Fertiliser, Agro- Chemical of Rs.239.14 lakh and 9020 quintals Certified Seed of Wheat, Mustard, Berseem, Moong and Paddy etc have been supplied to the farmers through these AFSC.

PFFCS Network

The Primary Farm Forestry Cooperative Societies (PFFCS) in Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh were encouraged to take up the marketing of fertiliser and other agri-inputs for economic self-sufficiency. 40 PFFCS have marketed 4168 MT IFFCO fertiliser (comprising of 3456 MT Urea, 156 MT NPK & 556 MT DAP) 22 MT WSF & specialty fertliser, 14 MT Sagarika Granular, 114 Litre Sagarika Liquid, 160 litre Bio Fertiliser, and also 3195 quintals of quality seeds of various crops..

Krishak Seva Kendra (KSK)

To provide quality agricultural inputs, a delivery chain mechanism has been developed by opening IFFDC Krishak Seva Kendras (KSKs) in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Jharkhand, Tamilnadu, West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Telangana, Kerala, Karnataka, Chhattisgarh, Rajasthan, Haryana, Punjab and Maharashtra especially in the areas / districts where cooperative societies are weak. 11,305 such Centres operating all over India supplied 16,62,889 MT of IFFCO fertiliser (comprising of 8,73,045 MT Urea, 4,19,219 MT DAP and 3,70,625 MT NPK) 33,782 MT WSF & specialty fertilisers, 16,480 MT Sagarika Granular, 3,39,098 Litre Sagarika Liquid, 1,18,888 litre Bio Fertiliser and 1,22,454 quintals of quality seed of Paddy, Moong, Hybrid Paddy, Hybrid Bajra, Hybrid Maize, Sorghum, Wheat, Mustard, Barley, Hybrid Mustard, Groundnut, and Gram etc.

Paddy Seedling treated with IFFCO Nano Urea for Certified Seed Production Programme at Jabalpur (Madhya Pradesh)

मानव संसाधन विकास

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा सभी स्तरों पर प्रोफेशनल स्टॉफ को बेहतरीन अवसर प्रदान किया जा रहा है। 31 मार्च, 2025 तक कुल 279 कर्मचारी कार्यरत हैं जिसमें से 26 महिला कर्मचारी हैं जो विभिन्न स्तरों पर कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, संस्था ने इफको नैनो उर्वरकों के साथ–साथ आईएफएफडीसी बीज के विपणन और प्रचार के लिए 18 कृषि–इनपुट बिक्री सहायकों (ए.एस.ए.) की नियुक्ति की है और वित्तीय वर्ष 2025–26 में 100 से अधिक ए.एस.ए. की भर्ती की योजना है। प्लेसमेंट कंपनी "टीमलीज" के माध्यम से संस्था ने प्रेरित और प्रतिबद्ध मानव संसाधन के पोषण और विकास के लिए एक दूरदर्शी कर्मचारी केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाया है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने पहली बार एचआरएमएस सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जिसमें टाइम ऑफिस और पेरोल पूरी तरह कार्यात्मक है। कर्मचारी सुझाव योजना का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है और कर्मचारियों को संस्था की बेहतरी के लिए अपने सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कर्मचारियों को व्यवसायिक विकास के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों प्रशिक्षण हेतु भी नामित किया जाता है। आई.एफ.एफ.डी.सी. के कर्मचारियों के वेतनमान में भी 01.01.2024 से संशोधन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में आई.एफ.एफ.डी.सी.के सभी कर्मचारियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि सबसे अधिक थी। कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सभी को स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान प्रशिक्षण

- भारत भर में विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए नेतृत्व विकास, व्यवसाय प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन के क्षेत्रों में प्रशिक्षण आयोजित किए गए।
- बीज उत्पादन में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बीज उत्पादन तकनीक, बीज की गुणवत्ता आदि पर भी प्रशिक्षण आयोजित किए गए।
- उत्पादकता और टिकाऊ कृषि के संवर्धन के लिए लगभग 500 सेल्समैन के लिए नैनो उर्वरकों के उपयोग पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
- बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए ऑडिटिंग, कराधान आदि पर प्रशिक्षण आयोजित किए गए।
- सामान्य और आत्म जागरूकता पैदा करने के लिए सुशासन, सहकारी कानून और व्यवहार संबंधी पहलुओं के क्षेत्र में प्रशिक्षण आयोजित किए गए।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत आई.एफ.एफ. डी.सी. में एक आंतरिक शिकायत कमेटी का गठन किया गया है, ताकि महिला कर्मचारियों की शिकायतों, यदि कोई हो, का निवारण किया जा सके। समिति की नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

अधिनियम की धारा 21 के अनुपालन में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत गठित आई.एफ.एफ.डी.सी. की आंतरिक शिकायत कमेटी की 1.4.2024 से 31.3.2025 तक की अवधि की वार्षिक रिपोर्टः–

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी
1.	वर्ष में प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या	'शून्य'
2.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	'शून्य'
3.	नब्बे दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या	'शून्य'
4.	वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न के विरुद्ध आयोजित कार्यशालाओं या जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	3 (तीन) 23–25 / 07 / 2024 23 / 11 / 2024 19–22 / 03 / 2025
5.	नियोक्ता द्वारा की गई कार्रवाई की प्रकृति	आवश्यकता नहीं

Human Resource Development

IFFDC has been providing great opportunities to professionals at all levels. There are total 279 employees of which 26 are women employees, working at different levels as on 31st March, 2025. IFFDC has also additionally appointed 18 Agri-inputs Sale Assistants (ASA) and also proposes to recruit over 100 ASA during the Financial Year 2025-26 for marketing and promotion of IFFCO NANO fertilizers as well as IFFDC seed. IFFDC has adopted a forward looking employee approach for nurturing and developing motivated and committed human capital, through the placement Co. ''Teamlease''.

IFFDC has launched first ever HRMS Software in which Time Office and Payroll is fully functional. The employees Suggestion Scheme is also in practice and employees are encouraged to give their suggestions for the betterment of the organization. The Employees are also nominated to attend trainings in prestigious institutions for professional development. The Pay-Scales of the employees of IFFDC have also been revised w.e.f. 01.01.2024. The incentive amount paid in FY 2024-25 to all the employees of IFFDC is the highest ever so far. In order to protect the employees, all are covered under the health insurance.

Trainings during the financial year 2024-25

- Training Programmes were organised in the areas of Leadership Development, Business Management, project Management for the employees working on various projects across India.
- Training was also organised for the employees working in Seed Production on Seed Production Techniques, Seed Quality etc.
- To improve productivity and promote sustainable agriculture, training on use of Nano Fertilisers was organised for around 500 salesmen.
- For better financial management, training programmes on Auditing, Taxation etc. were held
- To create general & self-awareness training was organised in the field of Good governance, Cooperative Law and behavioural aspects.

An Internal Complaints Committee has been constituted in IFFDC under the provisions of "The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013", to redress the complaints of female employees, if any. The regular meetings of the committee are being organised.

Annual Report of the Internal Complaints Committee of IFFDC formed under the Sexual Harassment at work place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013, pertaining to the period from 1.4.2024 to 31.3.2025, in compliance of section 21 of the said Act, is as under:-

Sl.No.	Particulars	Remarks
1.	Number of complaints of sexual harassment received in the year	'Nil'
2.	Number of complaints disposed off during the year;	'Nil'
3.	Number of cases pending for more than ninety days	'Nil'
4.	Number of workshops or awareness programme against sexual harassment carried out during the year	3 (Three) 23-25/07/2024 23/11/2024, 19-22/03/2025
5.	Nature of action taken by the employer	Not required

प्रचार–प्रसार गतिविधियाँ

किसानों और गरीब ग्रामीण समुदाय के लाभ के लिए किए गए आई.एफ.एफ.डी.सी. की गतिविधियों का प्रचार–प्रसार हमारी सहकारी समिति की एक मजबूत ब्रांड प्रतिष्ठा बनाने और डिजिटल उपकरणों सहित विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके हितधारकों के बीच उपस्थिति बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आई.एफ.एफ.डी.सी. के प्रचार–प्रसार के लिए पारंपरिक तरीकों जैसे प्रिंट मीडिया, ऑल इंडिया रेडियो, टी.वी. चैनलों, फिल्म शो, प्रदर्शनी स्टॉल की स्थापना, दीवार पेंटिंग, ट्रैक्टर ट्रॉली पेंटिंग, बोर्ड और बैनर आदि पर जोर दिया जाता है। इसके अलावा, आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा अपनी गतिविधियों को बड़े पैमाने पर प्रचारित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और यूट्यूब आदि का भी वहद् स्तर पर उपयोग किया जा रहा है। विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में, आई.एफ.एफ.डी.सी. ने बहुमूल्य अनुभव और सबक प्राप्त किए, जिन्हें अन्य भागीदारों और हितधारकों द्वारा दोहराया जा सकता है। प्रचार–प्रसार कार्यक्रम ऐसे अनुभवों और सीख को साझा करने या प्रसारित करने और प्रभाव और नेटवर्किंग का एक चक्र विकसित करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है।

- आई.एफ.एफ.डी.सी. एवं आई.सी.ए.–ए.पी. के संयुक्त तत्वावधान में "क्लाईमेट स्मार्ट कृषि" पर एक वेबिनार आयोजित की गई। इसमें आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा अपनी क्लाईमेट स्मार्ट खेती पर आधारित गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण किया गया। भारत में एफ.ए.ओ. के प्रतिनिधि श्री ताकायुकी हगीवारा व आई.ए.आर.आई., नई दिल्ली के प्रधान वैज्ञानिक डा. एस. नरेश कुमार ने भी एशिया प्रशांत क्षेत्र के परिपेक्ष्य में "क्लाईमेट स्मार्ट कृषि" पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। इसमें विभिन्न देशों के 49 सदस्यों ने भाग लिया जिन्हें आई.एफ.एफ.डी.सी. के क्लाईमेट एक्शन कार्यों के बारे में जागरूक किया गया।

पुरस्कार तथा सम्मान

1. माननीय डा. मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा गरीब आदिवासी समुदाय की चिरन्तर "आजीविका विकास" के लिये उत्कृष्ट कार्य करने हेतु "टाइम्स ऑफ इंडिया का सोशल इम्पैक्ट अवार्ड–2011" प्रदान किया गया। इसी प्रकार, "पर्यावरण संरक्षण एवं विकास" हेतु आई.एफ.एफ.डी.सी. को "सोशल इम्पैक्ट अवार्ड–2015" के लिए चयनित किया गया।
3. वृक्षारोपण तथा बंजरभूमि विकास में विशिष्ट कार्य करने के लिये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्षमित्र पुरस्कार, 1999'। संस्था द्वारा संवर्द्धित पाँच प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियों (राजस्थान में सांगवा व रख्यावल, उत्तर प्रदेश में कटारी व मड़वा तथा मध्य प्रदेश में करैया) को विभिन्न वर्षों में बंजर भूमि विकास व वृक्षारोपण में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
4. आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा संवर्द्धित अमरीती ग्राम जलग्रहण विकास समिति, सतना (म.प्र.) को मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री माननीय श्री विश्वास सारंग द्वारा उत्कृष्ट जलग्रहण विकास कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया।
5. आई.एफ.एफ.डी.सी. को आई.एन.एस.एस.ए.एन., नार्दन चैप्टर द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 33वें राष्ट्रीय सम्मेलन व 25वें अखिल भारतीय रचनात्मक शिखर सम्मेलन में वानिकी आधारित कार्बन क्रेडिट सृजन पर सर्वश्रेष्ठ केस स्टडी प्रस्तुतिकरण हेतु "श्रेष्ठ पुरस्कार" प्रदान किया गया।

आई.एफ.एफ.डी.सी. को वानिकी आधारित कार्बन क्रेडिट सृजन पर सर्वश्रेष्ठ केस स्टडी प्रस्तुतिकरण हेतु आई.एन.एस.एस.ए.एन. द्वारा प्रदत्त "श्रेष्ठ पुरस्कार"

Publicity Activities

The Publicity of IFFDC's activities undertaken for benefit of the farmers and poor rural community plays a vital role in building a strong brand reputation of our cooperative society and enhance the presence among stakeholders using different tools including digital tools. The thrust of IFFDC's publicity is on conventional methods such as coverage in Print Media, All India Radio, TV channels, Film Show, Setup Exhibition Stalls, Wall Paintings, Tractor trolley Paintings, Board and Banners etc. Besides, IFFDC has also been extensively using the Social Media Platforms i.e. Website, Facebook, Twitter, WhatsApp, Youtube and organising Webinars etc to publicise its activities to larger masses. In the process of implementation of various Projects and Programmes, IFFDC gained valuable experiences and lessons, which can be replicated by other partners' and stakeholders. Publicity programme provides ample opportunities to share or disseminate such experiences and learning, and also to develop a circle of influence and networking.

- IFFDC and ICA-AP Agriculture & Environment Committee jointly organised a Webinar on "Climate Smart Agriculture". IFFDC made a presentation on IFFDC's Climate Smart Agriculture Centric Activities. Also Mr. Takayuki Hagiwara, FAO India and Dr. S. Naresh Kumar, Head Principal Scientist, IARI, New Delhi deliberated on "Climate Smart Agriculture : Perspectives for the Asia and Pacific Region. 49 members from different countries were participated and got aware about IFFDC's Climate Action Work.

Awards and Recognition

1. The Times of India "Social Impact Award-2011" conferred under the "Livelihood Category" by Hon'ble Dr. Manmohan Singh, Prime Minister of India, for its excellent work on Sustainable Livelihood Enhancement of the Poor Tribal Community. Further, IFFDC also selected for "Social Impact Award 2015" in "Environment Category" for its outstanding performance in environment protection and development.
3. "Indira Priyadarshini Vrikashamitra Puraskar 1999" conferred by the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India for excellence in afforestation and wasteland development. Five of its promoted PFFCS (Sangwa & Rakhyawal in Rajasthan, Katari & Madwa in Uttar Pradesh and Karaiya in Madhya Pradesh) have also been honoured with this award for their outstanding work in afforestation & wasteland development.
4. IFFDC promoted "Amirti Village Watershed Development Committee", Satna (M.P.) awarded by Hon'ble Sh. Vishvas Sarang, Co-operation Minister, M.P. for "Excellent Watershed Development Work".
5. IFFDC honoured with "Par Excellence Award" by INSSAN, Northern Chapter for presenting best Case Study on Forestry based Carbon Credit Generation during 33rd National Convention and 25th All India Creativity Summit at New Delhi.

Wall painting of Watershed Development Activities for wider publicity in rural area

आभार

आपका निदेशक मंडल आलोच्य वर्ष के दौरान सभी स्तर के कर्मचारियों द्वारा अपने स्तर पर किये गये सतत् और समर्पित प्रयासों के लिए उनकी सराहना करता है। कर्मचारियों के इन प्रयासों एवं कठिन परिश्रम के बिना समिति इन उत्साहजनक परिणामों एवं उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर पाती।

आपके निदेशक, आई.एफ.एफ.डी.सी. को लगातार वित्तीय सहयोग व मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए इफको के निदेशक मंडल एवं प्रबन्धन विशेषतः डा. यू.एस. अवस्थी, प्रबन्ध निदेशक, इफको का अभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने आई.एफ.एफ.डी.सी. को वर्तमान स्वरूप में विकसित होने के लिए मार्गदर्शन एवं प्रेरणा प्रदान की। हम डा. यू.एस. अवस्थीका आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने विश्व के पहले नैनो यूरिया प्लस व नैनो डी.ए.पी. (तरल) का आविष्कार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यह उत्पाद कृषि के क्षेत्र में विश्व स्तर पर गेम चेंजर सिद्ध होने जा रहा है। हम गर्व के साथ इस अनूठी पहल के लिए उन्हें बधाई देते हैं और आई.एफ.एफ.डी.सी. को उनके विशेष और निरंतर सहयोग के लिए उनके आभारी हैं।

हम राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, इफको–टोकियो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, लघु कृषक व्यापार संघ (एस.एफ.ए.सी.), भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एन.सी.यू.आई.), मित्सुई इंडिया एण्ड क. प्रा. लि.; ट्राईफेड, इफको ई–बाजार एवं सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, जिनसे सभी गतिविधियों के क्रियान्वयन में निरन्तर आर्थिक सहयोग और अमूल्य मार्गदर्शन मिला।

प्रबंध निदेशक, आई.एफ.एफ.डी.सी. और उनकी टीम को उनके द्वारा समिति के विकास के प्रति समर्पित भाव से कार्य करने के लिए निदेशक मण्डल हार्दिक बधाई देता है।

निदेशक मंडल, विभिन्न अनुसंधान संस्थानों एवं कृषि विश्वविद्यालयों विशेषतः वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून; शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर; उष्णकटिबन्धीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर; राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केन्द्र, झांसी तथा राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र, इन्दौर, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर (राजस्थान), नरेद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर (उ.प्र.), चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार (हरियाणा) , पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना तथा गुजकोमासोल के प्रति विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु प्रदान किये गये सहयोग एवं तकनीकी सहायता के लिए धन्यवाद व्यक्त करता है।

आपका निदेशक मण्डल संस्था की कार्बन क्रेडिट परियोजनाओं को सफल बनाने में प्रदत्त सहयोग के लिए परामर्शदात्री संस्था "इमरजेंट वेंचर ऑफ इंडिया प्रा. लि., गुड़गाँव" व कार्बन अंकेक्षण संस्था मैसर्स "कार्बन चेक", वेरा, पचामा व टीचर टूल्स का भी आभार प्रकट करता है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. के बीज उत्पादन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने हेतु प्रदत्त सहयोग एवं आवश्यक सहायता के लिए आपका निदेशक मण्डल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय तिलहन एवं आयल पाम मिशन, नई दिल्ली, बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया (बीसा), राज्य कृषि विभागों, भारतीय राष्ट्रीय बीज संघ, भारतीय बीज सहकारी समिति लि. (बी.बी.एस.एस. एल.), राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य बीज निगमों, राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थाओं आदि का आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल, आई.एफ.एफ.डी.सी. की गतिविधियों, कार्यक्रमों व परियोजना प्रभावों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए दिये गये सहयोग हेतु मीडिया विशेषतौर पर डी.डी. नेशनल, डी.डी. किसान चैनल व ऑल इंडिया रेडियो का भी आभार व्यक्त करता है।

आपके निदेशक, सदस्य समितियों के प्रति उनके द्वारा प्रदान किये गये निरन्तर सहयोग एवं प्रेरणा हेतु अपना आभार व्यक्त करते हैं कि समिति के प्रबंधन में अपना विश्वास बनाए रखा जिससे समिति को अपनी उपलब्धियों को आगे बढ़ाने और अपने प्रदर्शन का दायरा बढ़ाने में सहयोग मिला।

निदेशक मंडल आश्वासन देना चाहता है कि आपकी समिति बहुमुखी प्रगति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत् प्रयास करती रहेगी और आगामी वर्षों में नये कीर्तिमान स्थापित करेगी।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(गुरु प्रसाद त्रिपाठी)
अध्यक्ष, आई.एफ.एफ.डी.सी.

Acknowledgements

The Board of Directors wishes to place on record its deep gratitude for the dedicated efforts made by the employees of the Society at all levels during the year. Their committed effort and hard work has made possible the laudable and encouraging results achieved by the Society. The Board also wishes to heartily congratulate the Managing Director, IFFDC and his team for their dedicated devotion to the betterment of society at large.

Your Directors wish to specially acknowledge the continued and invaluable financial support and guidance extended to the IFFDC at all times by the IFFCO Board and Management, particularly by Dr. U. S. Awasthi, Managing Director, IFFCO, who has been the guiding and motivating spirit in the ever-increasing and upward spiralling growth of IFFDC. Among others, he has been instrumental in inventing the world's First Nano Urea Plus and Nano DAP (Liquid), an innovation which is already on its way to becoming the game changer products of the agriculture sector globally. We proudly congratulate him on this unique initiative and are indeed grateful to him for his special and unstinting support to the IFFDC in all its endeavours.

We also thank National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), National Cooperative Development Corporation (NCDC), Indian Council of Agricultural Research (ICAR), New Delhi, IFFCO Tokio General Insurance Company Ltd., Small Farmers Agri-business Consortium (SFAC), National Cooperative Union of India (NCUI), Mitsui India & Co. Pvt. Ltd., TRIFED, IFFCO e-Bazar, Ministry of Cooperation, Govt. of India and the State Governments for their support to the IFFDC in the implementation of all activities.

The Board of Directors also wishes to express hearty congratulations to the Managing Director, IFFDC and her team for their dedicated commitment to the betterment of Society.

The Board of Directors also acknowledges with thanks the cooperation and technical support provided by various Research Institutes and Agriculture Universities, especially the Forest Research Institute (FRI), Dehradun; Arid Forest Research Institute (AFRI), Jodhpur, Tropical Forest Research Institute (TFRI), Jabalpur, National Research Centre for Agroforestry, Jhansi and National Research Center for Soyabean (NRCS), Indore, Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Udaipur (Rajasthan), Narendra Dev University of Agriculture and Technology, Kumarganj Faizabad (U.P.), Chandra Shekhar Azad University of Agriculture and Technology, Kanpur (U.P.), Ch. Charan Singh University of Agriculture, Hisar (Haryana), Punjab Agriculture University, Ludhiana and Gujcomasol .

Your Directors also express their gratitude to the consulting firm M/s Emergent Ventures of India Pvt. Ltd., Gurgaon and the Carbon Auditors M/s Carbon Check, VERRA, Pachama and Teacher Tools for helping in the success of the Carbon Credit Projects.

The Board of Directors also expresses its sincere thanks to the National Food Security Mission, National Mission on Oil Seed and Oil Palm (NMOOP), New Delhi, Borlaug Institute for South Asia (BISA), various State Agriculture Departments, National Seed Association of India, Bhartiya Beej Sahakari Samiti Ltd. (BBSSL), National Seed Corporation, State Seed Corporation, State Seed Certification Agencies, etc for providing necessary support and help in the successful implementation of IFFDC's Seed Production Programme.

The Board of Directors is thankful to the Media specially the D.D. National, D.D. Kisan Channel and All India Radio for providing support in projecting the activities, programmes and impacts of IFFDC projects on a wide basis.

Your Directors also wish to express their deep gratitude to our Member Societies whose continued support and trust in the management of the Society is an ever-present spur to IFFDC to further its achievements and raise the bar of its performance.

The Board of Directors would like to assure you that your Society would continue to strive to achieve all-round progress and establish new records in the coming years.

For and On Behalf of the Board of Directors

(Guru Prasad Tripathi)
Chairman, IFFDC

सहयोगी संस्थायें

1. इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको)
2. इफको–टोकियो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
3. इंडिया कनाडा इनवायरनमेंट फैसिलिटी (आई.सी.ई.एफ.), कनाडा
4. डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डवलपमेंट (डी.एफ.आई.डी.), यूनाइटेड किंगडम
5. सहकारिता मंत्रालय, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय, भारत सरकार
6. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
7. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.), नई दिल्ली
8. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई.सी.ए.आर.), नई दिल्ली
9. रैन–फॉरेस्ट एलाइन्स, न्यूयार्क
10. राजस्थान राज्य सरकार के माध्यम से इन्टरनेशनल फण्ड फॉर एग्रीकल्चर डवलपमेन्ट (इफाड)
11. गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय (एम.एन.ई.एस.), नई दिल्ली
12. राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड (एन.ए.ई.बी.), नई दिल्ली
13. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एन.सी.यू.आई.), नई दिल्ली
14. कोआपरेटिव रूरल डवलपमेन्ट ट्रस्ट (कोरडेट), फूलपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
15. उत्तराखण्ड ग्राम विकास समिति, देहरादून, उत्तराखण्ड
16. भारतीय राष्ट्रीय बीज संघ, नई दिल्ली
17. राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (एन.एस.सी.), नई दिल्ली
18. इफको किसान संचार लिमिटेड (आई.के.एस.एल.), नई दिल्ली
19. इंटरनेशनल कोआपरेटिव एलाईंस (आई.सी.ए.), एशिया पैसिफिक, नई दिल्ली
20. लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस.एफ.ए.सी.), नई दिल्ली
21. भारत–ओमान रिफाइनरी लि., बीना, मध्य प्रदेश
22. ग्रामीण गैर–कृषि विकास एजेंसी (रूडा), जयपुर, राजस्थान
23. मित्सुई इंडिया एण्ड कं. प्रा. लि., नई दिल्ली
24. महाराष्ट्र राज्य बीज निगम लि.
25. बायर बायोसाइंस प्रा. लि.
26. क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लि.
27. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन बोर्ड, भारत सरकार
28. भारतीय बाँस स्त्रोत एवं तकनीकी केंद्र, नई दिल्ली
29. बी पॉजिटिव प्रा. लि., नई दिल्ली
30. मित्सुबिशी कॉर्प. इंडिया प्रा. लि., नई दिल्ली
31. परिद्याम हैल्थकेयर प्रा. लि., गुड़गाँव
32. बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया (बीसा)
33. भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राईफेड), नई दिल्ली
34. इमरजेंट वेंचर्स ऑफ इंडिया प्रा. लि., गुड़गाँव
35. कार्बन चेक (इंडिया) प्रा. लिमिटेड
36. वेरा, वाशिंगटन, डी.सी., यू.एस.ए.

अनुसंधान संस्थान/विश्वविद्यालय

1. वन अनुसंधान संस्थान (एफ.आर.आई.), देहरादून, उत्तराखण्ड
2. उष्णकटिबन्धीय वन अनुसंधान संस्थान (टी.एफ.आर.आई.), जबलपुर, मध्य प्रदेश
3. शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (आफरी), जोधपुर, राजस्थान
4. केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), जोधपुर, राजस्थान
5. अर्ध–शुष्क क्षेत्रों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (इक्रीसेट), हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
6. राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र, (एन.आर.सी.एस.), इंदौर, मध्य प्रदेश
7. राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केन्द्र (एन.आर.सी.ए.एफ.), झांसी, उत्तर प्रदेश
8. अन्तर्राष्ट्रीय कृषि एवं वानिकी अनुसंधान केन्द्र (आई.सी.आर.ए.एफ.), नई दिल्ली
9. राज्य कृषि विश्वविद्यालय एवं आई.सी.ए.आर. संस्थान
10. सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर, राजस्थान
11. भारतीय गेंहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा
12. महाराणा प्रताप कृषि एवम् प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एम.पी.यू.ए.टी.), उदयपुर, राजस्थान
13. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ (कर्नाटक)
14. सी.सी.एस. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

लेखापरीक्षक एवं बैंकर

वैधानिक लेखा परीक्षक

मैसर्स धवन एंड कंपनी
चार्टड एकाउंटेंट्स
312, वैगमंस हाउस, 21 वीर सावरकर ब्लॉक, शकरपुर विकास मार्ग, नई दिल्ली–110092

समवर्ती लेखा परीक्षक

मैसर्स रघु नाथ राय एंड कंपनी
चार्टड एकाउंटेंट्स
9 मथुरा रोड, जंगपुरा बी, नई दिल्ली–110014

HDFC BANK
YES BANK
kotak Kotak Mahindra Bank
IndusInd Bank
AXIS BANK

Associate Organisations

1. Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO).
2. IFFCO-Tokio General Insurance Company Ltd.
3. India Canada Environment Facility (ICEF), Canada.
4. Department for International Development (DFID), United Kingdom (UK).
5. Ministry of Cooperation, Agriculture and Farmers Welfare, Rural Development and Ministry of Drinking Water and Sanitation, Govt of India.
6. National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD).
7. National Cooperative Development Corporation (NCDC), New Delhi.
8. Indian Council of Agricultural Research (ICAR), New Delhi.
9. Rain-forest Alliance, New York.
10. International Fund for Agriculture Development (IFAD) through State Government of Rajasthan.
11. Ministry of Non-conventional Energy Sources (MNES), New Delhi.
12. National Afforestation and Eco Development Board (NAEB), New Delhi.
13. National Cooperative Union of India (NCUI), New Delhi
14. Cooperative Rural Development Trust (CORDET), Phulpur, Allahabad (UP).
15. Uttarakhand Gram Vikas Samiti, Dehradun (Uttarakhand).
16. National Seed Association of India (NSAI), New Delhi.
17. National Seed Corporation Ltd. (NSC), New Delhi.
18. IFFCO Kisan Sanchar Ltd (IKSL), New Delhi.
19. International Cooperative Alliance (ICA), Asia Pacific, New Delhi.
20. Small Farmers Agri-Business Consortium (SFAC), New Delhi.
21. Bharat-Oman Refinery India Limited, Bina, Madhya Pradesh.
22. Rural Non-Farm Development Agency, Jaipur, Rajasthan.
23. Mitsui India & Co. Pvt. Ltd., New Delhi
24. Maharashtra State Seed Corporation Ltd.
25. Bayer Bioscience Private Ltd.
26. Crystal Crop Protection Ltd.
27. National Bee Board, Govt. of India
28. Centre for Indian Bamboo Resource and Technology, New Delhi
29. Bee Positive Pvt. Ltd., New Delhi
30. Mitsubishi Corp. India Pvt. Ltd., New Delhi
31. Paridyam Health Care Pvt. Ltd., Gurgaon
32. Borlaug Institute for South Asia (BISA)
33. Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India (TRIFED), New Delhi
34. Emergent Ventures of India Pvt. Ltd., Gurgaon
35. Carbon Check (India) Pvt. Ltd.
36. VERRA, Washington, DC, USA.

Research Institutes/Universities

1. Forest Research Institute (FRI), Dehradun, Uttarakhand
2. Tropical Forest Research Institute (TFRI), Jabalpur, Madhya Pradesh
3. Arid Forest Research Institute (AFRI), Jodhpur, Rajasthan
4. Central Arid Zone Research Institute (CAZRI), Jodhpur, Rajasthan
5. International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT), Hyderabad (AP)
6. National Research Center for Soyabean, (NRCS), Indore (Madhya Pradesh)
7. National Research Center for Agro-Forestry, (NRCAF), Jhansi (Uttar Pradesh)
8. International Centre for Research on Agriculture and Forestry. (ICRAF), New Delhi
9. State Agriculture Universities and ICAR Institutes.
10. Directorate of Rapeseed Mustard Research, Bharatpur (Rajasthan)
11. Indian Institute of Wheat & Barley Research, Karnal (Haryana)
12. Maharana Pratap University of Agriculture and Technology (MPUAT), Udaipur (Rajasthan)
13. University of Agriculture Sciences, Dharwad (Karnataka)
14. CCS, Haryana Agriculture University, Hisar

AUDITORS & BANKERS

STATUTORY AUDITOR

M/s DHAWAN & CO.

Chartered Accountants
312, Wegmans House, 21 Veer Savarkar Block, Shakarpur
Vikas Marg, New Delhi-110092

CONCURRENT AUDITOR

M/s RAGHU NATH RAI & CO.

Chartered Accountants
9 Mathura Road, Jungpura B,
New Delhi-110014

HDFC BANK · YES BANK · kotak Kotak Mahindra Bank · IndusInd Bank · AXIS BANK

IFFDC
is addressing
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Agro-forestry Development and Carbon Credit Generation, Agro-Horticulture Development, Microenterprises Development etc.

Promotion of Agro Horticulture, Introduction of High Yielding Crop Varieties,Kitchen Garden Development and Vegetable Cultivation etc.

Health Check-up Camps, Veterinary Camps, Fruit Species Cultivation, Promotion of Vegetable Cultivation etc.

Skill Development for Income Generating Activities and Microenterprises Development, Exposure Visits, Organising Workshop and Seminars etc.

Promotion & Nurturing of Women Self Help Groups, Preference to Women in Forestry Cooperative Membership and Reservation for Women on IFFDC Board etc.

Setting up Water Filter Units, Handpumps, Construction of Toilets & Bathrooms, Setting up Dustbins in Project Villages etc.

Setting up Solar Based Water Filter Units, Solar Home-lights, Solar Street Lights and LED Bulbs in Project Villages. Setting up Solar Panels on SPUs for Solar Power Generation etc.

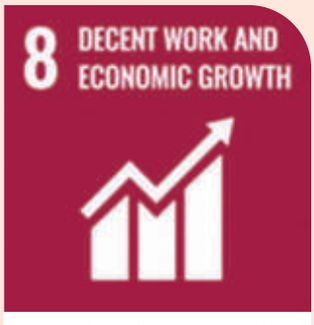

Promotion of Farmers Producer Organisations for Crop Produce Aggregation, Processing and Marketing. Self owned Micro-enterprises Development for unemployed youth etc.

Equal wages to men and women in forestry work. Reservation for women, SC/ST community members in forestry cooperatives and on IFFDC Board etc.

Quality Seed Production, Promotion of Organic Farming, Climate Resilience Crop and Varieties. Promotion of Nano Fertilisers, Bio Fertilisers use in crop cultivation etc.

Forestry Development on wasteland, Agro-forestry, Agro-horticulture on arable land, Integrated Watershed Development and Climate Change Proofing etc.

Conservation of Biodiversity due to development of multi-purpose forests on wastelands. Developed Bird Sanctuary in Waterlogged Area.

वित्त एवं लेखा
Finance & Accounts

Financials Snapshot

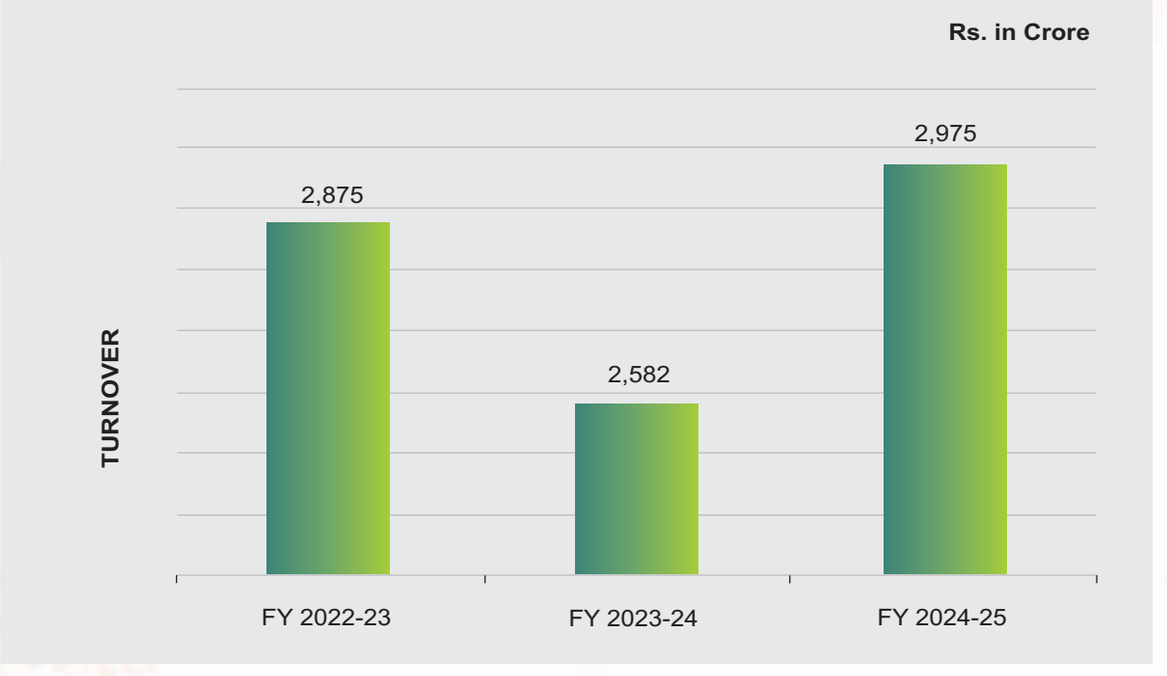

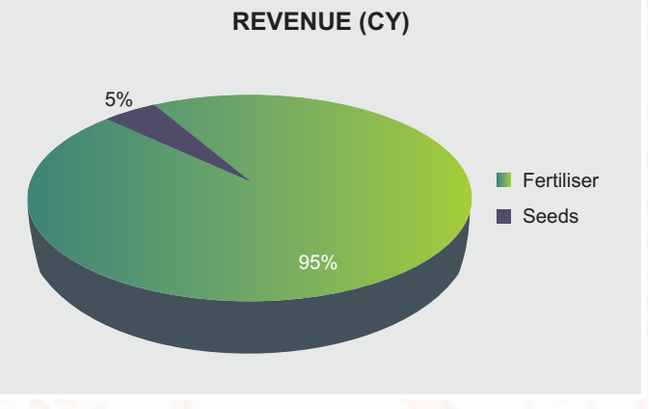

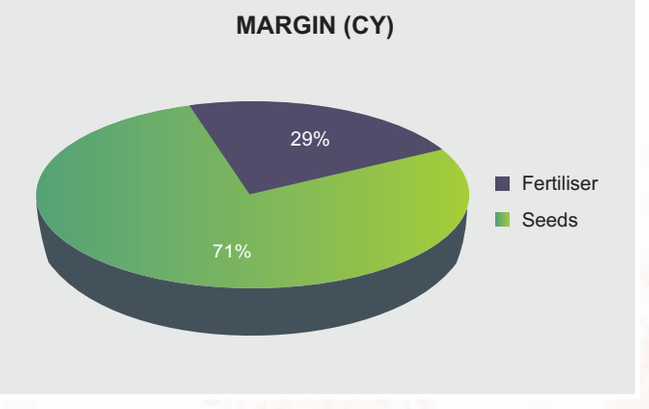

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

इंडियन फार्म फारेस्ट्री डवलपमेंट कोआपरेटिव लिमिटेड के शेयरधारकों को

1. राय

हमने इंडियन फार्म फोरेस्ट्री डवलपमेंट कोआपरेटिव लिमिटेड (एक बहुराज्य सहकारी समिति) ('समिति') के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2025 तक का तुलन–पत्र तथा उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ–हानि लेखा, नकदी प्रवाह का विवरण, वित्तीय विवरणों के टिप्पण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचनायें दी गई हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, ये संलग्न वित्तीय विवरण बहु राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2023 ('अधिनियम') के माध्यम से संशोधित बहु राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखाकरण मानकों में यथा अपेक्षित सूचनायें प्रदान करते हैं और भारत में आमतौर पर अपनाये जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप निम्नलिखित के संबंध में सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं।

(क) 31 मार्च, 2025 की वस्तुस्थिति के अनुसार समिति के कार्यकलापों को दर्शाने वाला तुलन–पत्र;

(ख) लाभ–हानि के विवरण के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समिति का लाभ; तथा

(ग) नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समिति का नकदी प्रवाह।

2. हमारी राय का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार की है। इन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों के बारे में हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के मामले में लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियों के तहत विस्तार से बताया गया है। हम आईएसीआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसरण में तथा उन नैतिक अपेक्षाओं जो अधिनियम के प्रावधानों के तहत् वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा करने के लिये प्रासंगिक है, के अनुसार समिति की लेखापरीक्षा करने के लिये स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं तथा हमने इन नैतिक अपेक्षाओं व आचार संहिता के अनुरूप अपनी नैतिक जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों के प्रति हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में समुचित और पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं।

3. वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन व प्रबंधन के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों की जिम्मेदारी

इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों सहित आमतौर पर भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों तथा बहुराज्य सहकारी सोसायटीज अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का दायित्व प्रबंधन का है, जो समिति की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकदी प्रवाह का उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं। इस दायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप लेखांकन रिकॉर्ड का पर्याप्त अनुरक्षण करना भी शामिल है ताकि समिति की परिसंपत्तियों की रक्षा की जा सके और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोका जा सके और उनका पता लगाया जा सके; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन व उनका प्रयोग किया जा सके, सही व विवेकपूर्ण निर्णय लिया जा सके और अनुमान लगाया जा सके; इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण का निर्धारण, कार्यान्वयन और अनुरक्षण, जिससे वित्तीय विवरणों को सही और उचित तरीके से तैयार किया जा सके जो किसी बड़ी गलतबयानी चाहे वह कपट अथवा गलती से हो, मुक्त हो।

Independent Auditors' Report

To the Shareholders of Indian Farm Forestry Development Cooperative Limited

1. Opinion

We have audited the accompanying financial statements of Indian Farm Forestry Development Cooperative Limited (a Multi-State Cooperative Society) ('Society'), which comprise of the Balance Sheet as at March 31, 2025, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement for the year then ended, and Notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, the accompanying financial statements give the information required by the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002, as amended by MSCS (Amendment) Act, 2023, ('the Act') and the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India, in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

(a) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Society as at March 31, 2025;

(b) in the case of the Statement of Profit and Loss, of its profit for the year ended on that date; and

(c) in the case of the Cash Flow Statement, of its cash flows for the year ended on that date.

2. Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Society in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the financial statements.

3. Responsibility of Management and those charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Society in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI and the provisions of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Society and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that are operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud and error.

वित्तीय विवरण तैयार करते समय प्रबंधन लाभकारी संस्था के तौर पर कार्य करने संबंधी समिति की योग्यता का मूल्यांकन करने, जहां कहीं भी आवश्यक हो, समिति की कार्यकुशलता से संबंधित मामलों के बारे में जानकारी देने और लाभकारी संस्था के आधार पर लेखाकरण करने के लिए जिम्मेदार है जब तक प्रबंधन का समिति का परिसमापन करने या प्रचालनों को रोकने का कोई इरादा नहीं है अथवा समिति के पास समिति को प्रभावशाली संस्था के तौर पर चलाने के लिए इसके अलावा कोई विकल्प न रहे।

प्रबंधन के लिए जिम्मेदार अधिकारी समिति की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर्यवेक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।

4. वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के सम्बंध में लेखापरिक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बात को लेकर उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि पूरे वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण कोई बड़ी गलत जानकारी नही दी गई है, तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारे विचार भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च आश्वासन है परन्तु इस बात कि गारंटी नही हैं की एसएएस के अनुसार की गई लेखापरीक्षा हमेशा ही किसी बड़ी गलत जानकारी का पता लगा लेगी। गलत जानकारियां धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो सकती है और यदि इस गलत जानकारी को एकल या पूर्णतः गलत माना जाता है तो ये इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ताओं द्वारा लिये गये आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं।

एसएएस के अनुसार कराये जाने वाले लेखापरीक्षा के तहत, हम पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायकि निर्णय देते है और पूरे लेखापरीक्षा कार्य के दौरान पेशेवर संदेह बनाये रखते हैं। हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं–

(क) धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में दी गई बड़ी गलत जानकारी के जोखिम को पहचानना और मूल्यांकन करना, इन जोखिमों के लिये उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रिया को डिजाइन करना व लेखापरीक्षा करना और उसका सबूत प्राप्त करना जो हमारे विचारों के लिये पर्याप्त व उचित आधार है। धोखाधड़ी के कारण दी गई बड़ी गलत जानकारी का पता न लगने से होने वाला जोखिम त्रुटि के कारण होने वाले जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ–गांठ, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, मिथ्या जानकारी, या आंतरिक नियंन्त्रण की अनदेखी शामिल हैं।

(ख) लेखा परीक्षा के संबंध में नियंत्रण के बारे में जानना ताकि ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन किया जा सके जो विद्यमान परिस्थितियों में उपयुक्त हों परन्तु उनका उद्देश्य समिति के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता के बारे में विचार व्यक्त करना नहीं है।

(ग) अपनाई गई लेखा नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखा अनुमानों और प्रबंधन द्वारा दी गई इससे सम्बंधित जानकारी का मूल्यांकन करना।

(घ) प्राप्त लेखापरीक्षा सबूत जिससे किसी घटना या परिस्थिति से सम्बंधित किसी बड़ी अनिश्चितता का पता लगे जिससे समिति की भविष्य में लाभकारी संस्था के रुप में कार्य करने की क्षमता पर संदेह पैदा हो, के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि प्रबंधन भविष्य में भी प्रभावशाली रुप से कार्य करने के लिये उपयुक्त है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते है कि कोई बड़ी अनिश्चितता मौजूद है, तो हमारे लिये लेखारीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में सम्बंधित जानकारी की तरफ ध्यान दिलाना आवश्यक है या यह निष्कर्ष निकालते है कि ये जानकारियां हमारा विचार बदलने के लिये अपर्याप्त है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त सबूत पर आधारित है। तथापि, यह हो सकता है कि भविष्य में होने वाली घटनाओं या परिस्थितियों के कारण समिति प्रभावशाली रुप से कार्य करने वाली संस्था न रहें।

In preparing the financial statements, Management is responsible for assessing the society's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Society or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are also responsible for overseeing the Society's financial reporting process.

4. Auditors' Responsibilities for the Audit of Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

(a) Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal controls.

(b) Obtain an understanding of internal controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purposes of expressing an opinion on the effectiveness of Society's internal control.

(c) Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Management.

(d) Conclude on the appropriateness of Management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the society's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our Auditors' Report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our Auditors' Report. However, future events or conditions may cause the society to cease to continue as a going concern.

(ड़) वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण, ढ़ांचे और विषयवस्तु तथा जानकारियों का मूल्यांकन करना और यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण लेनदेन तथा घटनाओं के बारे में सही जानकारी प्रस्तुत की गई है या नहीं।

हम प्रबंधन के जिम्मेदार लोगों से अन्य मामलों के साथ–साथ सुनियोजित स्कोप, लेखापरीक्षा के समय व लेखापरीक्षा से प्राप्त महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें आंतरिक नियंत्रण महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जो लेखापरीक्षा के समय सामने आती हैं, के बारे में बात करते हैं।

हम प्रबंधन के जिम्मेदार लोगों को ये बताते हैं कि हमने स्वतंत्र रूप से, संबंधित नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है और हम सभी संबंधों व अन्य मामलों पर स्वतंत्र रूप से विचार करते हैं तथा जहां कहीं भी लागू हो, सुरक्षा की दृष्टि से उनसे बातचीत करते हैं।

5. अन्य विधिक व विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार हम रिपोर्ट देते हैं कि:

(क) हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण जो हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के लिये आवश्यक थे, प्राप्त कर लिए है;

(ख) हमारी विचार से, समिति ने बहु राज्य सहकारी सोसायटी नियमावली, 2002 संशोधित बहु राज्य सहकारी सोसायटी 2023 (संशोधित) के अनुसार यथावश्यक लेखा पुस्ताकें समुचित रूप से रखी हैं, जैसा कि हमारे द्वारा की गई पुस्तकों की जांच से प्रतीत होता है;

(ग) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन–पत्र, लाभ–हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण लेखा पुस्तकों से मेल खाते है।

(e) Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

5. Report on Other Legal and Regulatory Requirements

As required under the Act, we report that:

(a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

(b) In our opinion, proper books of accounts as specified in the Multi State Cooperative Societies Act, 2002, as amended by MSCS (Amendment) Act, 2023, have been kept by the Society, so far as appears from our examination of those books;

(c) The Balance Sheet, Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

कृते धवन एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन.: 002864एन
For Dhawan & Co.
Chartered Accountants
FRN: 002864N

(दीपक कपूर)
साझेदार
(Deepak Kapoor)
PARTNER
M.No. 072302

ICAI UDIN REF. NO. : 25072302BNFYEV1180

Place : New Delhi
Date : 31.05.2025

मार्च 31, 2025 का तुलन–पत्र
Balance Sheet as at 31st March, 2025

(₹ in Lakhs)

		टिप्पण संख्या/Note No.	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
(i) इक्विटी तथा देयताएं	**(i) EQUITY AND LIABILITIES**			
(1) शेयरधारकों की निधियां	**(1) Shareholder's Funds**			
(अ) शेयर पूंजी	(a) Share capital	1	1,337.00	1,337.05
(ब) आरक्षित एवं अधिशेष	(b) Reserves and surplus	2	8,075.24	6,867.26
(2) गैर–चालू देयताएं	**(2) Non-current Liabilities**			
(अ) दीर्घावधिक ऋण	(a) Long-term borrowings	3	110.71	191.09
(ब) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	(b) Deferred tax liabilities (Net)		41.03	69.62
(स) दीर्घावधिक प्रावधान	(c) Long-term provisions	4	111.11	95.73
(3) चालू देयताएं	**(3) Current Liabilities**			
(अ) भुगतान योग्य व्यापार राशियाँ	(a) Trade payables	5		
(I) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का कुल बकाया	(i) Total outstanding dues of micro, small and medium enterprises		43.60	-
(ii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	(ii) Total outstanding dues of creditors other than micro, small and medium enterprises		10,487.18	13,136.51
(ब) अन्य चालू देयताएं	(b) Other current liabilities	6	8,890.74	8,164.44
(स) अल्पावधिक प्रावधान	(c) Short-term provisions	7	291.50	226.98
योग	**Total**		**29,388.11**	**30,088.68**
(ii) परिसम्पत्तियां	**(ii) ASSETS**			
(1) गैर–चालू परिसम्पत्तियां	**(1) Non-current Assets**			
(अ) सम्पत्ति, संयंत्र, उपकरण और अमूर्त संपत्ति	(a) Property, Plant and Equipment and Intangible Assets			
(i) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	(i) Property, Plant and Equipment	8	2,167.60	2,223.15
(ii) पूँजीगत चालू निर्माण कार्य	(ii) Capital work-in-progress		-	7.15
(ब) गैर–चालू निवेश	(b) Non current investment	9	414.51	411.79
(स) दीर्घावधिक ऋण व अग्रिम	(c) Long-term loans and advances	10	16.47	10.66
(द) अन्य गैर–चालू परिसम्पत्तियाँ	(d) Other non-current assets	11	2,152.00	-
(2) चालू परिसम्पत्तियां	**(2) Current Assets**			
(अ) मालसूचियां	(a) Inventories	12	706.37	856.28
(ब) प्राप्त होने वाली व्यापार राशियाँ	(b) Trade receivables	13	12,448.33	15,357.63
(स) नकदी तथा बैंकों में शेष	(c) Cash and bank balances	14	10,347.12	10,037.60
(द) अल्पावधिक ऋण व अग्रिम	(d) Short-term loans and advances	15	1,135.71	1,184.42
योग	**Total**		**29,388.11**	**30,088.68**

महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां तथा लेखाओं के लिये टिप्पणियां उक्त उल्लेखित टिप्पणियों वित्तीय विवरणों का ही एक अभिन्न भाग है।

Significant Accounting Policies and Notes to Accounts: 27
The notes referred to above form an integral part of the Financial Statements.

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached
कृते धवन एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन.: 002864एन
For Dhawan & Co.
Chartered Accountants
FRN: 002864N

(सी.ए. दीपक कपूर)
साझेदार
(CA Deepak Kapoor)
(Partner)
M.No. 072302

कृते इंडियन फार्म फोरेस्ट्री डवलपमेंट कोआपरेटिव लिमिटेड
For Indian Farm Forestry Development Cooperative Ltd.

(सुकांत शर्मा)
मुख्य प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
(Sukant Sharma)
Chief Manager (F&A)

(माधवी एम. विप्रदास)
प्रबंध निदेशक
(Madhavi M. Vipradas)
Managing Director

Place : New Delhi
Date : 31.05.2025

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि विवरण
Statement of Profit & Loss for the year ended 31st March, 2025

(₹ in Lakhs)

		टिप्पण संख्या/ Note No.	For the year ended 31 March 2025	For the year ended 31 March 2024
राजस्व:	**INCOME:**			
(i) प्रचालन से राजस्व	(i) Revenue from operations	16	2,95,623.32	2,56,573.04
(ii) सामाजिक एवं ग्रामीण विकास परियोजनाओं में भागीदारी	(ii) Contribution towards social & rural development programmes	17	1,038.83	950.50
(iii) अन्य आय	(iii) Other income	18	826.34	691.55
(iv) कुल राजस्व	**(iv) Total Income**		**2,97,488.49**	**2,58,215.09**
व्यय:	**EXPENSES:**			
(क) खपत की गई कच्चे माल की लागत	(a) Cost of raw material consumed	19	12,078.48	9,744.40
(ख) स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद	(b) Purchases of stock-in-trade	20	2,78,184.02	2,40,942.51
(ग) स्टॉक–इन–ट्रेड की मालसूची में परिवर्तन एवं तैयार माल की मालसूची	(c) Changes in inventories of stock-in-trade and finished goods	21	119.81	267.07
(घ) सामाजिक एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम व्यय	(d) Social & rural development prog. expenses	22	1,316.18	1,222.36
(ङ) कर्मचारी लाभ व्यय	(e) Employee benefits expenses	23	559.57	724.02
(च) वित्तीय लागत	(f) Finance costs	24	187.69	166.57
(छ) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	(g) Depreciation and amortization expenses	25	114.10	102.32
(ज) अन्य व्यय	(h) Other expenses	26	3,174.17	3,473.31
कुल व्यय	**Total Expenses**		**2,95,734.02**	**2,56,642.56**
कर पूर्व लाभ	**PROFIT BEFORE TAX**		**1,754.47**	**1,572.53**
कर व्यय	Tax Expense:			
(क) चालू कर	(a) Current Tax		490.76	436.82
(ख) गत वर्षों से संबंधित कर का अधिक/कम प्रावधान	(b) Excess/Short provision of tax relating to earlier years		(7.20)	(3.53)
(ग) आस्थिगत कर प्रभार/(लाभ)	(c) Deferred tax charge/(benefit)		(28.59)	(28.25)
			454.97	**405.04**
(v) परिचालन से अवधि के लिए लाभ/(हानि)	(v) Profit/(Loss) for the period from continuing operations		1,299.50	1,167.49
(vi) परिचालन बंद करने से लाभ/(हानि)	(vi) Profit/(Loss) from discontinuing operations		-	-
(vii) परिचालन बंद करने का कर व्यय	(vii) Tax expense of discontinuing operations		-	-
(viii) परिचालन बंद करने से लाभ/(हानि) (कर पश्चात्)	(viii) Profit/(Loss) from discontinuing operations (after tax)		-	-
कर पश्चात् लाभ	**PROFIT AFTER TAX**		**1,299.50**	**1,167.49**
को अंतरित लाभ	**Profit transferred to:**			
– लाभांश समानीकरण निधि	- Dividend Equalisation Fund		-	-
बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अनुसार निवल लाभ	**Net Profit as per Multi State Cooperative Societies Act, 2002**		**1,299.50**	**1,167.49**
मूल तथा तनुकृत आय प्रति शेयर (ईपीएस) (रुपये में)	**Basic & Diluted Earning Per Share (EPS) (in Rs.)**			
– ₹ 1000/– अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर	- Equity Shares of Face Value ₹ 1000/- each		971.95	873.16
– ₹ 10000/– अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर	- Equity Shares of Face Value ₹ 10,000/- each		9,719.51	8,731.63
– ₹ 50000/– अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर	- Equity Shares of Face Value ₹ 50,000/- each		48,597.57	43,658.14
लेखाओं के लिये महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां तथा टिप्पणियाँ उपरोक्त उल्लेखित टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का ही एक अभिन्न भाग हैं।	Significant Accounting Policies and Notes to Accounts: The notes referred to above form an integral part of the Financial Statements.	27		

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached
कृते धवन एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन.: 002864एन
For Dhawan & Co.
Chartered Accountants
FRN: 002864N

(सी.ए. दीपक कपूर)
साझेदार
(CA Deepak Kapoor)
(Partner)
M.No. 072302

कृते इंडियन फार्म फोरेस्ट्री डवलपमेंट कोआपरेटिव लिमिटेड
For Indian Farm Forestry Development Cooperative Ltd.

(सुकांत शर्मा)
मुख्य प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
(Sukant Sharma)
Chief Manager (F&A)

(माधवी एम. विप्रदास)
प्रबंध निदेशक
(Madhavi M. Vipradas)
Managing Director

Place : New Delhi
Date : 31.05.2025

वित्तीय कथनों पर टिप्पणियाँ
NOTES ON FINANCIAL STATEMENTS

टिप्पण – 1 **NOTE - 1**

(₹ in Lakhs)

1. शेयर पूंजी	Share Capital	As at 31.03.2025		As at 31.03.2024	
		Number	Amount	Number	Amount
प्राधिकृत:	**Authorised**				
₹50000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	Equity Shares of ₹ 50000/- each	14,000	7,000.00	14,000	7,000.00
₹10000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	Equity Shares of ₹ 10000/- each	10,000	1,000.00	10,000	1,000.00
₹1000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	Equity Shares of ₹ 1000/- each	2,00,000	2,000.00	2,00,000	2,000.00
योग	**Total**	**2,24,000**	**10,000.00**	**2,24,000**	**10,000.00**
जारी	**Issued**				
₹50000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	Equity Shares of ₹ 50000/- each	2,515	1,257.50	2,515	1,257.50
₹10000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	Equity Shares of ₹ 10000/- each	2	0.20	2	0.20
₹1000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	Equity Shares of ₹ 1000/- each	7,930	79.30	7,935	79.35
योग	**Total**	**10,447**	**1,337.00**	**10,452**	**1,337.05**
अभिदत्त तथा प्रदत्त:	**Subscribed & Paid up**				
₹50000 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर	Equity Shares of ₹ 50000/- each fully paid	2,515	1,257.50	2,515	1,257.50
₹10000 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर	Equity Shares of ₹ 10000/- each fully paid	2	0.20	2	0.20
₹1000 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर	Equity Shares of ₹ 1000/- each fully paid	7,930	79.30	7,935	79.35
योग	**Total**	**10,447**	**1,337.00**	**10,452**	**1,337.05**

अ. बकाया शेयरों की संख्या एवं शेयर राशि का मिलान इस प्रकार निर्धारित किया गया है:	**a. Reconciliation of number of shares outstanding and amount of share capital is set out as follows:**	As at 31.03.2025		As at 31.03.2024	
		Number	Amount	Number	Amount
शेयरों का मिलान:	**Share Reconciliation:**				
₹50000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	**Equity Shares of ₹ 50000/- each**				
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	Shares Outstanding at the beginning of the year	2,515	1,257.50	2,515	1,257.50
जोडें: वर्ष के दौरान जारी शेयर	Add: Shares issued during the year	-	-	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान उन्मोचित शेयर	Less: Shares redeemed during the year	-	-	-	-
वर्ष के अन्त में बकाया शेयर	**Shares Outstanding at the end of the year**	**2,515**	**1,257.50**	**2,515**	**1,257.50**
₹10000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	**Equity Shares of ₹ 10,000/- each**				
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	Shares Outstanding at the beginning of the year	2	0.20	2	0.20
जोडें: वर्ष के दौरान जारी शेयर	Add: Shares issued during the year	-	-	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान उन्मोचित शेयर	Less: Shares redeemed during the year	-	-	-	-
वर्ष के अन्त में बकाया शेयर	**Shares Outstanding at the end of the year**	**2**	**0.20**	**2**	**0.20**
₹1000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	**Equity Shares of ₹ 1,000/- each**				
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	Shares Outstanding at the beginning of the year	7,935	79.35	7,935	79.35
जोडें: वर्ष के दौरान जारी शेयर	Add: Shares issued during the year	1	0.01	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान उन्मोचित शेयर	Less: Shares redeemed during the year	(6)	(0.06)	-	-
वर्ष के अन्त में बकाया शेयर	**Shares Outstanding at the end of the year**	**7,930**	**79.30**	**7,935**	**79.35**

ब. प्रत्येक श्रेणी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयर का विवरण:	**b. Details of share holding more than 5% of equity shares in each category:**	As at 31.03.2025		As at 31.03.2024	
शेयरधारियों का 5% शेयरों से अधिक नियन्त्रण	**Shareholder(s) holding more than 5% shares**	**No. of Shares held**	**% of Holding**	**No. of Shares held**	**% of Holding**
कुल देय ₹50000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	Equity Shares of ₹ 50000/- each fully paid				
– इफको	- Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd.	2,507	99.68	2,507	99.68
कुल देय ₹10000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	Equity Shares of ₹ 10000/- each fully paid				
– यू.पी. सहकारी ग्राम विकास बैंक लि.	- UP Sehakari Gram Vikas Bank Ltd.	1	50.00	1	50.00
– एम.पी. राज्य सहकारी विपणन संघ लि.	- MP State Coop. Mktg. Fed. Ltd.	1	50.00	1	50.00
₹1000 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर	Equity shares of ₹ 1,000 each fully paid				
– पी.एफ.एफ.सी.एस. हरखूमऊ	- PFFCS Harkhumau	550	6.94	550	6.93
– पी.एफ.एफ.सी.एस. मलिकमऊ	- PFFCS Malikmau	400	5.04	400	5.04

स. बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 एवं समिति के उपनियम के प्रावधान के अनुसार, प्रत्येक सदस्य के पास एक ही मतदान का अधिकार होता है, धारित शेयर पूंजी की संख्या/मूल्य चाहे कुछ भी हो। इक्विटी शेयर धारक उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में समय–समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं। सदस्य को वोटिंग का अधिकार केवल कम से कम एक पूर्ण प्रदत्त शेयर प्राप्त करने पर होगा।

c. As per provision of the Multi-State Co-operative Societies Act 2002 and Bye-Laws of the Society, every member has a single voting right irrespective of the number/value of share capital held. The holders of the equity shares are entitled to receive dividends as declared from time to time in proportion to their shareholding. Member will have the voting right only on acquiring at least one fully paid up share.

टिप्पण – 2 NOTE - 2

(₹ in Lakhs)

आरक्षित एवं अधिशेष निधियां	Reserves and Surplus	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
अ. आरक्षित निधि (बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के खंड 63(1)(अ) के अनुसार)	**a. Reserve Fund (As per Section 63(1)(a) of MSCSA 2002)**		
वर्ष के आरंभ में शेष	Balance as at the beginning of the year	1,678.22	1,386.35
जोड़ें: वर्ष के दौरान जमाएं	Add : Addition during the year	324.87	291.87
घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग/अंतरित	Less : Utilised / transferred during the year	-	-
वर्ष के अन्त में बकाया	**Balance as at the end of the year**	**2,003.09**	**1,678.22**
ब. दान के लिए आरक्षित निधि (बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के खंड 63(1)(स) के अनुसार)	**b. Reserve fund for Contingency (As per Section 63(1)(c) of MSCSA 2002)**		
वर्ष के आरंभ में शेष	Balance as at the beginning of the year	453.84	337.09
जोड़ें: वर्ष के दौरान जमाएं	Add : Addition during the year	129.95	116.75
घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग/अंतरित	Less : Utilised / transferred during the year	-	-
वर्ष के अन्त में बकाया	**Balance as at the end of the year**	**583.79**	**453.84**
स. सी.आर.आर.डी. के लिए आरक्षित निधि (बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के खंड 63ए(1) के अनुसार)	**c. Reserve Fund for CRRD Fund (As per Section 63A(1) of MSCSA 2002)**		
वर्ष के आरंभ में शेष	Balance as at the beginning of the year	11.67	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान जमाएं	Add : Addition during the year	12.99	11.67
घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग/अंतरित	Less : Utilised / transferred during the year	(11.67)	-
वर्ष के अन्त में बकाया	**Balance as at the end of the year**	**12.99**	**11.67**
द. प्रासंगिकताओं के लिए आरक्षित निधि (बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के खंड 63(2)(स) के अनुसार)	**d. Reserve for Donation (As per Section 63(2)(c) of MSCSA 2002)**		
वर्ष के आरंभ में शेष	Balance as at the beginning of the year	55.00	35.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान जमाएं	Add : Addition during the year	20.00	20.00
घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग/अंतरित	Less : Utilised / transferred during the year	-	-
वर्ष के अन्त में बकाया	**Balance as at the end of the year**	**75.00**	**55.00**
इ. लाभांश समानीकरण निधि	**e. Dividend Equalisation Fund**		
वर्ष के आरंभ में शेष	Balance as at the beginning of the year	550.00	550.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान जमाएं	Add : Addition during the year	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग/अंतरित	Less : Utilised / transferred during the year	-	-
वर्ष के अन्त में बकाया	**Balance as at the end of the year**	**550.00**	**550.00**
य. सामान्य आरक्षित निधि	**f. General Reserve**		
वर्ष के आरंभ में शेष	Balance as at the beginning of the year	4,051.67	3,403.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान जमाएं	Add : Addition during the year	731.85	648.67
जोड़ें: पूर्व अवधि से संबंधित मूल्यह्रास रिजर्व में समायोजन	Add : Adjustment in Depreciation reserve relating to prior period	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग/अंतरित	Less : Utilised / transferred during the year	-	-
वर्ष के अन्त में बकाया	**Balance as at the end of the year**	**4,783.52**	**4,051.67**
र. प्रतिधारित आय (लाभांश के लिए प्रतिधारित आय)	**g. Retained Earnings (Retained earning for Dividend)**		
वर्ष के आरंभ में शेष	Balance as at the beginning of the year	66.85	66.85
जोड़ें: वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ/(शुद्ध हानि)	Add : Net profit/(Net Loss) for the year	1,299.50	1,167.49
घटाएं: विनियोजन	Less : Appropriation		
– आरक्षित निधि 25%(बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के खण्ड 63(1)(अ) के अनुसार)	- Reserve fund 25% (As per Section 63(1)(a) of MSCSA 2002)	324.87	291.87
– सहकारी शिक्षा कोष में योगदान के लिए प्रावधान 1%(बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के खंड 63(1)(ब) के अनुसार)	- Provision for Contribution to Cooperative Education Fund 1% (As per Section 63(1)(b) of MSCSA 2002)	12.99	11.67
– प्रासंगिकताओं के लिए आरक्षित निधि 10%(बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के खंड 63(1)(स) के अनुसार)	- Reserve fund for Contingency 10% (As per Section 63(1)(c) of MSCSA 2002)	129.95	116.75
– सी.आर.आर.डी. फण्ड के लिए आरक्षित निधि (बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के खंड 63 ए(1) के अनुसार)	- Reserve fund for CRRD Fund (As per Section 63A(1) of MSCSA 2002)	12.99	11.67
– दान के लिए आरक्षित निधि (बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के खंड 63(2)(स) के अनुसार)	- Reserve fund for Donation (As per Section 63(2)(c) of MSCSA 2002)	20.00	20.00
– लाभांश का भुगतान	- Dividend Payment	66.85	66.85
– सामान्य आरक्षित निधि का अंतरण	- Transfer to General Reserve	731.85	648.67
वर्ष के अन्त में बकाया	**Balance as at the end of the year**	**66.85**	**66.85**
योग	**Total**	**8,075.24**	**6,867.26**

टिप्पण – 3 NOTE - 3

दीर्घावधिक ऋण	**Long Term Borrowings**	**As at 31.03.2025**	**As at 31.03.2024**
रक्षित – आवधिक ऋण	**Secured- Term Loan**		
अन्य से	**Form Others**		
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम*	- National Cooperative Development Corporation*	190.64	269.74
घटाएं: आवधिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता (संदर्भ टिप्पण 6)	Less: Current Maturity of Term Loan (Ref. Note No. 6)	(79.93)	(78.65)
योग	**Total**	**110.71**	**191.09**

The Loan is secured against Land, Building and Plant & Machinary.
* Term of Repayment - Repayable in two yearly installment on each part of loan and shall be fully repaid by 2032. The interest rate vary from @10.30% to 11.90%.

टिप्पण – 4 NOTE - 4

(₹ in Lakhs)

दीर्घावधिक प्रावधान	Long Term Provisions	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
कर्मचारियों के लाभों के लिए प्रावधान	**Provision for Employee benefits**		
– अनुपस्थिति नकदीकरण	- Leave Encashment	111.11	95.73
योग	**Total**	**111.11**	**95.73**

टिप्पण – 5 NOTE - 5

भुगतान योग्य व्यापार राशियाँ	Trade Payable	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
आरक्षित लेनदार	**Unsecured Creditors**		
(अ) बकाया लघु एवं सूक्ष्म उद्यम	(a) Outstanding due to Micro and Small Enterprises	43.60	-
(ब) बकाया अन्य	(b) Outstanding to Others	10,487.18	13,136.51
योग	**Total**	**10,530.78**	**13,136.51**

(Refer Note No. 27(B) x related to disclosure under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006)

टिप्पण – 6 NOTE -6

अन्य चालू देयताएं	Other Current Liabilities	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
सावधिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता अवधि (संदर्भ टिप्पण 3)	Current Maturity of Term Loan (Ref. Note No. 3)	79.93	78.65
सांविधिक देयताएं	Statutory Dues Payable	128.37	92.82
व्ययों पर देयताएं	Expenses Payable	436.04	747.13
अदत्त लाभांश*	Unpaid Dividend*	0.30	0.31
ग्राहकों से अग्रिम	Advance from Customer	1,892.52	1,462.45
धरोहर राशि/जमानत राशि	Earnest Money / Security Deposit	6,301.36	5,633.21
अनुपयोगी परियोजना योगदान/अनुदान	Unutilised Project Contribution / Grant	52.22	149.87
योग	**Total**	**8,890.74**	**8,164.44**

* Unpaid Dividend represents the amounts against which cheque have been issued to the investors/share holders but not yet cleared.

टिप्पण – 7 NOTE - 7

अल्पावधिक प्रावधान	Short Term Provisions	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
कर्मचारियों के हितों के लिए प्रावधान	**Provision for Employee benefits**		
अवकाश नकदीकरण	Leave Encashment	23.36	23.36
अन्य प्रावधान	**Other provision**		
सहकारी शिक्षा निधि के लिए प्रावधान	Provision for Cooperative Education Fund	12.99	11.67
आयकर के लिए प्रावधान (अग्रिम कर निवल/टी.डी.एस.)	Provision for Income Tax (net of Advance tax/TDS)	255.15	191.95
योग	**Total**	**291.50**	**226.98**

टिप्पण – 10 NOTE - 10

दीर्घावधिक ऋण एवं अग्रिम	Long-Term Loans & Advances	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
अरक्षित, सुविचारित सामान, जब तक अन्यथा नहीं कहा गया	**Unsecured, Considered Goods, unless otherwise stated**		
सुरक्षा जमा राशि	Security Deposits	14.75	7.74
समितियों के साथ चक्रीय निधि	Revolving Fund with Societies	1.72	2.92
योग	**Total**	**16.47**	**10.66**

टिप्पण – 11 NOTE - 11

अन्य गैर–चालू परिसम्पत्ति	Other Non-Current Assets	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
अरक्षित, सुविचारित सामान, जब तक अन्यथा नहीं कहा गया	**Unsecured, Considered Goods, unless otherwise stated**		
12 महीने से अधिक परिपक्वता वाली सावधि जमायें	Fixed Deposits with more than 12 months maturity	2,152.00	-
योग	**Total**	**2,152.00**	**-**

टिप्पण – 12 NOTE - 12

(₹ in Lakhs)

मालसूचियाँ* (लागत या शुद्ध प्राप्य मूल्य, जो भी कम हो)	Inventories* (Valued at cost or Net Realisable Value, whichever is lower)	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
पैकिंग सामग्री	Packing Material	206.51	236.62
तैयार माल की मालसूची	Finished Goods	107.01	196.52
स्टॉक–इन–ट्रेड	Stock-In-Trade	392.85	423.14
योग	Total	706.37	856.28

* As taken, valued and certified by the Management.

टिप्पण – 13 NOTE - 13

प्राप्त होने वाली व्यापार राशियाँ	Trade Receivables	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
प्राप्ति की तिथि से छः महीने से कम अवधि के लिए बकाया	Outstanding for a period less than six months from the date they are due for receipt		
अरक्षित, विचारणीय माल	Unsecured, Considered Goods	11,349.25	13,724.90
प्राप्ति की तिथि से छः महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया	Outstanding for a period more than six months from the date they are due for receipt		
अरक्षित, विचारणीय माल	Unsecured, Considered Goods	1,099.08	1,632.73
अरक्षित, विचारणीय संदिग्ध	Unsecured, Considered Doubtful	427.59	282.66
घटायें: संदिग्ध व्यापार प्राप्ति के लिए प्रावधान	Less: Provision for Doubtful Trade Receivable	(427.59)	(282.66)
योग	Total	12,448.33	15,357.63

टिप्पण – 14 NOTE - 14

नकद एवं बैंकों में शेष	Cash and Bank Balances	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
पास में नकदी	Cash on hand	1.62	1.48
बैंकों के साथ शेष	Balances with Banks		
– चालू खाते में शेष	- On current accounts	769.50	279.12
सावधि जमा	Fixed Deposits		
– तीन माह से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशि	- Deposits with original maturity of less than three months	1,400.00	2,350.00
अन्य बैंक शेष	Other bank balances		
– रिपोर्टिंग तिथि से तीन महीने से अधिक लेकिन 12 माह से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशियाँ	- Deposits with original maturity for more than three months but less than 12 months from reporting date	8,176.00	7,407.00
योग	Total	10,347.12	10,037.60

टिप्पण – 15 NOTE - 15

अल्पावधिक ऋण एवं अग्रिम	Short-Term Loans and Advances		As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
असुरक्षित, सुविचारित सामान	Unsecured, Considered Goods			
ब्याज अर्जित किया गया लेकिन सावधि जमा पर देय नही	Interest accrued but not due on Fixed Deposits		221.22	305.24
पूर्व प्रदत्त व्यय	Prepaid Expenses		78.26	78.02
दावा/अन्य वसूली योग्य	Claim/Other Recoverable	227.36		222.72
घटायें: संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान	Less : Provision for Doubtful recoverables	(24.37)	202.99	(24.37)
अनुदान वसूली योग्य	Grant Recoverable		147.01	113.43
राज्य सरकारों से वसूली योग्य सब्सिडी	Subsidy Recoverable from State Govt.	108.18		49.91
घटायें: संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान	Less : Provision for Doubtful recoverables	(18.91)	89.27	(18.91)
आपूर्तिकर्ता/किसानों/समितियों को अग्रिम	Advance to Suppliers/Farmers/Societies		177.48	306.41
आयकर वापसी योग्य	Income Tax Refundable		46.49	29.32
जी.एस.टी. वसूली योग्य	GST Recoverable		153.97	108.43
कर्मचारियों के लिए अग्रिम	Advance to Employees		0.33	1.46
अन्य अग्रिम	Other Advances		18.69	12.76
योग	Total		1,135.71	1,184.42

टिप्पण – 8: सम्पत्ति, संयंत्र व उपकरण
Note - 8 : Property, Plant and Equipments

(₹ in Lakhs)

Particulars विवरण	Freehold Land पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	Factory Building कारखाना भवन	Vehicle वाहन	Office Equipments कार्यालय उपकरण	Furniture & Fixture फर्नीचर एवं फिक्सचर	Computer and Printer कम्प्यूटर एवं प्रिंटर्स	Genset and Air Conditioners जैनसेट एवं वातानुकूल उपकरण	Plant, Machinery & Other Equipments संयंत्र, मशीनरी एवं अन्य उपकरण	Total योग
Gross Block / सकल ब्लॉक									
As at 01.04.2023 / **01.04.2023 तक**	239.75	1,477.60	73.34	51.93	45.96	114.37	17.15	823.41	2,843.51
Additions / **परिवर्धन**	-	36.04	-	2.33	0.90	16.74	0.66	59.73	116.41
Deductions/Adjustments / **कटौती / समायोजन**	-	18.75	0.04	0.49	0.17	4.74	0.60	2.22	27.00
As at 31.03.2024 / 31.03.2024 तक	**239.75**	**1,494.89**	**73.30**	**53.77**	**46.69**	**126.37**	**17.21**	**880.92**	**2,932.92**
Additions / **परिवर्धन**	-	7.15	16.65	5.85	1.07	8.70	1.51	20.75	61.68
Deductions/Adjustments / **कटौती / समायोजन**	-	-	8.59	2.26	-	2.31	-	4.61	17.78
As at 31.03.2025 / 31.03.2025 तक	**239.75**	**1,502.04**	**81.36**	**57.36**	**47.76**	**132.76**	**18.72**	**897.06**	**2,976.81**
Depreciation/Amortisation / मूल्यह्रास / परिशोधन									
As at 01.04.2023 / 01.04.2023 तक	-	251.08	33.19	27.76	30.53	90.67	8.51	171.72	613.45
Additions / **परिवर्धन**	-	45.57	7.31	4.46	2.42	9.27	1.08	32.20	102.32
Deductions/Adjustments / **कटौती / समायोजन**	-	-	0.04	0.40	0.16	4.52	0.34	0.56	6.03
As at 31.03.2024 / 31.03.2024 तक	**-**	**296.65**	**40.46**	**31.82**	**32.79**	**95.42**	**9.25**	**203.36**	**709.74**
Additions / **परिवर्धन**	-	47.67	8.34	4.67	2.36	13.52	1.16	36.39	114.10
Deductions/Adjustments / **कटौती / समायोजन**	-	-	8.16	2.12	-	1.89	-	2.48	14.65
As at 31.03.2025 / 31.03.2025 तक	**-**	**344.32**	**40.64**	**34.37**	**35.15**	**107.05**	**10.41**	**237.27**	**809.19**
Net Block / **सकल ब्लॉक**									
As at 31.03.2025 / 31.03.2025 तक	**239.75**	**1,157.72**	**40.72**	**22.99**	**12.61**	**25.71**	**8.31**	**659.79**	**2,167.60**
As at 31.03.2024 / 31.03.2024 तक	**239.75**	**1,198.24**	**32.84**	**21.95**	**13.90**	**30.95**	**7.96**	**677.56**	**2,223.15**

Capital work in Progress **पूँजीगत कार्य प्रगति पर**	**31 March 2025** **31 मार्च 2025**	**31 March 2024** **31 मार्च 2024**
Opening Balance / **प्रारंभिक शेष**	7.15	13.67
Add: Additions during the year / **जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि**	-	7.91
Less: Capitalized during the year / **घटायें: वर्ष के दौरान पूँजीकृत**	7.15	14.43
Closing Balance (B)/ समापन राशि	**-**	**7.15**

(₹ in Lakhs)

टिप्पण – 9	NOTE - 9		As at 31.03.2025		As at 31.03.2024	
गैर चालू निवेश (लागत पर)	Non Current Investments (At Cost)	Face Value (₹)	No. of Shares	Amount (₹)	No. of Shares	Amount (₹)
(अ) व्यापार निवेश (लागत पर) – अनुद्धृत	(A) Trade Investments (At Cost) - Unquoted					
(i) सहायकों पर निवेश	(i) Investment in Subsidiaries					
(अ) उत्तर प्रदेश राज्य की पी.एफ.एफ.सी.एस. से ₹ 500 प्रत्येक के 26738 शेयर लिये	(a) 26,738 Equity Shares of ₹ 500/- each fully paid up in PFFCS of U.P. State					
कनकसिंहपुर पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर	Kanaksinghpur PFFCS District Sultanpur	500	5,448	27.24	5,448	27.24
चन्दौकी पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर	Chandauki PFFCS District Sultanpur	500	1,456	7.28	1,456	7.28
रामसहायपुर हरदोइया पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर	Ramshahpur Hardoiya PFFCS District Sultanpur	500	1,828	9.14	1,828	9.14
नन्दमहर–भीखीपुर पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर	Nandmahar-Bhikhipur PFFCS District Sultanpur	500	2,109	10.55	2,109	10.55
कनकूपुर पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर	Kankupur PFFCS District Sultanpur	500	1,617	8.09	1,617	8.09
रिछौरा पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर	Richhaura PFFCS District Sultanpur	500	1,191	5.96	1,191	5.96
कटारी पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर	Katari PFFCS District Sultanpur	500	1,356	6.78	1,356	6.78
बेला पश्चिम पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर	Bela Paschim PFFCS District Sultanpur	500	218	1.09	218	1.09
कमालपुर पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला रायबरेली	Kamalpur PFFCS District Raibarelly	500	1,793	8.97	1,793	8.97
रसूलपुर पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला रायबरेली	Rasoolpur PFFCS District Raibarelly	500	2,423	12.12	2,423	12.12
हरदोई पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला रायबरेली	Hardoi PFFCS District Raibarelly	500	1,421	7.11	1,421	7.11
खारा पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला रायबरेली	Khara PFFCS District Raibarelly	500	1,741	8.71	1,741	8.71
बेलहा पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला प्रतापगढ़	Belha PFFCS District Pratapgarh	500	1,398	6.99	1,398	6.99
केशवपुर पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला प्रतापगढ़	Keshavpur PFFCS District Pratapgarh	500	1,117	5.59	1,117	5.59
सबलगढ़सराई इन्द्रावत पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला प्रतापगढ़	Sabalgarh Sarai Indrawat PFFCS District Pratapgarh	500	686	3.43	686	3.43
कैमा पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर	Kaima PFFCS District Sultanpur	500	936	4.68	936	4.68
(ब) मध्य प्रदेश राज्य की पी.एफ.एफ.सी.एस. से ₹100 प्रत्येक के 10637 शेयर लिये	(b)10,637 Shares of ₹ 100/- each in PFFCS of M.P. State					
करैया पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सागर	Kariya PFFCS District Sagar	100	3,080	3.08	3,080	3.08
समनापुर पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सागर	Samnapur PFFCS District Sagar	100	2,785	2.79	2,785	2.79
चितौरा पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सागर	Chitora PFFCS District Sagar	100	1,492	1.49	1,492	1.49
मौकलपुर पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सागर	Mokalpur PFFCS District Sagar	100	2,490	2.49	2,490	2.49
सुरखी पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सागर	Surkhi PFFCS District Sagar	100	790	0.79	790	0.79
(स) राजस्थान राज्य की पी.एफ.एफ.सी.एस. से ₹10 प्रत्येक के 156730 शेयर लिये	(c) 1,56,730 Shares of ₹10/- each in PFFCS of Rajasthan State					
सांगवा पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला उदयपुर	Sangwa PFFCS District Udaipur	10	56,000	5.60	56,000	5.60
रख्यावल पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला उदयपुर	Rakhiyawal PFFCS District Udaipur	10	25,000	2.50	25,000	2.50
पीपलवास पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला उदयपुर	Pipalwas PFFCS District Udaipur	10	35,200	3.52	35,200	3.52
सिन्धु पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला उदयपुर	Sindhu PFFCS District Udaipur	10	17,400	1.74	17,400	1.74
जावड पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला उदयपुर	Jawad PFFCS District Udaipur	10	21,230	2.12	21,230	2.12
नाई पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला उदयपुर	Nai PFFCS District Udaipur	10	1,900	0.19	1,900	0.19
उप–योग	Sub-Total			160.04		160.04
(ii) सहयोगी में निवेश	(ii) Investment in Associates					
इफको (253 शेयर ₹1,00,000/–प्रत्येक के)	Indian Farmers Fertilisers Cooperative Ltd. (253 Shares of ₹ 1,00,000/- each)	100000	253	253.00	253	253.00
इफको (4 शेयर ₹10,000/–प्रत्येक के)	Indian Farmers Fertilisers Cooperative Ltd. (4 Shares of ₹ 10,000/- each)	10000	4	0.40	4	0.40
इफको (9 शेयर ₹1,000/–प्रत्येक के)	Indian Farmers Fertilisers Cooperative Ltd. (9 Shares of ₹ 1,000/- each)	1000	9	0.09	9	0.09
उप–योग	Sub-Total			253.49		253.49
योग	Total			413.53		413.53
घटायें: निवेश के मूल्य में हानि के लिए प्रावधान	Less: Provision for Impairment in value of investments					
सिंधु प्रक्षेत्र वानिकी समिति जिला उदयपुर	Sindhu PFFCS District Udaipur			(1.74)		(1.74)
चितौरा प्रक्षेत्र वानिकी समिति, म.प्र.	PFFCS Chittora, MP			(1.49)		-
सुरखी प्रक्षेत्र वानिकी समिति, म.प्र	PFFCS, Surkhi, MP			(0.79)		-
(iii) बहुराज्यीय सहकारी समिति में निवेश	(iii) Investment in MSCS					
भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड	Bhartiya Beej Sahakari Samiti Limited	1000	500	5.00	-	-
उप–योग	Sub-Total			5.00		-
योग	Total			414.51		411.79

टिप्पण – 16 NOTE - 16

(₹ in Lakhs)

प्रचालन से राजस्व	Revenue from Operations	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
उत्पादन की बिक्री	**Manufacturing Sales**		
बीज की बिक्री (सब्सिडी एवं प्रोत्साहन सहित)	Sales of Seeds (including subsidy and incentives)	16,093.92	13,307.28
व्यापार बिक्री	**Trading Sales**		
उर्वरक की बिक्री	Sales of Fertiliser	2,51,170.62	2,20,880.18
अन्य उत्पादों की बिक्री (पौधे, रसायन, सागरिका, कृषि–रसायन, इफको नैनो यूरिया इत्यादि)	Sales of Other Product (Plant, Chemical, Sagarika, Agro-Chemical, IFFCO Nano Urea etc.)	28,266.70	21,708.44
अन्य बिक्री	**Other Sale**		
कार्बन क्रेडिट की बिक्री	Sales of Carbon Credit	92.08	677.14
योग	**Total**	**2,95,623.32**	**2,56,573.04**

टिप्पण–17 NOTE - 17

सामाजिक एवं ग्रामीण विकास परियोजनाओं में भागीदारी	Contribution towards Social & Rural Development Programmes	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
नाबार्ड	NABARD	85.77	60.87
आई टी जी आई	ITGI	-	35.54
एन सी डी सी	NCDC	60.70	76.33
केन्द्र सरकार की परियोजनाऐं	Central Govt. Projects	97.65	166.20
प्रक्षेत्र वानिकी	Farm Forestry	350.00	350.00
इफको परियोजनाएं	**IFFCO Projects**		
एल आई आई आर डी	LIIRD	124.83	120.58
आर एल डी पी	RLDP	140.75	106.18
इफको (अन्य)	IFFCO (Others)	179.13	34.80
योग	**Total**	**1,038.83**	**950.50**

टिप्पण–18 NOTE - 18

अन्य आय	Other Income	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
ब्याज	Interest From:		
– सावधि जमा	-Fixed Deposits	646.42	520.22
– अन्य	-Others	0.21	0.14
विनियोग पर लाभांश	Dividend on Investment	50.70	50.70
सहायक सेवाओं से आय	Income from ancillary services	121.77	110.38
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ	Profit on Sale of Property, Plant and Equipment	1.82	-
विविध आय	Miscellaneous Income	5.42	10.11
योग	**Total**	**826.34**	**691.55**

टिप्पण – 19 NOTE - 19

खपत किए गए कच्चे माल की लागत	Cost of Raw Material consumed	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
कच्चे माल का अथ स्टॉक	Opening Stock of Raw Material	-	-
जोड़ें : बीज की खरीद	Add : Purchases Seeds	12,078.48	9,744.40
घटायें : कच्चे माल का इति स्टॉक	Less : Closing Stock of Raw Material	-	-
योग	**Total**	**12,078.48**	**9,744.40**

टिप्पण – 20 NOTE - 20

स्टॉक–इन–ट्रेड का क्रय	Purchase of Stock-in-Trade	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
– उर्वरक	- Fertiliser	2,50,490.83	2,20,172.93
– अन्य उत्पाद (पौधे, रसायन, सागरिका, कृषि–रसायन, नैनो यूरिया इत्यादि)	- Other products (Plant, Chemical, Sagarika, Agro-Chemical, Nano Urea etc.)	28,044.22	21,305.24
– घटायें: प्राप्त छूट (नैनो यूरिया)	- Less: Rebate Received (Nano Urea)	(351.03)	(535.66)
योग	**Total**	**2,78,184.02**	**2,40,942.51**

टिप्पण – 21 NOTE - 21

(₹ in Lakhs)

स्टॉक–इन–ट्रेड एवं तैयार माल की मालसूचियों में परिवर्तन	Changes in Inventories of Stock-in-Trade and Finished Goods	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
इति स्टॉक:	**Closing Stocks:**		
खाद	Fertiliser	236.90	250.58
बीज	Seed	107.01	196.52
अन्य	Others	155.95	172.57
		499.86	**619.67**
अथ स्टॉक:	**Opening Stocks:**		
खाद	Fertiliser	250.58	330.12
बीज	Seed	196.52	145.44
अन्य	Others	172.57	411.18
		619.67	**886.74**
(वृद्धि)/कमी	**(Increase) / Decrease**	**119.81**	**267.07**

टिप्पण – 22 NOTE - 22

सामाजिक एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम व्यय	Social & Rural Development Programme Expenses	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
नाबार्ड	NABARD	143.22	141.61
आई टी जी आई	ITGI	7.83	41.34
केन्द्र सरकार की परियोजनाऐं	Central Govt. Projects	97.65	166.20
एन.सी.डी.सी.	NCDC	124.00	115.36
बनाना परियोजनाऐं	Banana Projects	85.10	85.41
यू.एल.आई.पी.एच./आई.सी.डी.पी.	ULIPH/ICDP	1.92	1.73
प्रक्षेत्र वानिकी	Farm Forestry	430.28	412.49
इफको परियोजनाएं	**IFFCO Projects**		
एल आई आई आर डी	LIIRD	120.29	116.39
आर एल डी पी	RLDP	142.31	104.44
इफको (अन्य)	IFFCO (Others)	163.58	37.39
योग	**Total**	**1,316.18**	**1,222.36**

टिप्पण – 23 NOTE - 23

कर्मचारियों के हितलाभों पर व्यय	Employee Benefits Expense	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
वेतन एवं प्रोत्साहन	Salaries and incentives	222.15	197.87
वेतन एवं प्रोत्साहन (प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के लिए)	Salaries and incentives (for deputed employees)	258.91	390.39
अंशदान –	Contributions to -		
– भविष्य निधि तथा अन्य निधियाँ	- Provident Fund and other Fund	7.87	6.80
– उपदान तथा अन्य लाभ	- Gratuity and other Benefit	55.44	110.43
कर्मचारी कल्याण व्यय	Staff Welfare Expenses	15.20	18.53
योग	**Total**	**559.57**	**724.02**

टिप्पण – 24 NOTE - 24

वित्त लागत	Finance Costs	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
ऋण पर ब्याज – बैंक एवं एन.सी.डी.सी.	Interest on loan - Bank & NCDC	187.62	166.43
बैंक एवं वित्तीय प्रभार	Bank and Finance Charges	0.07	0.14
योग	**Total**	**187.69**	**166.57**

टिप्पण – 25 NOTE - 25

(₹ in Lakhs)

अवमूल्यन, परिशोधन एवं हानिकरण पर व्यय	Depreciation and Amortization Expenses	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
अवमूल्यन	Depreciation on tangible assets	114.10	102.32
योग	Total	114.10	102.32

टिप्पण – 26 NOTE - 26

अन्य व्यय	Other Expenses	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
प्रत्यक्ष व्यय	**Direct expenses**		
प्रमाणीकरण, पैकिंग एवं वितरण व्यय	Certification, packing and distribution expenses	2,822.71	2,652.41
प्रशासनिक व्यय	**Administrative expenses:**		
मरम्मत तथा रख–रखाव:	Repairs and Maintenance:		
– भवन	- Buildings	2.19	2.17
– अन्य	- Others	7.47	6.73
यात्रा व्यय:	Traveling Expenses:		
– निदेशकगण	-Directors	8.60	16.93
– अन्य	-Others	14.42	24.60
स्थानीय यात्रा व्यय:	Conveyance Expenses	1.27	1.58
मुद्रण तथा लेखन–सामग्री	Printing and Stationery	5.00	4.80
किराया	Rent	2.89	2.92
संचार व्यय	Communication Expenses	4.93	7.04
प्रचार एवं बिक्री संवर्धन	Publicity and Sales Promotion	8.47	4.69
निदेशकों का शुल्क	Directors' Sitting Fee	23.72	24.66
वाहन किराया, चालन तथा रख–रखाव	Vehicle Hire, Running and Maintenance	11.94	7.98
विधिक तथा व्यावसायिक प्रभार	Legal and Professional Charges	51.45	22.44
संदिग्ध ऋण	Bad Debts	3.49	33.49
संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान (फ्लोटिंग)	Provision for Doubtful Debts (Floating)	150.00	120.00
संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	Provision for Doubtful Debts	1.16	17.11
परिसंपत्ति, संयंत्र व उपकरण की बिक्री से हानि	Loss on Sale of PPE	1.77	0.79
किसानों को मुआवजा भुगतान	Compensation Paid to Farmers	0.83	11.15
आम सभा बैठक व्यय	AGM Expenses	34.06	45.36
लेखा परीक्षा शुल्क	Audit Fees		
– वैधानिक अंकेक्षण	- Statutory Audit	4.30	2.75
– कर, लेखा परीक्षा एवं अन्य	- Tax, Audit & Others	0.72	0.65
विविध खर्च	Miscellaneous Expenses	11.42	11.38
कार्बन क्रेडिट के खर्चों के लिए प्रावधान	Provision for Carbon Credit Expenses	-	448.83
दान	Donation	1.36	2.85
योग	Total	3,174.17	3,473.31

टिप्पण – 27

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखाओं पर टिप्पणियों का विवरण जो 31 मार्च 2025 तक के लेखाओं का भाग है।

(क) महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

(i) तैयार करने का आधार

ये वित्तीय विवरण भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों और लेखा मानक संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटेंट ऑफ इंडिया और बहुराज्यीय सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार हिस्टोरिकल लागत के अंतर्गत एक्रुअल आधार पर तैयार किए गए हैं।

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किये जाते हैं तथा निकटतम लाख तक पूर्णांकित किये जाते हैं (दो दशमलव तक), सिवाय जब अन्यथा संकेत न दिया गया हो।

(ii) आय/व्यय की स्वीकरण

(क) माल की बिक्री से राजस्व का हिसाब किया जाता है जिसके अंतर्गत मालिकाना हक के सभी प्रमुख जोखिम और लाभ खरीदारों को अंतरित आमतौर पर माल की डिलीवरी पर हो जाते हैं। माल की बिक्री से नेट वापसी राजस्व की गणना निवल, भत्ते, व्यापार छूट के बाद की जाती है।

(ख) सरकार एवं अन्य संस्थाओं की तरफ से क्रियान्वित की जा रही ग्रामीण विकास परियोजनाओं से आय/व्यय का हिसाब नकद आधार पर किया गया है। जो राशि खर्च हो गई लेकिन वसूल नहीं हुई है वह अनुदान वसूली योग्य दर्शाया गया है। शेष राशि यदि कोई अनुदान खाता है उसी को हस्तांतरित किया जा रहा है। आय के रूप में व्यय के खिलाफ आगामी वर्षों में किया जा रहा है।

(ग) सभी अन्य आय को लाभांश आय, मात्रा छूट और रिवॉल्विंग फंड पर सेवा शुल्क को छोड़कर प्रोद्भवन आधार पर मान्यता प्राप्त है।

(घ) विशेष रूप से सामाजिक एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को वेतन व भत्ते का भुगतान संबंधित सामाजिक एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के खर्च में शामिल किया गया है।

(ड.) कार्बन क्रेडिट की बिक्री उस वर्ष दर्शायी गई है जिस वर्ष कार्बन क्रेडिट बेचे गये हैं।

(iii) बीज एवं खाद पर अनुदान/छूट

(क) प्रमाणित बीज की बिक्री पर विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य सरकार से दावा की गई विपणन सब्सिडी प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

(ख) प्रमाणित / आधार बीजों की बिक्री पर विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्र सरकार से साथ दावा की गई उत्पादन सब्सिडी रसीद के आधार पर किया जाता है।

(ग) विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार से प्राप्त की गई संयंत्र सब्सिडी रसीद के आधार पर मानी जाती है।

(घ) खाद पर अतिरिक्त छूट, मात्रा छूट को लेखा में प्राप्ति आधार पर किया जाता है।

(iv) सरकारी अनुदान

पूंजीगत प्रकृति के अनुदान और विशिष्ट संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित अनुदानों को परिसंपत्तियों के सकल मूल्य से घटाया जाता है। पूंजीगत प्रकृति के अन्य अनुदान, जो सीधे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित नहीं हैं, उन्हें पूंजी रिजर्व में जमा किया जाता है। राजस्व से संबंधित अनुदान को लाभ और हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है ताकि उन्हें संबंधित लागतों से मिलान किया जा सके।

(v) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

स्थायी परिसम्पत्तियाँ को हिस्टोरीकल लागत से संचयी मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया गया है। समिति को जो परिसम्पत्तियां उपहार में हस्तांतरण हुई हैं उनको ₹ 1/- की लागत पर खातों में लिया है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अधिग्रहण, निर्माण और कमीशन के लिए किए गए सभी प्रत्यक्ष व्यय, जो उपयोग में लाने के लिए तैयार नहीं हैं, को "कैपिटल वर्क–इन–प्रोग्रेस" के तहत दिखाया गया है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों से संबंधित बाद के खर्चों को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह संभव हो कि भविष्य में इनसे जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और वस्तु की लागत को मजबूती से मापा जा सकता है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बकाया संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अधिग्रहण के लिए भुगतान किए गए अग्रिमों को दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम के तहत "पूंजी अग्रिम" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(vi) मूल्यह्रास

(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में मूल्यह्रास का प्रावधान उनकी उपयोगी जीवनावधि के आधार पर किया जाता है। समिति ने सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग "सी" में दी गई संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के उपयोगी जीवनावधि के अनुसार किया गया है। समिति ने मूल्यह्रास की गणना के लिए स्ट्रेट लाईन मैथड को अपनाया है।

(ख) परिसम्पत्तियां जिनका मूल लागत के 95% तक मूल्यह्रास हो गया है, ₹ 5000 तक की प्रत्येक मद को छोड़कर, जो उसके अधिग्रहण के वर्ष में पूरी तरह से मूल्यहासित किया गया है।

NOTE - 27

STATEMENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES & NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2025

(A) SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(i) Basis of Preparation

The Financial Statements are prepared on accrual basis under the historical cost convention in accordance with the generally accepted accounting principles in India, the Accounting Standards Prescribed by ICAI and the relevant provisions of Multi-State Co-operative Societies Act, 2002.

Financial Statements are presented in Indian Rupees (₹) and rounded to nearest lakh (upto two decimals), except when indicated otherwise.

(ii) Recognition of Income / expenditure

(a) Revenue from the sale of goods is recognized when significant risks and rewards of the ownership of goods have passed to the buyer, usually on delivery of the goods. Revenue from the sale of goods is measured net of returns, allowances, trade discounts, and volume rebates.

(b) The income and expenditure in the case of rural development projects run on behalf of the Government or other agencies are recognized as income to the extent of expenses incurred thereon. The amount which is incurred but not realized is shown as Grant Recoverable. The balance amount, if any is transferred to Unutilized Grant Account and the same is booked as income against expenses in the subsequent years.

(c) All other income is recognized on accrual basis except dividend income, quantity rebate and service charges on revolving fund, which are recognised on receipt basis.

(d) The salary and allowances paid to the employees deputed on particular Social & Rural Development Programs are included in the expenses of the respective Social & Rural Development Programs.

(e) The sale of Carbon Credit is recognised during the year in which Carbon Credit sales has taken place.

(iii) Subsidy or Rebate on Seed and Fertiliser

(a) The Marketing Subsidy claimed from the State Government under various scheme on sale of certified seeds is accounted for on accrual basis.

(b) The Production Subsidy claimed from the Central Government under various scheme on sale of certified/foundation seeds is accounted for on receipt basis.

(c) The Plant Subsidy claimed from the Government under various scheme is accounted for on receipt basis.

(d) The additional rebate, quantity rebate on fertiliser is accounted for on receipt basis.

(iv) Government Grant

Grants of Capital nature and related to specific Property, Plant & Equipment are deducted from gross value of assets. Other grants of Capital nature, not directly attributable to Property, Plant and Equipment are credited to Capital Reserve. Grant related to revenue are recognized in the Statement of Profit and Loss on a systematic basis to match them with related costs.

(v) Property, Plant and Equipments

Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation. Assets transferred to the society as gift are accounted for at ₹ 1/- each.

All direct expenses incurred for acquiring, erecting and commissioning of Property Plant and Equipments, which are not ready for put into use, are shown under the head "Capital Work-in-Progress". Subsequent expenditures relating to Property, Plant and Equipment is capitalized only when it is probable that future economic benefits associated with these will flow to the Society and the cost of the item can be measured reliably. Advances paid towards the acquisition of Property, Plant and Equipment outstanding at each Balance Sheet date is classified as "Capital Advances" under Long Term Loans and Advances.

(vi) Depreciation

(a) The Depreciation is charged on the basis of useful life of the Property, Plant & Equipment. The Society has adopted useful life of Property, Plant & Equipment as given in Part "C" of Schedule II of Companies Act, 2013 in respect of all Property, Plant & Equipment. The Society has adopted Straight Line Method for computation of depreciation charged.

(b) Assets are depreciated to the extent of 95% of the original cost except items individually costing upto ₹ 5,000/-, which are fully depreciated in the year of acquisition..

(vii) माल सूचियाँ

(क) माल सूचियों का मूल्य कम या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य होता है। लागत एफआईएफओ आधार का उपयोग करके निर्धारित की जाती है।

(ख) जहां भी आवश्यक हो, अप्रचलन के लिए प्रावधान किया जाता है।

(viii) निवेश

(क) गैर मौजूदा निवेश का हिसाब लागत पर लगाया गया है। ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी का प्रावधान केवल उस अवस्था में किया गया है जब वह कमी निवेश की लागत में अस्थायी तौर से भिन्न हो।

(ख) चालू निवेशों का मूल्य लागत के न्यून पर अथवा प्रत्येक निवेश के आधार पर समुचित मूल्य पर निर्धारित किया गया है।

(ix) सेवा निवृत्ति लाभ

(क) कर्मचारियों के अल्पकालिक लाभों को उस वर्ष के लाभ व हानि खातों में अनडिस्काउंटिड आधार पर व्यय के रूप में दिया जाता है, जिस वर्ष में सेवा प्राप्त की जाती है।

(ख) प्रोविडेंट फंड और फैमिली पेंशन फंड में योगदान मासिक और लाभ और हानि के खाते में डेबिट किया जाता है। कर्मचारियों को देय ग्रैच्युइटी के संबंध में उत्तरदायित्व लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की समूह ग्रैच्युइटी स्कीम की नीति योजना के तहत वित्त पोषित है। व्यय को वास्तविक मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित देय राशि के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है और ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान बनाया जाता है। निधि में चुकाए गए वार्षिक योगदान को लाभ और हानि के खाते में डेबिट किया जाता है।

(x) पूर्व अवधि आय/व्यय

प्रत्येक मामले में ₹ 2,00,000 / – से अधिक नहीं होने वाली पूर्व अवधि (ओं) से संबंधित आय / व्यय आइटम प्रत्येक वर्ष / इकाई को चालू वर्ष के लिए आय / व्यय के रूप में माना जाता है।

(xi) कराधान

(क) वर्तमान कर के लिए प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत लाभ स्वीकार्य पर विचार करने के बाद किया जाता है।

(ख) समय अंतरालों पर आस्थगित कर को विवेकपूर्ण विचार माना जाता है। आस्थगित परिसंपत्तियों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक कि 'आभासी निश्चितता' नहीं होती है, भविष्य में जब कर योग्य लाभ होगा तब इस प्रकार की आस्थगित कर सम्पत्तियों को वसूल किया जा सकेगा।

(xii) प्रासंगिक देयताएं

प्रकृति में प्रासंगिक देयताओं के लिए कोई प्रावधान नहीं बनता, लेकिन अगर यह प्रभावित करता है तो लेखों को अलग टिप्पणियों द्वारा बताया गया है।

(xiii) ऑपरेटिंग लीज

समिति की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्थाएं समिति के कार्यालयों के लिए परिसर के ऑपरेटिंग लीज और समिति के कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के संबंध में हैं। ये लीजिंग समझौते आमतौर पर आपसी सहमति से तय शर्तों पर नवीनीकृत किए जा सकते हैं, लेकिन रद्द किए जा सकते हैं। ये भुगतान नोट 26 में 'प्रत्यक्ष व्यय' शीर्षक के अंतर्गत दिखाए गए हैं।

27(ख) लेखाओं पर अतिरिक्त टिप्पणियां:

(i) संविदा पर प्रस्तावित मूल्य (शुद्ध अग्रिम) जोकि पूंजीगत खातों राशि शून्य प्रदत्त नहीं किये गये हैं (पूर्व वर्ष में ₹ 4.09 लाख)

(ii) प्रासंगिक देयतायें प्रदान नहीं करने के लिए –

(vii) Inventories:

(a) Inventories are valued at lower of cost or net realisable value. The cost is determined using FIFO basis.

(b) Provision for obsolescence is made, wherever necessary.

(viii) Investments

(a) Non-current investments are carried at cost. Provision for diminution in the value of such investment is made to recognise a decline, other than temporary in the value of the investments.

(b) Current investments are valued at lower of cost or fair value determined on individual investment basis.

(ix) Retirement benefits

(a) Short Term Employees Benefits are recognised as an expenses in the Statement of Profit and Loss for the year in which the related services is rendered.

(b) Contribution to Provident Fund and Family Pension Fund is made monthly and debited to the Statement of Profit and Loss. Liability in respect of gratuity payable to employees is funded under Group Gratuity Scheme issued by Life Insurance Corporation of India Limited (LIC). The expense is recognised at the present value of the amount payable that is determined by LIC using actuarial valuation techniques and a provision for gratuity is created. Yearly contribution made to the fund is debited to the Statement of Profit and Loss.

(x) Prior Period Income / Expenditure

Income/expenditure items relating to prior period(s) not exceeding ₹ 2,00,000/- in each case at each project/unit is treated as income/expenditure for the current year.

(xi) Taxation

(a) Provision for Current Tax is made after considering benefits admissible under the provisions of the Income Tax Act, 1961.

(b) Deferred tax is recognized subject to consideration of prudence, on timing differences. Deferred tax assets are not recognized unless there is 'virtual certainty' that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

(xii) Contingent Liabilities

No provision is made for liabilities, which are contingent in nature, but if material the same are disclosed by way of notes to the accounts.

(xiii) Operating Leases

The Society's significant leasing arrangements are in respect of Operating Lease of premises for the offices of the Society and residential use of employees of the Society. These leasing agreements are usually renewable on mutually agreed terms but are cancellable. These payments are shown in Note 26 under the head 'Direct Expenses'.

27(B)Additional Notes on Accounts

(i) Estimated value of Contracts (Net of Advances) to be executed on Capital Accounts and not provided for - Nil (Previous year ₹ 4.09 Lakhs).

(ii) Contingent liabilities not provided for -

(₹ in Lakhs)

विवरण	Particulars	As at 31.3.2025	As at 31.3.2024
आयकर विभाग द्वारा जारी माँग सूचना	Demand Notice issued by Income Tax Authorities	28.52	28.52
वैट विभाग द्वारा जारी माँग सूचना	Demand Notice issued by VAT Authorities	-	10.89
ऋण की रसीद न देने के रूप में संस्था के खिलाफ दावा	Claim against society not acknowledge as debt	13.69	13.69
योग	**Total**	**42.21**	**53.10**

Note (a) - Note (a) - The Society's pending litigations comprise of claims against the Society and proceedings pending with Tax Authorities. The Society has reviewed all its pending litigations and proceedings and has made adequate provisions, wherever required and disclosed the contingent liabilities, wherever applicable, in its financial statements. The Society does not expect the outcome of these proceedings to have a material impact on its financial position.

Note (b) - Direct tax contingencies : The Society has ongoing disputes with income tax authorities relating to Tax Computation and TDS Credit mismatch. The Society has contingent liability in respect of demands from direct tax authorities for the AY 2019-20 of Rs. 12.94 Lakh, A.Y. 2021-22 of Rs. 1.97 Lakhs, for A.Y 2022-23 of Rs. 1.62 Lakhs and for AY 2018-19 of Rs. 11.99 Lakhs, which are being contested by the Society amounting 28.52 Lakhs as at March 31, 2025.

Note (c) - The amounts assessed as contingent liability do not include interest that could be claimed by counter parties.

Note (d) - The Society is subject to legal proceedings and claims, which have arisen in the ordinary course of business. The Society's management reasonably expects that these legal actions, when ultimately concluded and determined, will not have a material and adverse effect on the Society's results of operations or financial condition.

Note (e) - The Code on Social Security, 2020 ('Code') relating to employee benefits during employment and post-employment benefits received Presidential assent in September 2020. The Code has been published in the Gazette of India. However, the date on which the Code will come in to effect has not been notified. The Society will assess the impact of the Code when it comes into effect and will record any related impact in the period when the Code becomes effective.

ii(अ) विदेशी मुद्रा में किया गया व्यय **ii(a) Expenditure incurred in foreign currency**

विवरण	Particulars	Currency (USD)	For the year ended 31st March, 2025	For the year ended 31st March 2024
कार्बन क्रेडिट डीमैट खाता रखरखाव शुल्क	Carbon credit demat account maintenance charges	USD	-	1,000
सदस्यता शुल्क	Membership Fees	EURO	1,358	1,293
(रुपये लाख के बराबर)	**(Equivalent to INR in lakhs)**		**1.27**	**2.24**

ii(ब)विदेशी मुद्रा में आय **ii(b) Earnings in foreign currency**

विवरण	Particulars	Currency (USD)	For the year ended 31st March, 2025	For the year ended 31st March 2024
कार्बन क्रेडिट की बिक्री	Sale of Carbon Credit	USD	107,558	816,451
(रुपये लाख के बराबर)	**(Equivalent to INR in lakhs)**		**90.05**	**677.14**

(iii) परिसंपत्तियों का वसूली योग्य मूल्य

प्रबंधन की राय में, सामान्य व्यवसाय के दौरान अचल परिसंपत्तियों और गैर–चालू निवेशों के अलावा किसी भी परिसंपत्ति का मूल्य, उस मूल्य से कम नहीं होगा जिस पर वे बताए गए हैं।

(iii) Realisable Value of Assets

In the opinion of the management, the value of any of the assets other than Fixed Assets and Non-Current Investments on realisation in the ordinary course of business will not be less than the value at which these are stated.

(iv) लेखा परीक्षकों को भुगतान **(iv) Payment to Auditors** (₹ in Lakhs)

विवरण	Particulars	For the year ended 31st March, 2025	For the year ended 31st March 2024
ऑडिट शुल्क	Audit Fee	4.10	2.75
टैक्स ऑडिट शुल्क	Tax Audit Fee	0.72	0.50
प्रबंधन/अन्य सेवायें	Management / Other Services	0.20	0.15
योग	**Total**	**5.02**	**3.40**

(v) कर्मचारी लाभ

लेखा मानक–15 (संशोधित), 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार लाभ और हानि विवरण और बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त रोजगार के बाद के लाभ और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है।

(v) Employee Benefits

The summarised position of post-employment benefits and long-term employee benefits recognised in the Statement of Profit and Loss and Balance Sheet in accordance with Accounting Standard - 15 (Revised), "Employee Benefits" is as under.

(अ) वित्तीय मान्यताएँ **(a) Financial Assumptions**

विवरण	Particulars	For the year ended 31st March, 2025	For the year ended 31st March 2024
छूट दर (प्रति वर्ष)	Discount rate (per annum)	6.60%	7.10%
वेतन वृद्धि दर (प्रति वर्ष)	Salary growth rate (par annum)	1.87%	1.87%
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल दर (प्रतिवर्ष)	Expected rate of return on plan assets (per annum)		

(ख) जनसांख्यिकीय मान्यताएँ **(b) Demographic Assumptions**

विवरण	Particulars	For the year ended 31st March, 2025	For the year ended 31st March 2024
मृत्यु दर	Mortality Rate	110% of IALM 2012-14	110% of IALM 2012-14
सामान्य सेवानिवृत्ति आयु	Normal retirement age	60 Years	60 Years
संघर्षण/निकासी दर (प्रतिवर्ष)	Attrition / Withdrawal rate (per annum)	7%	7%
अवकाश प्राप्ति की दर (प्रति वर्ष)	Rate of Leave Availment (per annum)	0.00%	0.00%
रोजगार के दौरान अवकाश नकदीकरण की दर (प्रति वर्ष)	Rate of Leave Encashment during employment (per annum)	0.00%	0.00%

(ग) लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय **(c) Expenses Recognised in the Statement of Profit and Loss** (₹ in Lakhs)

विवरण	Particulars	For the year ended 31st March, 2025	For the year ended 31st March 2024
वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	23.73	24.14
ब्याज लागत	Interest Cost	8.45	6.28
अवधि में योजना दायित्वों पर शुद्ध एक्चुरियल (लाभ)/हानि	Net Actuarial (Gain) / Loss on Plan Obligations in the period	18.10	17.58
लाभ हानि विवरण में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	**Total Expenses recognised in the Statement of Profit and Loss**	**50.28**	**48.00**

(घ) परिसंपत्तियां और देयताएं (तुलन पत्र स्थिति) **(d) Assets and Liability (Balance Sheet Position)** (₹ in Lakhs)

विवरण	Particulars	For the year ended 31st March, 2025	For the year ended 31st March 2024
दायित्व का वर्तमान मूल्य	Present Value of Obligation	134.47	119.09
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets	-	-
शुद्ध परिसंपत्ति / (देयता)	**Net Asset / (Liability)**	**134.47**	**119.09**

(च) दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(e) Changes in the Present Value of Obligation

(₹ in Lakhs)

विवरण	Particulars	For the year ended 31st March, 2025	For the year ended 31st March 2024
शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	Present Value of Obligation as at the beginning	119.09	85.20
ब्याज लागत	Interest Cost	8.45	6.28
वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	23.73	24.14
भुगतान किये गये लाभ	Benefits Paid	(34.89)	(14.11)
दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	Actuarial (Gain) / Loss on the Obligation	18.09	17.58
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**Present Value of Obligation as at the end**	**134.47**	**119.09**

(ई) योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन – लागू नहीं

(f) Changes in Fair Value of Plan Assets - Not Applicable

(छ) वर्ष के अंत में दायित्व के वर्तमान मूल्य का विभाजन कंपनी अधिनियम, 2013 की संशोधित अनुसूची III के अनुसार

(g) Bifurcation of Present Value of Obligation at the end of the year as per revised Schedule III of the Companies Act, 2013

(₹ in Lakhs)

विवरण	Particulars	For the year ended 31st March, 2025	For the year ended 31st March 2024
वर्तमान देयता (अल्पावधि)	Current Liability (Short term)	17.65	23.36
गैर–वर्तमान देयता (दीर्घकालिक)	Non-Current Liability (Long term)	116.82	95.73
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**Present Value of Obligation as at the end**	**134.47**	**119.09**

(vi) आस्थगित कर परिसंपत्ति/ (देयताएं)

शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति / (देयताओं) का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(vi) Deferred Tax Asset/ (Liabilities)

The breakup of net Deferred Tax Asset/ (Liabilities) is as under:

(₹ in Lakhs)

विवरण	Particulars	As at 31 March'2025	As at 31 March'2024
आस्थगित कर परिसंपत्ति	**Deferred Tax Asset**		
कर्मचारी लाभ – प्रावधान	Employee Benefits - Provision	33.85	29.97
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	Provision for Doubtful Debts	119.53	82.48
		153.38	**112.45**
विलंबित कर देयता	**Deferred Tax Liability**		
समय अंतर – मूल्यह्रास	Timing Difference - Depreciation	(194.41)	(182.07)
योग	**Total**	**(41.03)**	**(69.62)**

In accordance with Accounting Standard-22 "Accounting for Taxes on Income", the net decrease in deferred Tax Liabilities of ₹ 28.59 Lakhs (PY ₹ 28.25 Lakh), for the year, has been credit to the Statement of Profit & Loss.

(vii) संबद्ध पार्टियों की सूची (जैसा कि प्रबंधन द्वारा पहचाना गया और लेखा परीक्षकों द्वारा भरोसा किया गया)

(a) उच्च प्रबंधक वर्ग

श्री एस.पी. सिंह, प्रबंध निदेशक (31 जनवरी, 2025 को सेवानिवृत्त)
श्रीमती माधवी एम. विप्रदास, प्रबंध निदेशक
(1 फरवरी, 2025 से ज्वाइन किया)
श्री सुकांत शर्मा, मुख्य प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

(b) होल्डिंग इकाई

इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको)

(c) अन्य संबंधित संस्थायें

इफको ई–बाजार लिमिटेड – होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी
इफको मित्सुबिशी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड– होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी
इफको–टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड– होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी
सहकारी ग्रामीण विकास ट्रस्ट– होल्डिंग कंपनी द्वारा गठित ट्रस्ट

(vii) List of Related Parties (as identified by the management and relied upon by auditors)

(a) Key Management Personnel

Sh. S.P. Singh, Managing Director (Retired on 31st Jan. 2025)
Smt. Madhavi M. Vipradas, Managing Director
(Joined from 1st February 2025)
Sh. Sukant Sharma, Chief Manager (F&A)

(b) Holding Entity

Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited (IFFCO)

(c) Other Related Entities

IFFCO e-Bazar Limited- Subsidiary of Holding Company
IFFCO Mitsubishi Crop Science Pvt. Ltd.-Subsidiary of Holding Company
IFFCO-TOKIO General Insurance Company Limited-Subsidiary of Holding Company
Cooperative Rural Development Trust-Trust formed by Holding Company

संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन

Transactions with Related Parties

क. उच्च प्रबंधन वर्ग

a. Key Managerial Personnel

(₹ in Lakhs)

विवरण	Particulars	For the year ended 31st March, 2025	For the year ended 31st March 2024
प्रबंधकीय पारिश्रमिक	Managerial Remuneration	133.58	137.16
जमा शेष	Closing Balance	133.58	137.16

ब. होल्डिंग इकाई

b. Holding Entity

(₹ in Lakhs)

	Particulars	Indian Farmers Fertiliser Cooperative	
		For the year ended 31st March 2025	For the year ended 31st March 2024
क्रय	Purchases	278,338.81	241,279.24
तैयार माल की बिक्री	Sale of Finished Goods	965.49	1,051.20
परियोजना व्यय की प्रतिपूर्ति	Reimbursement of Project Expenses	794.71	611.55
लाभांश आय	Dividend Income	50.70	50.70
अन्य एवं परामर्श आय	Other & Consultancy Income	215.40	227.75
किराया भुगतान	Rent Paid	5.48	5.78
प्राप्त किराया	Rent Received	0.48	0.40
भुगतान किया गया लाभांश	Dividend Paid	62.68	62.68
इफको को भुगतान की गई ईएमडी / सुरक्षा जमा	EMD/Security Deposit Paid to IFFCO	9.00	0.50
खर्चों का भुगतान (अन्य)	Expenses paid (others)	250.27	374.50
नैनो और स्कैन योजना पर छूट	Rebate on Nano & Scan Scheme	354.22	556.27
जमा शेष	**Closing Balance**	**10,034.39 (Credit Balance)**	**12,658.61 (Credit Balance)**

स. अन्य संबंध इकाईयाँ

c. Other Related Entities

(₹ in Lakhs)

विवरण	Particulars	IFFCO e-Bazar Limited		IFFCO Mitsubishi Crop Science Pvt. Ltd.		IFFCO-TOKIO General Insurance Company Ltd.	
		For the year ended 31 March 2025	For the year ended 31 March 2024	For the year ended 31 March 2025	For the year ended 31 March 2024	For the year ended 31 March 2025	For the year ended 31 March 2024
खरीद	Purchase	-	-	92.12	109.63	-	-
तैयार माल की बिक्री	Sale of Finished Goods	1,166.09	995.54	-	-	-	-
वर्ष के दौरान भुगतान किया गया बीमा प्रीमियम	Insurance premium paid during the year	-	-	-	-	73.14	50.62
परियोजना व्यय की प्रतिपूर्ति	Reimbursement of Project Expenses	-	-	-	-	28.54	35.54
जमा शेष	**Closing Balance**	**19.21 (Debit Balance)**	**14.33 (Debit Balance)**	**4.32 (Credit Balance)**	**2.17 (Credit Balance)**	**4.58 (Debit Balance)**	**37.70 (Debit Balance)**

(₹ in Lakhs)

विवरण	Particulars	Cooperative Rural Development Trust	
		For the year ended 31 March 2025	For the year ended 31 March 2024
खरीद	Purchase	14.33	11.21
तैयार माल की बिक्री	Sale of Finished Goods	0.75	0.19
जमा शेष	**Closing Balance**	**14.31 (Credit Balance)**	**Nil**

(viii) सेगमेंट रिर्पोटिंग नीतियां

(अ) सेगमेंट की पहचान

(i) प्राथमिक सेगमेंट

व्यापारिक सेगमेंटः समिति प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी समितियों (पीएफएफसी) के सदस्यों के लाभ हेतु सामाजिक ग्रामीण विकास की गतिविधियों एवं भूमिहीन, सीमांत, छोटे किसान, आदिवासी और विशेषतर महिलाओं के निरंतर आजीविका विकास हेतु उर्वरक और बीज इत्यादि के प्रसंस्करण एवं व्यापार में संलग्न हैं।

(ii) द्वितीय सेगमेंट

जियोग्राफिक सेगमेंटः चूँकि प्राथमिक तौर पर समिति द्वारा गतिविधियाँ देश में सम्पन्न की गई हैं। प्रतिवेदन सेंगमेंट के एएस–17 की परिभाषा के आधार पर अलग से जियोग्राफिक सेगमेंन्ट उजागर करने की आवश्यकता नहीं है।

(ब) आवंटन अयोग्य मद

संयुक्त/विभाग की आय, व्यय, सम्पत्ति, देनदारियाँ, पूँजी, और संचय को आवंटन आयोग मद का हिस्सा माना जाता है, जो कि किसी भी व्यवसाय के लिए पहचान योग्य है।

(स) सेगमेंट सूचना

(viii) Segment Reporting Policies

(a) Identification of Segments

(i) Primary Segments

Business Segment: The Society is primary engaged in Social & Rural Development activities for the benefits of members including Primary Farm Forestry Cooperative Societies (PFFCS) and for sustainable livelihood of the landless, marginal and small farmers, tribal and women in particular. To achieve its objectives, the Society also deals in fertilizers distribution and processing & multiplication of Seeds.

(ii) Secondary Segment:

Geographical Segment: Since the activities of Society are primarily carried within the country, hence separate geographical segment disclosure is not required.

(b) Unallocable Items

Common / Corporate income, expenses, assets, liabilities, capital and reserves are considered part of unallocable items which are not identifiable to any business segment..

(c) Segment Information

(₹ in Lakhs)

विवरण	Particulars	Social & Rural Development Programmes		Fertiliser Trading	
		For the year ended 31 March 2025	For the year ended 31 March 2024	For the year ended 31 March 2025	For the year ended 31 March 2024
आय	**Income**				
बिक्री	Sales	92.08	677.14	279,437.32	242,588.63
परियोजना योगदान/अनुदान	Project Contribution/Grant	1,038.83	950.50	-	-
अन्य आय	Other Income	-	-	-	-
योग आय (अ)	**Total Income (A)**	**1,130.91**	**1,627.64**	**279,437.32**	**242,588.63**
स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद	Purchase of Stock-in-Trade	-	-	278,214.32	241,260.66
प्रत्यक्ष व्यय	Direct Expenses	1,316.18	1,671.19	623.89	544.92
योग प्रचालन व्यय (ब)	**Total Operating Expenses (B)**	**1,316.18**	**1,671.19**	**278,838.21**	**241,805.58**
सेगमेंट प्रचालन आय (अ–ब)	**Segmental Operating Income (A-B)**	**(185.27)**	**(43.55)**	**599.11**	**783.05**
गैर आबन्टित आय	Unallocated Income				
गैर आबन्टित व्यय	Unallocated Expenses				
कर	Taxes				
आस्थगित कर	Deferred Tax				
निवल लाभ कर के बाद	**Net Profit After Tax**				
		As at		**As at**	
		31.03.2025	**31.03.2024**	**31.03.2025**	**31.03.2024**
रोजगार पूँजी	**Capital Employed**				
सेगमेंट परिसम्पत्तियां	Segment Assets	383.07	293.77	12,987.49	15,294.15
गैर आबन्टित परिसम्पत्तियां	Unallocated Assets				
सकल परिसम्पत्तियां	**Total Assets:**	**383.07**	**293.77**	**12,987.49**	**15,294.15**
सेगमेंट देनदारियां	Segment Liabilities	282.42	99.84	18,490.94	20,572.20
गैर आबंटित देनदारियां	Unallocated Liabilities				
सकल देनदारियां	**Total Liabilities:**	**282.42**	**99.84**	**18,490.94**	**20,572.20**

(₹ in Lakhs)

विवरण	Particulars	Seed Multiplication Programmes		Total	
		For the year ended 31 March 2025	For the year ended 31 March 2024	For the year ended 31 March 2025	For the year ended 31 March 2024
आय	**Income**				
बिक्री	Sales	16,093.92	13,307.28	295,623.32	256,573.04
परियोजना योगदान/अनुदान	Project Contribution/Grant	-	-	1,038.83	950.50
अन्य आय	Other Income	-	-	-	-
योग आय (अ)	**Total Income (A)**	**16,093.92**	**13,307.28**	**296,662.15**	**257,523.54**
स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद	Purchase of Stock-in-Trade	12,167.99	9,693.32	290,382.31	250,953.98
प्रत्यक्ष व्यय	Direct Expenses	2,386.52	2,274.07	4,326.58	4,490.17
योग प्रचालन व्यय (ब)	**Total Operating Expenses (B)**	**14,554.51**	**11,967.39**	**294,708.90**	**255,444.15**
सेगमेंट प्रचालन आय (अ–ब)	**Segmental Operating Income (A-B)**	**1,539.41**	**1,339.85**	**1,953.26**	**2,079.39**
गैर आबन्टित आय	Unallocated Income			826.34	691.55
गैर आबन्टित व्यय	Unallocated Expenses			1,025.13	1,198.40
कर	Taxes			483.56	433.29
आस्थगित कर	Deferred Tax			(28.59)	(28.25)
निवल लाभ कर के बाद	**Net Profit After Tax**			**1,299.50**	**1,167.50**
		As at		As at	
		31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
रोजगार पूँजी	**Capital Employed**				
सेगमेंट परिसम्पत्तियां	Segment Assets	3,451.44	3,844.86	16,822.00	19,432.78
गैर आबन्टित परिसम्पत्तियां	Unallocated Assets			12,566.09	10,655.86
सकल परिसम्पत्तियां	**Total Assets:**	**3,451.44**	**3,844.86**	**29,388.09**	**30,088.64**
सेगमेंट देनदारियां	Segment Liabilities	353.14	262.33	19,126.50	20,934.37
गैर आबंटित देनदारियां	Unallocated Liabilities			849.37	949.99
सकल देनदारियां	**Total Liabilities:**	**353.14**	**262.33**	**19,975.87**	**21,884.36**

(ix) प्रति शेयर अर्जन / Earning Per Share

(₹ in Lakhs)

विवरण	Particulars	Year ended 31 March 2025	Year ended 31 March 2024
खातों के अनुसार कर के बाद लाभ (लाख रुपये में)	**Profit after tax as per accounts (Rs. in Lakh)**	**1,299.50**	**1,167.49**
वर्ग ए के इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (अंकित मूल्य 1000/-)	Weighted average number of equity shares Class A (face value Rs.1000/-)	7,930	7,935
लाभ/(हानि) वर्ग ए इक्विटी शेयरों के लिए जिम्मेदार	Profit/(Loss) attributable to Class A Equity Shares	77.08	69.29
वर्ग बी के इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (अंकित मूल्य 10000/-)	Weighted average number of equity shares Class B (face value Rs.10,000/-)	2	2
लाभ/(हानि) वर्ग बी इक्विटी शेयरों के लिए जिम्मेदार	Profit/(Loss) attributable to Class B Equity Shares (Rs.)	0.19	0.17
वर्ग सी के इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (अंकित मूल्य 50000/-)	Weighted average number of equity shares Class C (face value Rs.50,000/-)	2,515	2,515
लाभ/(हानि) वर्ग सी इक्विटी शेयरों के लिए जिम्मेदार	Profit/(Loss) attributable to Class C Equity Shares (Rs.)	1,222.23	1,098.03
बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस (रु.)	**Basic & Diluted EPS (Rs.)**		
वर्ग ए – प्रति शेयर अंकित मूल्य रुपये 1000/–	Class A - Face value per share Rs.1000/-	**971.95**	**873.16**
वर्ग बी – प्रति शेयर अंकित मूल्य रुपये 10000/–	Class B - Face value per share Rs.10,000/-	**9,719.51**	**8,731.63**
वर्ग सी – प्रति शेयर अंकित मूल्य रुपये 50000/–	Class C - Face value per share Rs.50,000/-	**48,597.57**	**43,668.14**

(x) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबंध में आवश्यक जानकारी निम्नानुसार है:

(x) Information in respect of Micro and Small Enterprises as required under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED Act) is as under:

विवरण	Particulars	As at 31 March 2025	As at 31 March 2024
1. प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अप्रदत्त मूल राशि और उस पर देय ब्याज: (क) अप्रदत्त मूल राशि जो बकाया नहीं है (ख) उस पर देय ब्याज	1. The principal amount and the interest due thereon remaining unpaid to any Supplier as at the end of each accounting Year: (a) Principal amount remaining unpaid being not due (b) Interest due thereon	43.60	-
2. एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार क्रेता द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि तथा प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान आपूर्तिकर्ता को नियत तिथि के बाद किए गए भुगतान की राशि।	2. The amount of interest paid by the buyer in terms of Section 16 of MSMED Act along with the amounts of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year.	Nil	Nil
3. भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान नियत दिन से परे भुगतान की गई है) लेकिन इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	3. The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointedday during the year) but without adding the interest specified underthis Act.	Nil	Nil
4. प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में उपार्जित और अप्रदत्त ब्याज की राशि; तथा	4. The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each Accounting Year; and	Nil	Nil
5. एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजनार्थ, आगामी वर्षों में भी बकाया और देय ब्याज की शेष राशि, उस तिथि तक जब तक कि उपरोक्त ब्याज देय राशि वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान नहीं कर दी जाती।	5. The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under Section 23 of MSMED Act.	Nil	Nil

The above information has been provided to the extent such parties have been identified on the basis of information available with the Society.

(xi) ऑडिट के तहत वर्ष के दौरान सोसायटी ने 7369 कार्बन क्रेडिट 92.08 लाख रुपये (पिछले वर्ष 677.14 लाख) में बेचे हैं और तदनुरूप 66 लाख रुपये (पिछले वर्ष 449 लाख) का विभिन्न समितियों को भुगतान हेतु प्रावधान किया है।

(xii) रिवोल्विंग फंड धन का एक ऐसा साधन है जिससे कई प्रकार की लघु एवं सूक्ष्म व्यावसायिक इकाइयों के विकास के लिए व्यवसाय आरम्भ करने तथा आय अर्जन हेतु ऋण की व्यवस्था की जाती है। रिवोल्विंग फंड ऐसे सूक्ष्म ऋण, सूक्ष्म प्रतिष्ठान व ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित संस्थाओं या व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध करवाने में विशिष्ट रूप से उपयोगी है जिन्हें जोखिम की अधिकता को देखते हुये अन्य पारम्परिक स्त्रोतों से ऋण प्राप्त करने में सफलता नहीं मिलती है। इसमें ऋण लेने वाले विशेष रूप से वस्तुओं व सेवाओं के छोटे उत्पादक जैसे दस्तकार, कृषक व महिलाऐं होते हैं जिनके द्वारा पूर्व में कभी ऋण नहीं लिया होता है अथवा किसी ऋण देने वाली संस्था तक जिनकी पहुँच नहीं होती है। रिवोल्विंग फंड से ऋण की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं का उद्देश्य गरीब किसानों, स्वयं सहायता समूहों विशेष रूप से महिलाओं को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना होता है। वर्ष के दौरान रिवोल्विंग फंड की वसूली का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(xiii) कुछ ठेकेदारों / ग्राहकों / आपूर्तिकर्ताओं / प्राप्य / देय और अन्य के साथ जमा राशि की पुष्टि / समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन है, जो प्रबंधन की राय में महत्वपूर्ण नहीं होगा।

(xiv) वित्त अधिनियम, 2020, ("अधिनियम"), जो 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी है, के अनुसार समितियों के पास धारा 115बीएडी प्लस लागू अधिभार और उपकर ("नई कर व्यवस्था") पर आयकर की कुछ शर्तों के अधीन 22% भुगतान करने का विकल्प है।

(xv) बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 की धारा 63 (2)(ए) के अनुसार वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के अधीन, समिति की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी पर 5% की दर से लाभांश का भुगतान करने का प्रस्ताव है। वर्ष के लिए प्रस्तावित लाभांश ₹ 66.85 लाख (पिछले वर्ष ₹ 66.85 लाख) है।

(xvi) पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप बनाने के लिए जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पुनर्वर्गीकृत / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

(xi) The Society, during the year under audit has sold 7369 no of carbon credit for Rs. 92.08 lakhs (PY - Rs. 677.14 lakh) and has made a corresponding provision of Rs. 66 lakh (PY - 449 lakh) for payment to various Societies.

(xii) A Revolving Loan Fund (RLF) is a source of money from which loans are made for various micro small business development initiatives or income generation through Societies. Revolving loan funds has many characteristics with microcredit, micro-enterprise, and village banking, providing loans to persons or groups of people that do not qualify for traditional financial services or are otherwise viewed as being high risk. Borrowers tend to be small producers of goods and services - typically artisans, poor farmers, and women who have no credit history or access to other types of loans from financial institutions. Organizations that offer revolving loan fund lending aim to help Poor farmers and member of the self help group particularly women become financially independent. No provision has been made during the year as there is recovery in revolving fund.

(xiii) Balances of some of the contractors/ customers/suppliers /receivable/ payable and deposits with others are subject to confirmation/ reconciliation and consequential adjustments, if any, which in the opinion of the management would not be material.

(xiv) Pursuant to the enactment of the Finance Act, 2020, ('Act') which is effective from 1st April 2021, societies have the option to pay income tax at 22% u/s 115BAD plus applicable surcharge and cess ('new tax regime') subject to certain conditions.

(xv) As per Multi State Cooperative Society Act 2002 Section 63 (2) (a) Dividend is proposed to be paid @ 5% on the paid-up Equity Share Capital of the Society, Subject to the approval at the Annual General Meeting. The proposed dividend for the year work out to ₹ 66.85 lakh (Previous year ₹ 66.85 lakh).

(xvi) Previous year's figures have been regrouped/ rearranged wherever considered necessary to correspond with the current year's figures.

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached
कृते धवन एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन.: 002864एन
For Dhawan & Co.
Chartered Accountants
FRN: 002864N

कृते इंडियन फार्म फोरेस्ट्री डवलपमेंट कोआपरेटिव लिमिटेड
For Indian Farm Forestry Development Cooperative Ltd.

(सी.ए. दीपक कपूर)
साझेदार
(CA Deepak Kapoor)
(Partner)
M.No. 072302

(सुकांत शर्मा)
मुख्य प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
(Sukant Sharma)
Chief Manager (F&A)

(माधवी एम. विप्रदास)
प्रबंध निदेशक
(Madhavi M. Vipradas)
Managing Director

Place : New Delhi
Date : 31.05.2025

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2025

(₹ in Lakhs)

			For the year ended 31.03.2025		For the year ended 31.03.2024
(अ)	**प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाहः**	**(A) CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:**			
	कर–पूर्व निवल लाभ/(हानि)	Net Profit/(Loss) before tax	**1,754.47**		**1,572.53**
	के लिये समायोजन	**Adjustment for:**			
	मूल्यह्रास से	Depreciation	114.10	102.32	
	ब्याज आय	Interest Income	(646.64)	(520.36)	
	लाभांश की आय	Dividend Income	(50.70)	(50.70)	
	संदिग्ध ऋण	Bad Debts	3.49	33.49	
	संदिग्ध ऋण एवं निवेश के लिए प्रावधान व्यय	Provision for Doubtful Debts & Investment	151.16	137.11	
	निवल ब्याज व्यय	Net Interest Expenses	187.62	166.43	
	संपत्ति, संयंत्र व उपकरण की बिक्री से लाभ/(हानि)	Profit/(Loss) on sale of Property, Plant and Equipment	(0.05)	(241.02)	0.79	(130.92)
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	**Operating Profit before Working Capital Changes**		**1,513.45**		**1,441.61**
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों के लिए समायोजन	**Adjustment for Working Capital Changes :**			
	व्यापार प्राप्तियों में (वृद्धि)/कमी	(Increase)/Decrease in Trade Receivables	2,756.93	(4,988.42)	
	इन्वेंटरी में (वृद्धि)/कमी	(Increase)/Decrease in Inventories	149.90	278.30	
	अल्पावधिक अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	(Increase)/Decrease in Short-Term Advances	(18.14)	390.67	
	दीर्घावधिक अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	(Increase)/Decrease in Long-Term Advances	(5.80)	304.43	
	व्यापार देयताओं में (वृद्धि)/कमी	(Increase)/Decrease in Trade Payable	(2,605.73)	4,395.45	
	अन्य चालू देनदारियों में (वृद्धि)/कमी	(Increase)/Decrease in Other Current Liabilities	726.30	823.01	
	अल्पावधिक प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	(Increase)/Decrease in Short-Term Provision	64.52	63.17	
	दीर्घावधिक प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	(Increase)/Decrease in Long-Term Provision	15.39	1,083.37	20.79	1,287.40
	प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह	**Cash flow from operating activities**		**2,596.82**		**2,729.01**
	घटाएंः आयकर (धन वापसी का निवल)	Less: Income Tax (Net of Refund)	500.73		449.30	
	घटाएंः सहकारी शिक्षा निधि	Less: Cooperative Education Fund	12.99	(513.72)	11.67	(460.97)
	प्रचालन गतिविधियों से प्राप्त निवल नकदी	**NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES**		**2,083.10**		**2,268.04**
(ब)	**निवेश गतिविधियों से नकदी का प्रवाहः**	**(B) CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**			
	संपत्ति, संयंत्र व उपकरण की खरीद/सीडब्ल्यूआईपी	Purchase of Property, Plant and Equipments/CWIP	(54.54)		(109.89)	
	शेयरों की खरीद	Purchase of Shares	-		-	
	संपत्ति, संयंत्र व उपकरण की बिक्री	Sale of Property, Plant and Equipments	3.18		1.44	
	संपत्ति, संयंत्र व उपकरण पर पूँजीगत अनुदान	Capital Subsidy on Property, Plant and Equipments	-		18.75	
	मालसूची की बिक्री	Sale of Investment	(5.00)		-	
	सावधि जमा में निवेश	Investments in Fixed Deposits	(2,152.00)		-	
	वर्ष के दौरान सावधि जमा की परिपक्वता	Fixed Deposits matured during the period	-		4,043.00	
	सावधि जमा से प्राप्त ब्याज	Interest Received from Fixed Deposits	730.66	(1,477.70)	215.13	4,168.43
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी का प्रवाह	**NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES**		**(1,477.70)**		**4,168.43**
(स)	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी का प्रवाहः**	**(C) CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:**			
	शेयर पूँजी/शेयर आवेदन से प्राप्त राशि	Proceeds from Share Capital/Share Application Money	0.01		-	
	शेयर पूँजी/शेयर आवेदन का निर्गम	Redemption of Share Capital/Share Application Money	(0.06)		-	
	दीर्घावधिक के ऋण से वृद्धि/(कमी)	Increase/(Decrease) from Long-Term Borrowings	(80.38)		(31.39)	
	अल्पावधिक के ऋण से वृद्धि/(कमी)	Increase/(Decrease) from Short-Term Borrowings	-		-	
	भुगतान किया गया लाभांश	Dividend Paid	(66.85)		(66.85)	
	सी.आर.आर.डी. फण्ड का भुगतान	CRRD Fund Paid	(11.68)		-	
	प्राप्त लाभांश	Dividend Received	50.70		50.70	
	ब्याज पर व्यय	Interest Expenses	(187.62)		(166.43)	
	वित्तीय गतिविधियों में उपयोग की गई निवल नकदी	**NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES**		**(295.88)**		**(213.97)**
	नकदी एवं नकदी के समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)	**INCREASE / (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS**		**309.52**		6,222.50
	वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी के समतुल्य	CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE BEGINING OF THE YEAR		10,037.60		3,815.10
	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी के समतुल्य	**CASH AND EQUIVALENTS AT THE CLOSE OF THE YEAR**		**10,347.12**		**10,037.60**
	नकदी प्रवाह विवरण पर टिप्पणीः	**Notes to the cash flow statement:**				
	1. नकदी और नकदी समतुल्य में, हाथ में नकदी, बैंकों में जमा राशियां शामिल हैं।	1. Cash and cash equivalents consists of cash in hand and Balances with Banks.				
	2. नकदी प्रवाह विवरण में जो प्रस्तुत नकदी व नकदी समतुल्य तुलन पत्र में दर्शाए गए हैं शेष हैं।	2. Cash and cash equivalents included in the cash flow statement comprise the following Balance Sheet amounts.				
	पास में नकदी	Cash in Hand		1.62		1.48
	अनुसूचित बैंकों में शेषः	Balance with Scheduled Banks:				
	– चालू खाते एवं बचत खाते	- Current accounts and saving accounts		769.50		279.12
	– सावधिक जमा	- Fixed Deposits		9,576.00		9,757.00
				10,347.12		**10,037.60**

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date attached
कृते धवन एंड कं., सनदी लेखाकार / For Dhawan & Co., Chartered Accountants
एफ.आर.एन.: 002864एन / FRN: 002864N

(सी.ए. दीपक कपूर)
साझेदार
(CA Deepak Kapoor)
(Partner)
M.No. 072302

कृते इंडियन फार्म फोरेस्ट्री डवलपमेंट कोआपरेटिव लिमिटेड
For Indian Farm Forestry Development Cooperative Ltd.

(सुकांत शर्मा)
मुख्य प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
(Sukant Sharma)
Chief Manager (F&A)

(माधवी एम. विप्रदास)
प्रबंध निदेशक
(Madhavi M. Vipradas)
Managing Director

Place : New Delhi
Date : 31.05.2025

किसानों को ड्रोन से इफको नैनो उर्वरकों के छिड़काव की दी जानक...

गाजियाबाद, बुधवार 21 मई 2025 3

...दाय की सेवा में वानिकी सहकारी समिति द्वारा प्रयास

माधवी एम विप्रदास

...बिक्री से प्राप्त धन वितरण बारा झागरपुर कृषि वानिकी सहकारी समिति के द्वारा हिस्सेदार किसानों को किया गया

सहकारी समिति के द्वारा हिस्सेदार किसानों को दी गयी राशि

लोक मित्र संवाद

...क्रेडिट बिक्री से प्राप्त धन किसानों में किया गया वितरण

पटेलिया गांव में आयोजित पशु स्वास्थ्य शिविर ... 100 से अधिक पशुपालक परिवार हुए ला...

दैनिक न...

chittorgarh-pratapgarh

सौ से अधिक पशुपा...

नाबार्ड ने बासुकीनाग कृषक उत्पाद... नायल में हल्दी काली हल्दी अदरक मडु... आदि का उत्पादन को दिया बढ़ा...

रुद्र टाइम्स

गणाई गंगोली (पिथौरागढ) नाबार्ड द्वारा संचालित आइ एफ एफ डी सी द्वारा गठित बासुकीनाग कृषक उत्पादन संगठन नायल गंगोलीहाट पिथौरागढ का मुख्य कृषि अधिकारी पिथौरागढ द्वारा भ्रमण किया गया एव नाबार्ड किसानों के साथ बैठक की गयी। संगठन के मे मुख्य कृषि अधिकारी बैठक की गयी बैठक द्वारा कहा गया कि क्षेत्र में अमरीन्द्र चौहान हल्दी अदरक एव मडुवा झिगोरा आदि का उत्पादन बढाने की आवश्यकता है। बैठक में नाबार्ड के डीडीम राकेश कन्याल ने क्षेत्र के उतपादो को मार्केटिंग करने का काम संगठन द्वारा किया जा र... बैठक में सीनियर कार्डिनेटर देश दी... यादव, कृषि विशेषज्ञ सुब्रत पात्रा, अ... राय, कृषि विकास खंड प्रभारी विनो... चंद, अध्यक्ष दीपक महरा, ओम प्रकाश नवीन जोशी, सुरेश नियोलिया, दिनेश नियोलिया, रजनी जोशी, रेखा देवी, पुष्पा देवी, हेमा देवी, पूरन डोबाल, देवेंद्र डसीला, प्रकाश शर्मा विवेक बोरा सहित अनेक सदस्यों ने प्रतिभाग किया। बैठक का संचालन सीइओ मोहन जोशी द्वारा किया गया कृषि अधिकारी जी द्वारा संगठन द्वारा किया जा रहे गतिविधियों की सराहना की।

...ऑपरेटि...

श्री राकेश कपूर, संयुक्त प्रबंध निदेशक, इफको द्वारा इफको–सीएन शोध प्रक्षेत्र समराला (पंजाब) में उत्पादित बीज फसल का अवलोकन

डा. योगेन्द्र कुमार, विपणन निदेशक, इफको, कृषि वानिकी समितियों के सदस्यों को इफको नैनो उर्वरकों की तकनीकी जानकारी प्रदान करते हुए

IFFDC

Preserving Nature . Nurturing Lives

इंडियन फार्म फारेस्ट्री डवलपमेन्ट कोआपरेटिव लिमिटेड

INDIAN FARM FORESTRY DEVELOPMENT COOPERATIVE LIMITED

मुख्यालयः एफ.एम.डी.आई., इफको कॉलोनी, सेक्टर–17बी, गुड़गाँव–122001 (हरियाणा)
Head Office: FMDI, IFFCO Colony, Sector-17B, Gurgaon-122001 (Haryana)
दूरभाष/Telephone: 0124-2340148, ई–मेल/headoffice@iffdc.in, वेबसाईट/Website: http:///www.iffdc.in

Concept & Design: Publicity Deptt., IFFDC